खण्ड-241, अंक-7
सोमवार, 11 चैत्र, शक संवत् 1885
(1 अप्रैल, 1963 ई0)

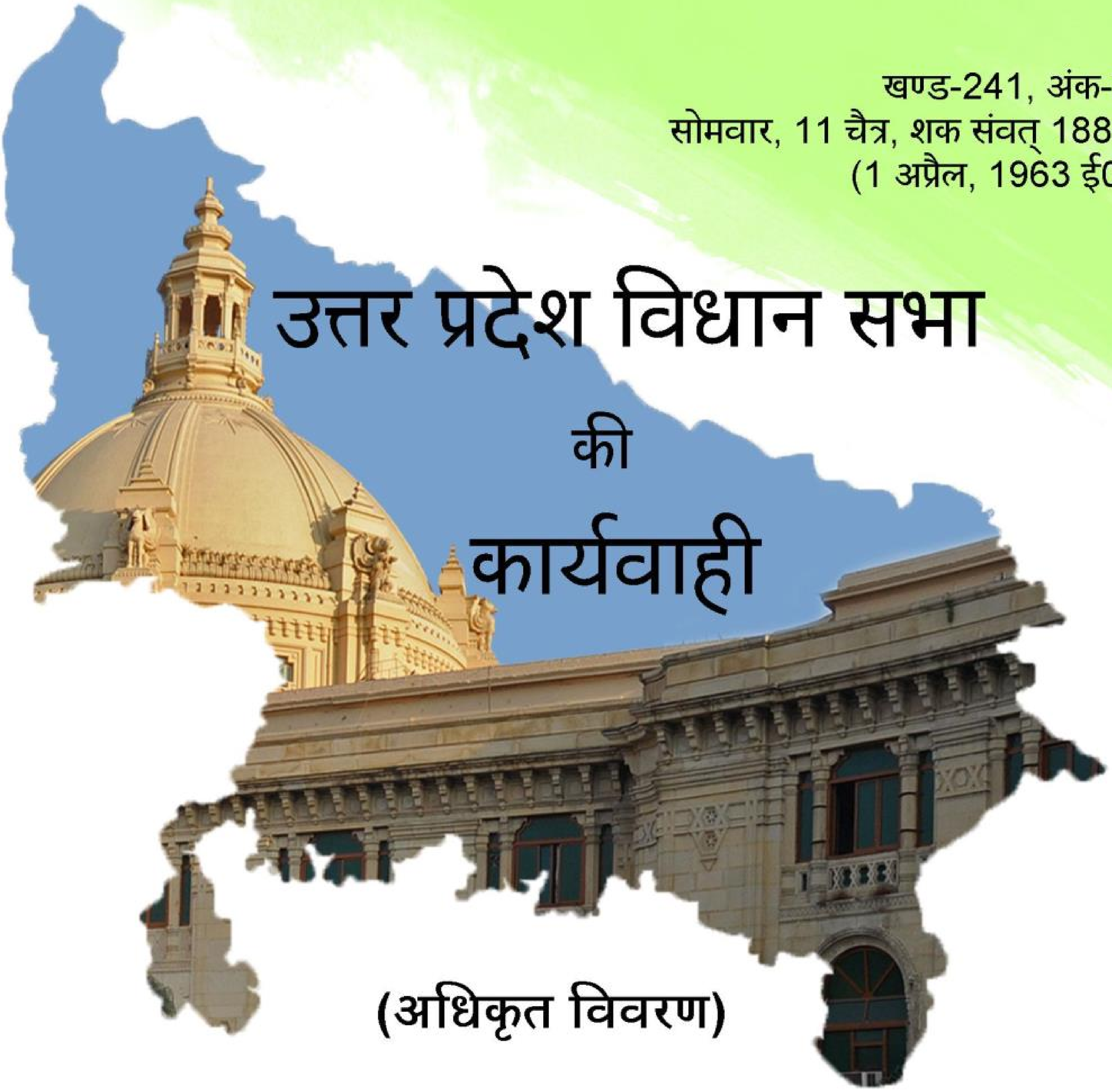

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 241 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १ अप्रैल, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४८

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा प्रसाद वर्मा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलसिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री

चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपन वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगल प्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल सिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर सहाय कंथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामलुभावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव,' श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह युसूफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजन राम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, वकील
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री

हलीमुद्दीन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सिंचाई उप मंत्री श्री डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १ अप्रैल, १९६३

तारांकित प्रश्न

१ अक्तूबर, १९६२ को श्री सुखलाल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ३५ के उत्तर में संशोधन

मूल प्रश्न

*३५—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त घटना (जालौन निवासी श्री दुर्गा चरण मुख्तार की दुकान जो किराये पर दूसरे के पास है खाली कराने के लिए हाई कोर्ट से आज्ञा होने के बाद भी जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा किसी दूसरे के नाम एलाट किये जाने) के बारे में जिला-पूर्ति अधिकारी पर घूस आदि के आरोप का कोई प्रार्थना-पत्र माननीय पूर्ति मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गयी ?

मूल उत्तर

जी नहीं ।

संशोधित उत्तर

श्री दुर्गा चरण मुख्तार ने एक पत्र माननीय न्याय एवं पूर्ति मंत्री को सम्बोधित किया था । जिसमें उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी, जालौन के विरुद्ध अपनी दुकान के कथित अवैधानिक ढंग से एलाट करने के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे । उक्त आरोप जांच के पश्चात् निराधार पाये गये ।

जगमोहन सिंह नेगी,
खाद्य मंत्री ।

११ फरवरी, १९६३ को श्री शराफत हुसैन रिजवी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न १२ के उत्तर में संशोधन

मूल प्रश्न

*१२—क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में टाउन एरिया किरतपुर को लाजमी तालीम के स्कूल खोलने के लिए और सड़क बनवाने के लिए सरकार की ओर से कितना अनुदान दिया गया ?

मूल उत्तर

टाउन एरिया किरतपुर में लाजमी तालीम लागू नहीं है । अतः अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता । जहां तक सड़क बनवाने के लिए सरकारी अनुदान का प्रश्न है २,००० रु० तथा ७०० रु० के दो अनुदान वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में किरतपुर को दिये गये हैं ।

संशोधित उत्तर

टाउन एरिया किरतपुर में जो १ दिसम्बर, १९६२ से नोटिफाइड एरिया में परिवर्तित हो गयी है, लाजमी तालीम लागू नहीं है । अतः अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता । जहां तक सड़क बनवाने के लिए सरकारी अनुदान का प्रश्न है २,०००रु० तथा ७०० रुपयों के दो अनुदान वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में किरतपुर को दिये गये हैं ।

विचित्र नारायण शर्मा,
स्वशासन मंत्री ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि नोटिफाइड एरिया होने के बाद लाजिमी तालीम के लिये कुछ अनुदान नोटिफाइड एरिया किरतपुर को दिया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

जब वहाँ पर लाजिमी शिक्षा लागू हो जायगी तो दिया जायगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

नगरपालिका मैनपुरी का अनुदान

*१—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका मैनपुरी की सरकार को ५ साल में कितनी-कितनी ग्रांट किस-किस मद में मिली है और कितनी-कितनी ग्रांट का रुपया इस्तेमाल किया गया व किस-किस मद का रुपया और कितना-कितना लैप्स हुआ जो इस्तेमाल नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

प्रश्न सम्बन्धी सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७१० पर)

श्री रामसिंह (मैनपुरी)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो धनराशि खर्च करने के लिये दी गई है वह समय के अन्दर खर्च नहीं की गई, ऐसा क्यों हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

उनको टेन्डर नहीं मिल सका। वह प्रबन्ध नहीं कर सके। जब वह मेरे पास प्राइवेटली आये थे इसकी मियाद बढ़वाने के लिये तो यह सब बातें बतला रहे थे। वैसे मुझ को ज्यादा पता नहीं है। उनको बारबार लिखा गया, परन्तु वह इस्तेमाल नहीं कर सके। उसका कारण यही था कि वे प्रबन्ध नहीं कर सके। उनको टेन्डर नहीं मिला और रोलर वगैरह उनको नहीं मिला।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उस लैप्स रुपये के विषय में समय बढ़ाने के लिये आवेदन-पत्र आया है वह स्वीकार हो गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

अभी तो इन्कार कर दिया गया है, लेकिन फिर रिप्रिजेन्टेशन आया है तो उसके ऊपर देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जितनी भी मदें अलग-अलग थीं उनके लिये अलग-अलग रुपया बांटा गया था तो क्या सब का समय बढ़ाया जा रहा है या एक मद का समय बढ़ाया जा रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

कुछ की मियाद, जैसा कि अभी उत्तर में बतलाया गया है, १९६४ तक है। किसी की मियाद ६३ तक थी। तो जिसकी मियाद है उनके लिये तो प्रश्न नहीं उठता। कुछ की कल ही समाप्त हुई है जिनके विषय में कहा है कि उनका रिप्रिजेण्टेशन आया है तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो ग्रान्ट दी गई थीं उनमें से बिलकुल किसी का उपयोग नहीं हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

कुछ का उपयोग हो जायगा जैसा कि उत्तर में बतलाया गया है। कुछ का समय ३१ मार्च को समाप्त हो गया और कुछ की मियाद ६४ तक है तो उनका उपयोग हो जायगा।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

जो रुपया यहां से दिया गया था उसको म्युनिसिपैलिटी इस्तेमाल नहीं कर सकी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि किन कारणों से म्युनिसिपैलिटी उस रुपये का इस्तेमाल समय के अन्दर नहीं कर सकी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

मैंने उत्तर दिया था कि टेन्डर नहीं मिल सके, रोलर नहीं मिल सका, सामान नहीं मिल सका, इसलिये उस रुपये को यूज नहीं किया जा सका।

श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या यह बात सही है कि वहां पर इतनी पार्टीबाजी है आपस में कि जिसकी वजह से वहां बच्चों की तमाम शिक्षा-दीक्षा का नुकसान हो रहा है और क्या माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

जब यह प्रश्न पूछा गया था तभी मैं समझ गया था कि इसमें पार्टीबाजी जरूर है।

श्री अध्यक्ष—

आपका मतलब यह है कि टेन्डर वगैरह का बहाना है। दरअस्ल वहां बेहद पार्टीबाजी है जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया है, तो क्या आप इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

श्रीमन्, मैं निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि वह काम पार्टीबाजी की वजह से नहीं हो सका अथवा साधन नहीं थे इसलिये नहीं हो सका। मैं कोई निश्चित बात अभी नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष—

वह पूछ रहे हैं कि क्या आप इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

अब तो इसमें कोई जान नहीं रही है कि वह सब मैं करूं।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजियेगा तब वह देखेंगे।

श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—

बच्चों के बैठने के लिये वहां जगह नहीं है और कमरे बनाने के लिये रुपया पड़ा है, क्या यह बात सही है ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर आप डिटेल्स लिख कर देंगे, तो वह देख लेंगे।

श्री राजेन्द्रसिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जैसे ही प्रश्न हुआ तो मैं समझ गया कि पार्टीबन्दी की वजह से प्रश्न हुआ है। इसलिये इस रुपये का उपयोग नहीं हो सका। यह देखते हुए कि राजनीतिक पार्टीबन्दी के कारण हर जगह काम में इतना हिन्ड्रेंस पड़ रहा है, क्या माननीय मंत्री जी किसी अन्य व्यवस्था को वहां लागू करने का विचार करेंगे ताकि उस रुपये का सही उपयोग हो सके ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

श्रीमन्, पार्टीबाजी और गुटबन्दी इतनी व्यापक है कि रोज ही इसका कड़ुवा अनुभव हम यहां करते हैं और मुझे नहीं दीखता कि इसका कोई हल निकल सकता है। बाकी इसकी खोज में जरूर हूं कि कोई हल निकल आये।

सैदपुर टाउन एरिया अध्यक्ष का पत्र

*२—श्री कमला सिंह यादव—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में सैदपुर टाउन एरिया के अध्यक्ष द्वारा कोई आवेदन-पत्र मय प्रस्ताव के उसकी श्रेणी छठी से पांचवीं करने के लिये मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां। चेयरमैन का प्रस्ताव तथा आवेदन-पत्र जिलाधीश के पास परीक्षण तथा संस्तुतियों को कमिश्नर के माध्यम से भेजने के लिये भेजा गया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

*३—श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले के सैदपुर, मुहम्मदाबाद, जमानियां और दिलदारनगर टाउन एरिया की आमदनी १० हजार के ऊपर है फिर भी इनके सड़क इत्यादि के ठेके का काम गाजीपुर जिले के सदर मुकाम पर नियमों के विरुद्ध एक क्लर्क रख कर कराया जाता है, जिससे उनके अध्यक्षों को सरकारी अनुदान का समय और उपयोग करने में कठिनाई होती है? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां, यह सही है कि सैदपुर, जमानियां और दिलदारनगर टाउन एरियाओं तथा मुहम्मदाबाद नोटीफाइड एरिया की आमदनी १० हजार से अधिक है लेकिन टाउन एरिया मैनुअल सन् १९५१ के एडीशन के पृष्ठ ५८ पर उन प्राजेक्टों की स्वीकृति जो शासकीय ऋण तथा अनुदान से किये जाते हैं से सम्बन्धित छपे हुए नियम ५ (क) के अनुसार समस्त छोटे-छोटे निर्माण-कार्य जो ५,००० रु० से कम की लागत के हैं कमेटी के प्रस्ताव के उपरान्त जिलाधीश की स्वीकृति से किये जावेंगे। इसी नियम के अधीन सड़क इत्यादि के ठेके के टेन्डर टाउन मैजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाते हैं और उन टेन्डरों पर कमेटियों को स्वीकृति लेकर जिलाधीश की प्रशासकीय स्वीकृति से कमेटियां ठेके दे देती हैं। इसमें शासकीय अनुदान के उपभोग में न समय ही अधिक लगता है और न कठिनाई ही होती है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस श्रेणी का निर्णय कब तक हो जायगा?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

आवश्यक सूचना आ जायगी तो हो जायगा। इसमें हमें कुछ सोचना विचारना नहीं पड़ता।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब १०,००० रुपये की आमदनी उन टाउन एरियाज को है, जिनके नाम अभी मंत्री जी ने बतलाये, तो उनके यहां अलग से क्लर्क सदर में क्यों रखा जाता है जब कि ऐसा कोई प्राविधान नहीं है और न किसी अन्य जिले में ऐसा होता है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

श्रीमन्, जो मेरी सूचना है, और जो उत्तर में दिया है और यह जो रूल्स हैं, उसी के हिसाब से यह होता है। यह जवाब में भी लिखा जा चुका है कि उस रूल का नम्बर क्या है और जो

नम्बर दिया हुआ है, उसी के मुताबिक यह करना पड़ता है और होता है। इसी प्रकार से सारे प्रदेश में हो रहा है और हमारे पास कहीं से भी शिकायत नहीं आई है कि उसके कारण देरी हुई है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी जिले में ऐसा नहीं है नियमों में कि क्लार्क सदर में रखा जाय, बल्कि जितने भी टाउन एरियाज हैं और जिनकी आमदनी १० हजार की है वह अपने खुद क्लर्क रखेंगे। लेकिन यहां पर नियमों के खिलाफ ऐसा किया जा रहा है। क्या इसके लिये माननीय मंत्री जी कोई इन्क्वायरी करायेंगे और उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

श्रीमन्, यह लिखकर देंगे, तो जरूर करा लेंगे, उसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि यह नियमों के अंदर है कि सदर में क्लर्क रखकर जो काम होता है, उसके कारण सारी दिक्कतें हो रही हैं। जो टाउन एरिया का अनुदान है, वही इसी कारण लैप्स कर रहा है। क्या उसके लिये वह कोई जांच करायेंगे और कोई उचित प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

श्रीमन्, जांच वहां कराने की कोशिश करेंगे, जहां मुझे निश्चित रूप से मालूम हो जाय कि कार्य नियमों के विरुद्ध हो रहा है, परन्तु जहां नियम ही गलत है, उस पर ज्यादा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वह तो एक व्यापक प्रश्न है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि अध्यक्ष टाउन एरिया, सैदपुर ने जो पत्र लिख कर दिया है कि जो क्लर्क रखे जाते हैं और जो नियमों के खिलाफ काम किया गया है, उसके कारण रुपया लैप्स हो रहा है। क्या माननीय मंत्री जी, उस पत्र के अनुसार, जिसका कि अध्यक्ष ने भी सपोर्ट किया है, जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

श्रीमन्, अध्यक्ष वाला पत्र हमारे सामने नहीं है। अगर होगा, तो मैं जरूर दिखवा लूंगा।

अतर्रा टाउन एरिया में तहबाजारी वसूल करने के संबंध में शिकायत

*४—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार को पता है कि अतर्रा टाउन एरिया, जिला बांदा तहबाजारी का नीलाम करती है और ठेकेदार अनुचित ढंग से गरीब राहगीरों व आने जाने वालों से सड़क पर बेजा तौर से तहबाजारी वसूल करते हैं, दंगे फसाद करते हैं और पुलिस तक ऐसे मामले ज्यादती के जा चुके हैं, तो क्या सरकार ऐसे नीलामों पर रोक लगाने को तैयार है और क्या सरकार टाउन एरिया के क्लर्कों द्वारा बैठकी वसूल कराने की व्यवस्था करायेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां। तहबाजारी वसूली का सन् १९५९–६० के दूसरे भाग से नीलाम करके ठेका दिया जाता है। ठेकेदार द्वारा अनुचित ढंग से गरीब राहगीर व आने जाने वालों से तहबाजारी वसूल करने की कोई लिखित शिकायत चेयरमैन को अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। पुलिस तक ऐसे मामलों के जानने की सूचना भी शासन को नहीं है। मौखिक रूप से चेयरमैन से १६ व्यक्तियों ने ठेकेदारों द्वारा तहबाजारी की वसूली के विरुद्ध शिकायत की है जिस पर जांच की जा रही है। टाउन एरिया क्लर्कों द्वारा १९५९–६० के पहले ६ महीनों तक तहबाजारी

वसूली जाती थी पर आय बहुत कम हुई । चूंकि ठेके द्वारा तहबाजारी वसूल कराने में कमेटी की आय नौ, दस गुना तक बढ़ गई इसलिये कमेटी तबसे नीलाम करके ठेकेदारों द्वारा ही तहबाजारी वसूल कराती है और चूंकि तहबाजारी बाईलाज में इस बात का प्राविधान है कि ठेकेदार द्वारा ज्यादती किये जाने पर ठेका रद्द कर दिया जायगा । इसलिये कमेटी ठेकों द्वारा ही भविष्य में तहबाजारी वसूल कराने के पक्ष में है । इसमें कोई हानि नहीं प्रतीत होती ।

*५---श्री मतोलासिंह--

क्या सरकार को पता है कि अतर्रा टाउन एरिया, जिला बांदा में कई साल से टैक्स जो कमेटी तशखीस करती है उसे मान्यता न दे कर वहां के कर्मचारी तहसीलदार के जरिये अनुचित लगवाते हैं ? क्या सरकार इस आरोप की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

कमेटी ने १९६२-६३ में जो सम्पत्ति तथा हैसियत कर निर्धारण सूची तैयार की थी और जिस पर टाउन एरिया ऐक्ट की धारा १५(२) के अधीन जिलाधीश की स्वीकृति मांगी थी उसको देखने से ज्ञात हुआ है कि टैक्स बहुत कम लगाया गया है । अतः जिलाधीश ने उस पर तहसीलदार नरैनी से जांच कराई और उन्होंने कमेटी द्वारा कम लगाये कर यानी २५,६५४ रु० का विधिवत् संशोधन करके टैक्स की रकम ४८,१०४ रु० कर दी यह टैक्स की संशोधित सूची जिलाधीश द्वारा स्वीकार की जा चुकी है । जिन व्यक्तियों को इस बढ़ाये गये कर से आपत्ति है उन्होंने उक्त ऐक्ट की धारा १८ के अधीन अपील मजिस्ट्रेट को अपील कर दी है जो विचाराधीन है । चूंकि बाद जांच के जो टैक्स बढ़ाया गया वह नियमानुसार है अतः वह अनुचित नहीं कहा जा सकता । अलग से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता । अपीलों के विचार के दौरान में तथ्य स्वयम् पता चल जायेगा ।

श्री मतोलासिंह--

जब तहबाजारी ठेके द्वारा वसूल की जाती है तो वह बढ़ जाती है और न्यायोचित वसूल की जाती है तो कम होती है, तो इसका कारण क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

ठेकेदार जब पैसा देता है तो वह वसूल करता है । हमारे जो कर्मचारी हैं---म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया के, वह रिआयत करते होंगे या और भी कुछ शक हो सकता है, इस वजह से कम वसूली होती है ।

श्री मतोलासिंह--

तहबाजारी वसूल करने का आधार क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

आधार तो कानून है । कानून बनाये गये हैं ताकि वसूली की जा सके जिससे म्युनिसिपल बोर्ड को आमदनी हो ।

श्री मतोलासिंह--

क्या तहबाजारी, जो बैठते नहीं हैं उनसे भी वसूल की जाती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

उत्तर बहुत साफ दिया गया है । तहबाजारी तो जो चलकर आता है उसी से वसूल की जाती है । रात को कोई नहीं रहता है सुबह सब आते हैं और दिन में सौदा बेच कर---चाहे खड़े होकर या बैठकर--शाम को चले जाते हैं । उन्हीं से वसूल की जाती है । उनसे वसूल नहीं की जाती जो पथिक हों । अगर उसके लिये शिकायत हो तो प्राविधान है कि शिकायत होने पर ठेका रद्द किया जा सकता है । वैसे चेयरमैन के पास जबानी १८-१९ शिकायतें हैं, उन्होंने उसकी जांच की और ताकीद वगैरह की । उसके बाद कोई खास शिकायत नहीं ठेके की । यह भी प्राविधान है कि ठेका दूसरे को दिया जा सकता है, इसलिये अगर कोई खास शिकायत होगी तो कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी शिकायत तो हो सकती है 'शिकायत साबित' हो, क्या यह मतलब है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

शिकायत तो है, लेकिन वह सही होनी चाहिये ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की लापरवाही से तहबाजारी कम होती है और कुछ दूसरे कारण हो सकते हैं, तो क्या मंत्री जी जांच कराकर सदन को आश्वस्त करेंगे कि निश्चित तौर पर इसका कारण क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

इसके लिये कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती, यह व्यर्थ होगा ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने कहा कि कर्मचारी जो वसूल करते हैं वह कम वसूल करते हैं और ठेके वालों से ज्यादा वसूली होती है, तो क्या यह सही है कि ठेके वाले जो वसूली कर रहे हैं वह अपने प्राफिट मोटिव से राहगीरों से भी जबरदस्ती वसूल करते हैं ? यदि हां, तो ठेका रद्द करके फिर कर्मचारियों द्वारा वसूली कराने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

श्रीमन्, मैं यह जरूरी नहीं समझता । जो एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं उसमें कोई दोष मुझे प्रतीत नहीं होता ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो नियम इस संबंध में बने हुये हैं वे इन ठेकेदारों पर भी लागू होते हैं या नहीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

जिनका उनसे संबंध है, नियम सभी पर लागू होते हैं ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ काफी शिकायतें रहती हैं कि उससे लोगों को परेशान किया जाता है । तो क्या सरकार इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके उसका राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

इसको मैं उचित नहीं समझता ।

श्री मतोलासिंह—

टाउन एरिया के पास कितनी शिकायतें पहुंची हैं और किस बात की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

मुझे १९ शिकायतें बतायी गयी हैं कि वे चेयरमैन के पास आई थीं ।

श्री मतोलासिंह—

उसमें क्या हो रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

उनकी जांच की गयी और समाधान किया गया ।

श्री मतोलासिंह—

सन् १९६२–६३ में टाउन एरिया ने २५ हजार का टैक्स लगाया । उसको तहसीलदार ने नामंजूर करके ४८ हजार कर दिया । तो मंत्री जी यह बता दें कि १९६२–६३ में कितना टैक्स है और १९६३–६४ में टाऊन एरिया ने कितना लगाया और फिर उसको तहसीलदार ने बढ़ाकर कितना कर दिया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

मैं इस प्रश्न को ठीक से समझा नहीं। मेरे पास जो सूचना १९६२–६३ की है उसमें यह है कि उसमें पहले २५ हजार ६५४ रुपये का टैक्स था जो बहुत कम था और उसकी तहसीलदार की मार्फत फिर से जांच कराई गयी और वह फिर ४८,१०४ हो गया। जिलाधीश से भी इसकी स्वीकृति हो गयी है। अब अगर किसी को आपत्ति होगी तो वे अपील कर सकेंगे और उसकी जांच हो जायेगी।

श्री राजेन्द्रसिंह—

यह बताया गया कि ठेकेदारी से ज्यादा आमदनी होती है और कर्मचारियों द्वारा कम। तो इन कर्मचारियों को हटाकर क्या सरकार सब जगह ठेकेदारी प्रथा को लागू करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

जहां ठेकों से ज्यादा आमदनी होती है, वहां इस बात की भी सूचना मिली है कि कहीं-कहीं इससे कम आमदनी भी होती है। इसलिये जहां जैसी स्थिति होती है, वहां वैसा ही किया जाता है।

गोरखपुर क्षेत्र के मार्केटिंग अंग में अस्थायी कर्मचारी

*६—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि खाद्य एवं रसद विभाग गोरखपुर रीजन के कर्मचारियों की संख्या १ जनवरी, १९६२ को कितनी थी और इसमें से कितने स्थायी और कितने अस्थायी थे ?

खाद्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

गोरखपुर रीजन में १ जनवरी, १९६२ को केवल मार्केटिंग अंग के कर्मचारियों की संख्या ४४९ थी। यह सभी कर्मचारी अस्थायी थे।

*७—श्री बांकेलाल—

उपरोक्त स्थायी कर्मचारियों का प्रतिशत अस्थायी कर्मचारियों से कितना कम है और क्या यह सही है कि स्थायी कर्मचारी अभी उस प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाये हैं, जो सरकार के घोषित नीति के अनुरूप है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

प्रश्न नहीं उठता।

*८—श्री बांकेलाल—

क्या सरकार कृपया ऐसे कर्मचारियों की संख्या बताने की कृपा करेगी जिनकी सेवाएं विभाग में १० वर्ष से अधिक हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

गोरखपुर रीजन में केवल मारकेटिंग अंग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या १५२ है तथा समस्त प्रदेश में ५३४ है।

श्री बांकेलाल—

खाद एवं रसद विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या, मार्केटिंग के सेक्शन को लेकर, कितनी है ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

यह प्रश्न उस दिन आया था। मार्केटिंग अंग में केवल रीजन है, सप्लाई में प्रान्त भर का लिया जाता है। उसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री होरीलाल यादव—

जो ११० कर्मचारी १० साल से अधिक से काम कर रहे हैं उन्हें मुस्तकिल न करने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

विभाग ही टैम्पोरेरी था। ५९ से कुछ पदों को स्थायी करने की कोशिश की जा रही है।

श्री बांकेलाल—

जितनी स्थायी जगह हैं उन पर कर्मचारियों को स्थायी न करने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह विभाग ही स्थायी नहीं। सन् १९५९ से जबसे कि आशा की जाने लगी कि इसमें कुछ काम चलेगा तब से स्थायी करने के लिये कुछ प्रतिशत मुकर्रर कर दिया गया है और अब उनके नामों को ढूंढ़ा जा रहा है जो सीनियर हैं और जिनका हक है।

श्री कल्पनाथसिंह—

जो परमानेन्ट जगह गवर्नमेंट के आर्डर से एंग्जिस्ट हुई हैं उन पर जो सीनियारिटी लिस्ट पहले से मौजूद है उसके आधार पर उनको परमानेन्ट घोषित करने में क्या दिक्कत है और वे जगह गोरखपुर रीजन में कुल कितनी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चूंकि पब्लिक सर्विस कमीशन से बातचीत करनी पड़ती है और पुरानी लिस्टों में कुछ गड़बड़ी थी, उन्हें ठीक किया जा रहा है, उम्मीद है कि ४,५ महीनों में लोग परमानेन्ट हो जावेंगे।

श्री कल्पनाथसिंह—

परमानेन्ट पोस्ट कितनी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कुल कर्मचारी ४४९ हैं, इनमें से ४३५ की जगहें टैम्पोरेरी हैं और १४ जगहें परमानेंट की गयी हैं, १० वर्ष से अधिक की नौकरी वाले गोरखपुर रीजन में इंस्पेक्टर ६२, मिनिस्टेरियल ३३ और इनफीरियर ५७, कुल १५२ हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन १५२ को सबको परमानेंट करने जा रहे हैं या अभी कुछ कमी बेशी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गोरखपुर के १४ कर्मचारी परमानेन्ट होंगे कामदार को लगाकर अर्थात् सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर १ होगा, मार्केटिंग इंस्पेक्टर ३ होंगे, सैकिन्ड ग्रेड क्लर्क १, थर्ड ग्रेड क्लर्क १ और फोर्थ ग्रेड क्लर्क ३ होंगे, आफिस पियुन ४ होंगे, कामदार १ होगा, कुल १४ होंगे।

श्री कल्पनाथसिंह—

सन् १९५९ से जगह एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी बढ़ोत्तरी भी सरकार ने पिछले वर्ष की। वे जगह इस समय कुल कितनी परमानेन्ट एग्जिस्ट करती हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

टोटल जो मैंने बतलाया, अब तक की पोजीशन यह है।

श्री कल्पनाथसिंह—

ये १५२ कर्मचारी परमानेंट करने में सरकार को क्या दिक्कत है जिन्होंने १० वर्ष से ज्यादा की सेवाएं लगातार इस विभाग को दी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पैसे की कमी और क्या हो सकता है ?

वाराणसी जिले में ईंट के भट्ठे

*९—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में जिला निर्माण परिषद् के जो भट्ठे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये खोले गये हैं, उन भठ्ठों को खोलते समय स्थानों का चुनाव करने में पूरे जिले की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

माननीय सदस्य का अभिप्राय किस संस्था से है यह स्पष्ट नहीं है । जिला निर्माण परिषद् ऐसी किसी संस्था का जिले में होना प्रतीत नहीं होता अतएव प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*१०—श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित)—

जिले में कुल कितने ग्रामीण भट्ठे इस समय चल रहे हैं ? विगत वित्तीय वर्ष में उन्हें अलग-अलग कितना कोयला दिया गया और उन्होंने अलग-अलग कितनी ईंटें तैयार कीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिले में कुल १७६ ग्रामीण भट्ठे इस समय चल रहें हैं इन में से ११५ अस्थायी हैं जिनको कोयला जिले के कोटे से नहीं मिलता, शेष ६१ भट्ठों को विगत वित्तीय वर्ष में अलग अलग जितना कोयला दिया गया उसकी सूचना† संलग्न है । ईंटें अलग अलग कितनी तैयार हुईं इसकी सूचना नहीं है लेकिन १ वी० जी० वैगन में १ लाख ईंटें प्रायः तैयार होती हैं । उसके आधार पर ईंटें तैयार होने की अनुमानित संख्या तालिका में दे दी गई है ।

*११—श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या निर्माण परिषद् कुछ स्थानों की असुविधा को ध्यान में रख कर कुछ और भट्ठे खोलने का विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला निर्माण परिषद् जैसी कोई संस्था न होने के कारण उसके द्वारा भट्ठे खोलने का प्रश्न नहीं उठता ।

विश्नुपुरी कालोनी, अलीगढ़ में भवन निर्माण

*१२—श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ नगरपालिका विश्नुपुरी कालोनी से हाउस टैक्स वसूल करती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

जी हां ।

*१३—श्री शिवदानसिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि विश्नुपुरी कालोनी में तमाम भवनों का निर्माण अलीगढ़ नगरपालिका की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने पर हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

नई विश्नुपुरी कालोनी मार्च, १९५५ के उपरान्त अलीगढ़ नगरपालिका की सीमा में आयी है । इससे पूर्व उक्त कालोनी के भवनों के नक्शे वहां की सोसाइटी पास करती थी, किन्तु मार्च, १९५५ के उपरान्त वे सोसाइटी से पास कराके नगरपालिका से पास कराये जाते रहे हैं । बहुत से भवन बिना आज्ञा भी बने हैं ।

---

†छापी नहीं गई ।

*१४—श्री शिवदानसिंह—

क्या यह सही है कि अब अलीगढ़ नगरपालिका ने उपरोक्त कालोनी में भवन निर्माण की स्वीकृति देना बन्द कर दिया है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

कुछ समय पहले नगरपलिका ने इस कालोनी के नक्शे पास करने बन्द कर दिये थे, क्योंकि वह अप्रूव्ड कालोनी (Approved colony) नहीं थी। नगरपालिका के अवक्रमण के बाद अब इस कालोनी को एप्रूव्ड घोषित कर दिया गया है और उसके नक्शे पुनः नगरपालिका से पास हो रहे हैं।

वनकस घास से आय

*१५—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैपाल सरहद से मिले हुये पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों से कागज बनाने के किस्म की घास से कितनी आय द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल से १८ फरवरी, १९६३ तक प्राप्त हुई, उसमें कितनी टन घास बाहरी प्रदेशों को निर्यात की गई है ?

वन मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

नेपाल सरहद से मिले हुये पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों से कागज बनाने की किस्म की घास अर्थात् बनकस से द्वितीय पंच वर्षीय योजना के कार्यकाल से १८ फरवरी, १९६३ तक २,७३,३५१ रुपये की आय हुई।

इस घास का विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा किया गया है और उत्तरी गोंडा वन खंड को छोड़कर अन्य वन खंडों में स्थानीय क्रेताओं (ठेकेदारों) ने ही क्रय किया है और अधिकांश घास स्थानीय लघु उद्योगों में ही प्रयोग हुई है। अतः यह बताना कठिन है कि कितनी टन घास बाहरी प्रदेशों को निर्यात हुई है। उत्तरी गोंडा वन खंड में समस्त वनकस का ठेका गोपाल पेपर मिल, जगाधरी ने ही लिया है और १९५६–५७ से १८ फरवरी, १९६३ तक कुल पैदावार ६०० मैट्रिक टन हुई है और यह कुल घास उत्तर प्रदेश से बाहर अर्थात् जगाधरी को निर्यात हुई है।

श्री शांतिचन्द्र शुक्ल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का आपने जो टोटल बताया, उसके अलग-अलग जिलों का ब्योरा क्या है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, वन विभाग का सैट-अप जिलों के आधार पर न होकर डिवीजन और सर्किलों के आधार पर है। मैं डिवीजन के हिसाब से बता रहा हूं—

डिवीजन	आमदनी (रुपये में)
गोरखपुर	७,०३५
बहराइच	५,१८१
उत्तरी गोंडा	१८,९३५
दक्षिणी खीरी	९१,७४०
पीलीभीत	१,४८,४६०

दक्षिणी गोंडा और उत्तरी खीरी में कतई नहीं।

श्री शांतिचन्द्र शुक्ल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह घास कागज बनाने के अलावा और किसी काम में भी इस्तेमाल हो सकती है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

रस्सी बनाने और चटाई बनाने के काम में लायी जाती होगी ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---

जब इतनी मात्रा में प्रदेश में कागज की कमी है तो क्या यहां पर कोई कारखाना खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

केवल इस घास के बल पर कोई नया कारखाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन प्रदेश में जो कागज के कारखाने हैं उनको घास दी जाती है ।

श्री शांतिचन्द्र शुक्ल---

क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि किस प्रकार से इस घास का उपयोग अधिक से अधिक प्रदेश में ही हो जाय ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

प्रदेश में जो मिलें हैं उनको भी दिया जाता है और बाहर भी जाता है ।

श्री अध्यक्ष---

उनका कहना यह है कि जब घास हमारे यहां पैदा होती है तो बजाय इसके कि उसको दूसरी जगह भेजा जाय, अपने प्रदेश में ही उसका इस्तेमाल कराकर क्यों नहीं उससे लाभ उठाया जाता है और यहीं एक कागज की इंडस्ट्री क्यों नहीं खोली जाती है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

मेरी सूचना तो यह है कि इतनी घास हमारे पास नहीं बचती है कि अलाहदा से पेपर मिल खोली जा सके ।

श्री गंगाप्रसाद---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो घास दूसरे प्रदेश को कागज बनने के लिये भेजी जाती है, क्या वह रस्सी बनाने के काम भी आ सकती है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

अध्यक्ष महोदय, सरकार उस घास को बाहर नहीं भेजती है । सरकार तो नियमों के अनुसार उसका आक्शन करती है । जो मिल ज्यादा बोली बोलती है उसको दे दी जाती है ।

श्री गंगाप्रसाद---

प्रदेश में लाखों आदमी बेकार हैं इसलिये क्या सरकार कोई रस्सी का कारखाना खोलने की कृपा करेगी क्योंकि घास के आक्शन में कीमत कम आ पाती है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

अगर माननीय सदस्य लिखकर भेज देंगे तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री शांतिचन्द्र शुक्ल---

यह घास जो प्रदेश के बाहर जगाधरी चली जाती है, क्या सरकार किसी ऐसे उपाय पर विचार करेगी कि प्रदेश के अन्दर की मिलें ही उसका उपयोग करें और प्रदेश में ही इसकी खपत हो जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---

अभी कहा गया कि घास सरकार द्वारा प्रदेश के बाहर भेजी नहीं जाती है बल्कि नीलाम द्वारा घास बेंची जाती है । अपने यहां की मिलें सस्ते दाम पर घास लेना चाहती हैं जब कि बाहर की मिलें अधिक दाम देती हैं । इस तरह से घास का दाम भी हमें ज्यादा मिल जाता है और कागज भी सस्ता मिलता है, तो इसमें दोष की क्या बात है ?

श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो घास पैदा होती है उसके अलावा और भी सामान यहां है जैसे गन्ने की खोई, धान की भूसी या जड़हन की डंठल, जिनको मिलाया जाय तो एक बहुत बड़ा उद्योग यहां कायम हो सकता है ? यदि हां, तो सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार करेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह सवाल तो इससे उठता नहीं है, क्योंकि यह जंगल की घास है ।

श्री अध्यक्ष—

कह दीजिये की सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इतनी घास हमारे यहां नहीं मिलती कि एक नयी मिल खोली जाय, तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेश को कितनी घास भेजी जाती है और एक मिल की स्थापना के लिये कितनी घास होनी चाहिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बाबर घास जिससे कागज बनता है, स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को भी दी जाती है । उसका एरिया रिजर्व है । बाकी का ठेका होता है, ठेके में जो ज्यादा बोली बोल ले ।

श्री अध्यक्ष—

आपने उत्तर दिया कि इतनी मात्रा में यहां घास नहीं पैदा होती जिसके द्वारा अलग से यहां एक इंडस्ट्री कायम हो । तो इनका प्रश्न यह है कि आखिर कितनी मात्रा में घास यहां उगती है जो बाहर भेजी जाती है और कितनी घास हो तो एक इंडस्ट्री कायम हो सकती है अगर इसकी जानकारी हो तो दे दें ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

[१ अप्रैल, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

[८ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

सीमेंट का कोटा बढ़ाने की मांग

*२—श्री सत्यनारायण पांडेय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जिले को सीमेंट का कोटा उसकी जन-संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है अथवा निर्धारण का और कोई आधार है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

प्रदेश के प्रत्येक जिले के सीमेंट का कोटा उसकी जनसंख्या तथा उसके विकास व निर्माण-कार्यों की मांग के आधार पर निर्धारित किया जाता है ।

*३—श्री सत्यनारायण पांडेय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् १९६३ में सीमेंट के कोटे का निर्धारण कटौती करके कोई नया कोटा किया गया है ? यदि हां, तो प्रदेश के प्रत्येक जिले के कोटे की तालिका जनवरी, सन् १९६३ और दिसम्बर, सन् १९६२ की देने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

भारत सरकार ने जनवरी, सन् १९६३ से सीमेंट के कोटे में कटौती करके इस प्रदेश के लिये नया कोटा निर्धारित किया है। कोटा तिमाही एलाट होता है। अतः अक्टूबर-दिसम्बर, १९६२ और जनवरी-मार्च, १९६३ के कोटों की दो तालिकायें संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७११-७१२ पर)

श्री सत्यनारायण पांडेय--

सरकार ने बतलाया कि जनसंख्या और निर्माण के कार्यों को देखकर ऐसा करते हैं, फिर भी हर जिले में बराबर इसकी कमी बनी रहती है, तो इसकी पूर्ति के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखते रहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

प्रदेश की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि कोटा बढ़ा दिया जाय अथवा निकट भविष्य में बढ़ाने की कोशिश करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं कह चुका हूं कि हम बार-बार उनको लिख रहे हैं, क्योंकि कोटा बढ़ाने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही निर्भर है और वह उन्हीं के अधीन है।

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, बस्ती और देवरिया इन तीन जिलों की आबादी प्रदेश में अत्यधिक है, फिर भी इनका कोटा अन्य जिलों से कम है, सन् १९६२ में भी और १९६३ में भी, इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उनके निर्माण-कार्यों में अपेक्षाकृत अन्य जिलों से कमी होगी।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)--

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि कोटा जो फिक्स किया जाता है वह विकास के कार्यों को देखते हुये और जनसंख्या को देखते हुये किया जाता है। तो मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि वह इन दोनों फैक्टर्स के अनुसार कैसे फैसला करते हैं ? एक चीज को देखकर तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों को देखकर वह कैसे निश्चय करते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

चूंकि विशेष रूप से निर्माण-कार्यों के लिये पी०डब्लू० डी० को अलग दे दिया जाता है। मेटीरियल रिसोर्सेज कमेटी के द्वारा प्लानिंग में अलग दिया जाता है और इस तरह से जितने आवश्यकीय विभाग हैं उनको अलग से दिया जाता है और केवल जी० ए० डी० जनरल पब्लिक का और लोकल सेल्फ बाडीज का रह जाता है और उसमें से हम तमाम जिलों को बांट देते हैं और उसको गत वर्षों के अनुपात से घटाते बढ़ाते रहते हैं। उसमें हम विशेष तौर से इस बात को ध्यान में रखते हैं कि देहाती क्षेत्र में पक्के मकानों के लिये गांव के लोगों की अधिक मांग है और उसके लिये रखते हैं। वैसे २५ प्रतिशत हम निर्माण-कार्यों के लिये जो जरूरत होती है, तो उस में बढ़ा देते हैं।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट का जो कोटा जिलों को मिलता है उसके वितरण का जो पहले सिद्धांत था, उसमें उन्होंने कोई परिवर्तन संकटकालीन स्थिति के कारण किया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उसमें हमने पहले यह किया था कि डिफेंस के कामों के लिये ज्यादा पूल रखा जाय। फिर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कहा कि डिफेंस के लिये हम देंगे इसलिये अब हम सिविल डिफेंस के लिये थोड़ा रख लेते हैं और अब इसकी आवश्यकता ज्यादा मालूम नहीं होती, क्योंकि २५ प्रतिशत जनरल कोटा में से हर जिले को देते हैं, कुओं के लिये, नहरों के लिये और गूलों के लिये और प्लानिंग के कामों के लिये ज्यादा जरूरत होती है तो जी० ए० डी० कोटा में से प्राथमिकता दी जा सकती है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड के जिलों में जालौन बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है और वहां की आबादी बहुत कम है तो क्या इस आधार पर वह जालौन जिले का कोटा बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हम तो चाहते हैं कि हर जिले का कोटा दुगुना हो जाय और अगर अधिक आयेगा तो जरूर देंगे।

श्री कल्पनाथसिंह—

इस बात को देखते हुए कि गोरखपुर का कोटा एरोड्रोम को लेकर १६०० टन के करीब ही है जबकि २४०० टन इससे पहले ही था, तो क्या मंत्री जी गोरखपुर के लोगों की मांग की पूर्ति करने के लिये वहां का कोटा बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो एडजस्टमेंट होता रहता है, जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार कार्य किया जाता है।

श्री कल्पनाथसिंह—

इसकी जांच कराइये कि वहां आवश्यकता ज्यादा है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आवश्यकता तो सब जगह है, लेकिन अगर वहां बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो विचार किया जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या रसद मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान रखते हुये कि सहारनपुर में प्रदेश के अन्दर सब से अधिक मकान निर्माण हो रहे हैं और वहां का कोटा घटा दिया गया है, क्या वह उसको फिर बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वह गोरखपुर से आबादी में कम भी तो है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि सूबे के अन्दर सब से ज्यादा मकान निर्माण का कार्य सहारनपुर में ही हो रहा है और वहां इसी कारण से मकानों के नक्शे नहीं लिये जा रहे हैं, तो क्या वहां के लिये कोटा बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने तो कहा कि हम सब जगह का बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वह बढ़े कैसे ?

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

इस बात को देखते हुये इटावा में प्रोजेक्ट सबसे पहले आरम्भ हुई थी और वहां निर्माण के काम भी अधिक हुये हैं और वहां सीमेंट की अधिक आवश्यकता है, क्या मंत्री जी वहां का कोटा अधिक बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां-जहां स्पेशल चीजें होती हैं उनके लिये निर्धारित कोटा से कुछ एक्सट्रा दे देते हैं।

श्री अष्टभुजा (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में जो बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र थे वहां पर नये मकान बन रहे हैं और जो गिर गये थे उन दोनों के लिये सीमेंट कोटा देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आपका मतलब स्पेशल कोटा से है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उसके लिये स्पेशल दिया था और सूचना की आवश्यकता है कि मिला कि नहीं ।

श्री राजेंद्रसिंह—

मैं वितरण के संबंध में जानकारी चाहता हूं । इस बात को देखते हुए कि प्लानिंग का कोटा ब्लाक से बंटता है और जनरल कोटा तहसील या डी० एस० ओ० के कार्यालय से बंटता है । तो जनरल कोटा भी ब्लाक से बंटे ताकि लोगों को तहसील न जाना पड़े, इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह आर्डर्स हो चुके हैं।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

कुछ जिलों में आबादी के कारण सीमेंट का कोटा कम दिया गया है, तो क्या मंत्री जी उन जिलों में परिवार नियोजन के काम में ढिलाई देने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामायण राय—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो सिद्धांत मंत्री जी ने बताया है कि जनसंख्या और निर्माण-कार्यों के आधार पर हम कोटा निर्धारित करते हैं, लेकिन माननीय सदस्य अलग-अलग जिलों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या मंत्री जी सदन के समक्ष इस सिद्धांत के आधार पर विभिन्न जिलों का जो कोटा निर्धारित किया है उसका कोई ब्योरा देंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ब्योरा संलग्न है।

*४—श्री बेदराम (जिला एटा)—

[८ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

[८ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

झांसी डिवीजन में मनोनीत कारागार निरीक्षक

*७—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी डिवीजन में, जिला झांसी, जालौन, हमीरपुर तथा बांदा में सन् १९६०–६१ व सन् १९६१–६२ में कौन-कौन से व्यक्ति जेल निरीक्षक सरकार द्वारा मनोनीत किये गये, उनके निवास स्थान तथा नाम क्या हैं?

कारागार मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

१९६०–६१ में जो व्यक्ति मनोनीत जेल निरीक्षक रहे उनसे संबंधित सूचना संलग्न सूची "क" में दी गई है । १ अप्रैल, १९६१ से १५ फरवरी, १९६२ तक कोई गैर सरकारी

निरीक्षक नहीं रहा । १६ फरवरी, १९६२ से नई नियुक्तियां २ वर्ष के लिये की गई । उनसे संबंधित सूचना संलग्न सूची 'ख' में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७१३–७१४ पर)

*८—श्री शिवनाथ सिंह—

क्या कारागार मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त जिलों में जो मनोनयन किया गया है उसका आधार क्या है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

ये नियुक्तियां जेल मैनुअल के पैराग्राफ ६६९ (बी) में उल्लिखित नियम के अन्तर्गत की गई थीं ।

मुसाफिरखाना तहसील में फतेहपुर ग्राम की वन विभाग में जमीन

*९—श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले के फतेहपुर ग्राम, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में कितनी भूमि वन विभाग में ली गयी है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ग्राम फतेहपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर में कुल १०७ एकड़ भूमि वन विभाग के अन्तर्गत है ।

*१०—श्री रामबली मिश्र—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि उस ग्राम के मजरे रंगवा और पांडे के पुरवा के लोग वन क्षेत्र से बिलकुल घिर गये हैं उन्हें या उनके जानवरों के निकलने का कोई भी मार्ग नहीं है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उक्त ग्राम के मजरे रंगवा वन कम्पार्टमेंट नं० १ के उत्तर पूर्व में वन विभाग के रकबे के बाहर स्थित है, अतः उसके घिरने का कोई प्रश्न नहीं उठता । पांडेय के पुरवा कम्पार्टमेंट नं० २ व ३ के बीच वन विभाग के रकबे के बाहर, कम्पार्टमेंट नं० २ के पूर्व तथा कम्पार्टमेंट नं० ३ के दक्षिण में स्थित है, अतः इसके भी घिरने का कोई प्रश्न नहीं उठता । ग्रामवासियों तथा उनके पशुओं के जाने आने के लिये १२ फीट चौड़ा रास्ता है ।

*११—श्री रामबली मिश्र—

रंगवा के किसानों के लगाये हुये वृक्ष जो आम और महुआ के हैं, वन विभाग द्वारा बिना मुआवजा दिये ही ले लिये गये और पांडे के पुरवा में एक साधु की कुटिया लेकर उसे निकाल दिया गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जहां तक मजरा रंगवा के किसानों द्वारा लगाये गये आम व महुआ के वृक्षों का प्रश्न है, वे वृक्ष वन विभाग की भूमि में है, अतः मुआवजा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता । साधु की कुटिया वन भूमि में थी, अतः उसे खाली कर देने को कहा गया है ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

मंत्री जी बतायेंगे कि जो गांव वन क्षेत्र से घिर गये हैं उन गांव वालों को कोई रास्ता देने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जिन गांवों का जिक्र है उसका उत्तर दे दिया है कि कोई नहीं घिरा, और जहां पर वन की भूमि आती है उस एरिया में उनके लिये १२ फीट चौड़ा रास्ता छोड़ दिया गया ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

उसी एरिया में एक साधू की कुटिया बगैर मुआवजा के वन विभाग ने लेली है तो वन मंत्री उस कुटिया को वापस करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरिदत्त कांडपाल—

ली नहीं है, लेकिन कुटिया छोड़ देने को कहा है, क्योंकि वन विभाग की भूमि है ।

छंगा का पुरवा, शंकर के पुरवा में मकान गिराने की शिकायत

*१२—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि छंगा का पुरवा, शंकर का पुरवा सन्निकट गोमती सदन, खलायक बाग, गोलागंज में नगर महापालिका द्वारा बलपूर्वक वहां की बस्ती गिराये जाने के सम्बन्ध में वहां के निवासियों ने कोई प्रार्थना-पत्र पिछले अप्रैल, १९६२ एवं स्मरण-पत्र, दिनांक ४ मार्च, १९६३ को सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और देरी का क्या कारण है तथा कब तक उन निवासियों को भूस्वामित्व रिलीज करने के आदेश दिये जायेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

जी हां। प्रार्थना-पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही की गई है और प्राप्त सूचना के अनुसार यह मालूम हुआ है कि छंगा का पुरवा, शंकर का पुरवा, सन्निकट गोमती सदन, खलायक बाग, गोलागंज के आसपास की भूमि नजूल की है जो वहां के निवासियों को कृषि हेतु दे दी गई थी। उन निवासियों को भूस्वामित्व का अधिकार देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*१३—श्री बलवानसिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि सरकार को उक्त मामले के सम्बन्ध में वहां के निवासियों द्वारा भेजे गये प्रार्थना-पत्र का उत्तर स्वायत्त शासन मन्त्री के वैयक्तिक सहायक ने सन् १९५४ को वह सूचना दी थी कि इस मामले पर विचार हो रहा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या विचार हो पाया है तथा विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

ऐसा कोई पत्र अब उपलब्ध नहीं है ।

*१४—श्री बलवानसिंह—

क्या उन मकानों से घिरी हुई आस-पास की भूमि पर उन निवासियों का कोई अधिकार पाया जाता है और ६० वर्ष पूर्व से उनके अधिकार में उक्त जमीन के रहने के कारण उन्हें भूस्वामित्व के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो फिर उक्त मकानों को जबरदस्ती क्यों गिराया जा रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

इन मकानों से घिरी हुई आस-पास की भूमि नजूल की भूमि है और इन व्यक्तियों को भी खेती के लिये लीज पर दी गई थी जिसमें विशेष उपबन्ध था कि इस भूमि पर किसी प्रकार की इमारत अथवा कुंवा आदि नहीं बना सकते। अतएव उन्हें भूस्वामित्व का अधिकार देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस भूमि पर इन व्यक्तियों ने उपबन्ध के विरुद्ध मकान इत्यादि बना लिये हैं। लेकिन तब भी इन मकानों को महापालिका ने अभी तक नहीं गिराया है तथा प्रयास कर रही है कि ये लोग अपने स्ट्रक्चर्स (Structures) खुद वहां से हटा लें और महापालिका को कोई जबरदस्ती न करनी पड़े ।

श्री कमलासिंह यादव—

जो मकानात और कुवें हैं और उनको सौ, डेढ़ सौ वर्ष बने हो गये जब कि राइट आफ ईजमेंट ७ वर्ष बाद हो जाता और जिस वक्त ये मकान व कुवें बने उस वक्त सरकार ने कोई हस्तक्षेप या मनाही नहीं की तो अब उनके कुवें व मकान क्यों गिराये जा रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

जहां तक मेरी इत्तला है नजूल लैंड के ऊपर किसी को अधिकार नहीं होता एडवर्स पजेशन का । यह कानून की बात है और अदालत में तय होगी ।

नोट—तारांकित प्रश्न १२–१४ श्री कमलासिंह यादव द्वारा पूछे गये ।

श्री अध्यक्ष—

एडवर्स पजेशन तो गवर्नमेन्ट के खिलाफ भी हो जाता है ।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा कहना है कि १०० वर्ष पहले सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया और न मनाही की कि मकान और कुवें न बनाये जायं और लिमिटेशन भी पास कर गये तो इस वक्त सरकार को क्या हक है कि ऐसे मकान व कुवों को गिरवा दें ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

मैंने तो निवेदन किया कि अभी गिरवाने का निर्णय नहीं हुआ है । महापालिका कोशिश कर रही है कि जहां तक हो आपस में तय कर के हटा लें ।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह नजूल की जमीन इसके पूर्व उन व्यक्तियों को किस आधार पर दी गयी थी ? अगर पट्टे पर दी गयी थी तो उसका शर्तनामा क्या था और क्या उसमें कुयें और मकान बनाना यह सब शामिल था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

पट्टे की शर्त में सिर्फ इतना था कि वे कृषि कर सकेंगे । कुएं और मकान बनाने की इजाजत नहीं थी ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

१८६२ के प्रथम बन्दोबस्त में यह जमीन नजूल दर्ज नहीं है, क्या यह गलत है ? यदि यह सत्य है तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त भूमि को कब और कैसे नजूल घोषित किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

श्यामलाल जी, १८६२ में नजूल दर्ज नहीं है तो कब वह भूमि नजूल दर्ज हुई ?

श्री श्यामलाल—

श्रीमन्, सरकार ने जवाब दिया कि इन व्यक्तियों को खेती के लिये लीज पर वह जमीन दी गयी थी । लेकिन क्या सरकार को यह पता है कि इस भूमि के आसपास के सभी निवासी काश्तकार हैं ही नहीं और कृषि से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है ? क्या यह सत्य नहीं है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

कृषि नहीं कर रहे हैं, इसकी तो इत्तला हमारे पास नहीं है, लेकिन यह जमीन कृषि के लिए दी थी यह सही है, मकान बना लिये यह सही है, झगड़ा चल रहा है यह सही है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

सन् १९५४ में म्युनिसिपल बोर्ड ने बल प्रयोग द्वारा इन मकानों को गिराने की धमकी दी थी । उसके बाद वहां के रहने वालों ने मुकदमा दायर किया तो सिविल जज के यहां बोर्ड ने लिखित आश्वासन अदालत में दिया कि इन मकानों को नहीं गिराया जायगा । तो इस आश्वासन के बाद अब गिराने की क्या आवश्यकता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

मैंने तो अर्ज किया कि गिराने का सवाल मेरे सामने नहीं है । महापालिका ने कहा है कि हम इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं ।

नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों की सेवा के प्रान्तीयकरण पर विचार

*१५—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों की सेवा का प्रान्तीयकरण कब तक करने का विचार है तथा इस विषय में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों की सेवा का प्रान्तीयकरण कब तक हो जायगा यह बताना सम्भव नहीं है । प्रान्तीयकरण के प्रश्न पर यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में एक नया प्राविधान करने का प्रस्ताव है जिसके लिये एक नया संशोधन विधेयक तैयार किया जा रहा है ।

श्री ऊदल—

यह जो नया संशोधन विधेयक तैयार किया जा रहा है इसके तैयार हो जाने की कब तक उम्मीद है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

उत्तर में कहा है कि यह बतलाना मुश्किल है । हो ही जायगा ।

श्री ऊदल—

मेरा तात्पर्य नीचे वाले पोर्शन से है कि एक नया संशोधन विधेयक तैयार किया जा रहा है, यह कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

यही तो उत्तर मैंने दिया कि कब तक तैयार हो जायगा, कहना बड़ा मुश्किल है । इसमें अभी काफी दिक्कतें हैं। अभी वह केबिनेट में जायगा। उसके बाद फिर यहां लायेंगे और यहां कितना समय लग जायगा हम कुछ कह नहीं सकते ।

*१६–१७—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

[८ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१८—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

[८ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मैनपुरी जिले से गृह निर्माणार्थ ऋण सम्बन्धी पत्र

*१९—श्री राजेन्द्रसिंह, श्री बेदराम, श्री लोकपाल सिंह (जिला एटा) तथा श्री मुकुटबिहारी-लाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में सन् १९६२–६३ में मकान के लिये कर्जा लेने के सम्बन्ध में कितने प्रार्थनापत्र मध्यम आय वर्ग के आये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

कोई नहीं ।

*२०—श्री राजेन्द्रसिंह, श्री बेदराम, श्री लोकपालसिंह तथा श्री मुकुटबिहारीलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्र कितने नियमानुसार अपनी शर्त पूरी कर चुके और किन-किन के अधूरे, शर्त पूर्ण न होने के कारण पड़े हुये हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रश्न नहीं उठता ।

*२१–२२—श्री शिवनाथसिंह—

[८ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२३–२४—श्री विजयकुमार (जिला लखनऊ)—

[७ वें मंगलवार के लिये प्रश्न ६४–६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२५—कुंवर श्रीपालसिंह—

[९ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

नोट—तारांकित प्रश्न २० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*२६—श्री गणेशचन्द्र काछी—
[८ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री गणेशचन्द्र काछी—
[१ अप्रैल, १९६३ के लिये तारांकित प्रश्न २६ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

२—श्री नाथूराम शिक्षक—
[८ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बस्ती जिले में बूचड़खाने

३—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती) तथा श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के बाणगंगा (पूर्वी) निर्वाचन क्षेत्र में १९६२ के अन्त तक कितने बूचड़खाने सरकार द्वारा रजिस्टर्ड थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—
कोई बूचड़खाना रजिस्टर्ड नहीं था ।

४—श्री चन्द्रपाल तथा श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—
क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी सन् १९६३ में सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में कुछ अन्य बूचड़खानों को खोलने की अनुमति सरकार द्वारा दी गयी है ? यदि हां, तो कितने?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—
नया बूचड़खाना खोलने की अनुमति नहीं दी गई है ।

५—श्री चन्द्रपाल तथा श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—
मेरी इस सूचना को नोटिस मान कर कि उक्त बूचड़खानों को खोलने से क्षेत्र की जनता में घोर असन्तोष व्याप्त हो गया है ? तो क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—
प्रश्न नहीं उठता है ।

वाराणसी जिले में कोयले के लाइसेंसधार

६—श्री राम लखन वकील (जिला वाराणसी)—
क्या खाद्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय वाराणसी जिले एवं शहर में हार्ड कोक एवं साफ्ट कोक के कुल कितने लाइसेन्सी किन-किन स्थानों पर हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वाराणसी शहर में	५२
ज्ञानपुर तहसील में	३
चन्दौली तहसील में	२

७—श्री रामलखन वकील—
क्या खाद्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त लाइसेन्सों में से कितने लाइसेन्स १ जनवरी, १९६१ से ३१ जनवरी, १९६३ के बीच कब-कब किन-किन व्यक्तियों को दिया गया, उसके लिये इस अवधि में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तथा उसमें कितने लाइसेन्स हरिजनों को दिये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उपरोक्त लाइसेन्सों में से १ जनवरी, १९६१ से ३१ जनवरी, १९६३ के बीच ५ लाइसेन्स दिये गये । जिन-जिन व्यक्तियों को तथा जब-जब ये लाइसेन्स दिये गये उनकी सूचना निम्नलिखित है :

नाम	लाइसेन्स की तिथि
१—सर्वश्री श्रीनाथ सुरेन्द्र प्रसाद	२४-१-६१
२—श्री हरिदास	"
३—श्री राम स्वरूप सिंह	"
४—श्री ब्रह्मदेव दूबे	"
५—श्री देवी प्रसाद पासी	"

कुल १२५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा उसमें से १ लाइसेन्स हरिजन को दिया गया।

८—श्री रामलखन वकील—

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नये लाइसेंस उक्त अवधि में दिये गये उसके लिए कोई अवधि निश्चित थी तथा उसके लिए प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे तथा उसके देने का क्या आधार अधिकारियों ने नियत किया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

लाइसेन्स दिये जाने की कोई अवधि निश्चित नहीं थी बल्कि प्रार्थना-पत्र प्राप्ति की अवधि निश्चित थी। लाइसेंन्स देने के आधार निम्नलिखित हैं :

१—आर्थिक स्थिति ठीक हो।

२—व्यापारिक आचरण ठीक हो।

३—व्यापार की कुछ जानकारी हो।

जेल विभाग द्वारा ऊन की खरीद

९—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या कारागार मन्त्री दिनांक ११ फरवरी, १९६३ के प्रश्न संख्या २३ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष में दो लाख रुपये का ऊन खरीदा गया वह पिछले साल के रेट से खरीदा गया अथवा कुछ अन्तर है ? साथ-साथ यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५० से १९६२ तक किन-किन फर्मों से ऊन खरीदा गया ?

कारागार राज्य मन्त्री (श्री गोविन्दसहाय)—

दिनांक ११ फरवरी, १९६३ के प्रश्न संख्या २३ के उत्तर में जो दो लाख रुपये के ऊन की खरीद बतलाई गई थी वह इस वर्ष नहीं बल्कि सन् १९६२ में हुई थी। सन् १९६१ में ऊन १२२ रुपये २८ नये पैसे प्रति मन की दर से खरीदा गया और सन १९६२ में १३१ रुपये २८ नये पैसे प्रति मन की दर से ।

१९५० से १९६२ तक जिन-जिन फर्मों से ऊन खरीदा गया उनका नाम संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७१५ पर)

उझयानी—आंवला सड़क पर पेड़ काटने की शिकायत

१०—कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार जांच करने की कृपा करेगी कि उझयानी, जिला बदायूं से आंवला, जिला बरेली में जाने वाली पी० डब्लू० डी० की पक्की सड़क के हरे मजबूत बहुत वर्षों तक चलने वाले वृक्ष क्यों काटे जाते हैं ? क्या सरकार उनको काटे जाने से रोकेगी ?

११—कितने वृक्ष उक्त सड़क के कट गये और अभी कितने और कटने वाले हैं ?

१२—उक्त वृक्षों को कितने रुपये में नीलाम किया गया है।

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—
तीनों प्रश्नों की सूचना एकत्रित की जा रही है।

दुद्धी में लोहा, कोयला, सीमेंट की दुकान न होना

१३—श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)—
क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में कुल सीमेंट की कितनी दुकानें हैं और पहाड़ी क्षेत्र राबर्ट्सगंज, दुद्धी में कुल कितनी हैं ? अगर नगण्य हैं तो क्या सरकार उक्त तहसील में भी सीमेंट की दुकान खोल कर वहां के लोगों की सहायता करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—
मिर्जापुर जिले में कुल सीमेंट की २० दुकानें हैं। राबर्ट्सगंज में एक दुकान है, और दुद्धी में सीमेन्ट की दुकान नहीं है, राबर्ट्सगंज की दुकान से दुद्धी वाले भी सीमेन्ट प्राप्त करते हैं। १९६० में सीमेन्ट कम्पनी ने दुद्धी में एक स्टाकिस्ट (Stoekist) की नियुक्ति की थी लेकिन वह अभी तक दुकान न खोल सका यह दूकान शायद कुछ समय बाद खुल जाय।

१४—श्री रामनाथ पाठक—
क्या सरकार उक्त स्थान में लोहा, कोयला तथा सीमेंट की भी दुकानें खुलवाने का प्रबन्ध करेगी जिससे वहां के लोगों को भी उक्त सामान मिल सके जो जिला की दुकानों से १००–१२५ मील दूर हैं और दूरी के कारण उन्हें उक्त सामान नहीं मिल पाता ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—
लोहा, कोयला तथा सीमेन्ट की दूकान खुलवाने से सम्बन्धित सूचना निम्नलिखित है।

१—लोहा—प्रश्न विचाराधीन है।

२—कोयला—कोयले के अभाव के कारण डिपो खोलना अभी सम्भव नहीं प्रतीत होता।

३—सीमेन्ट—उपरोक्त प्रश्न सं० १३ में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

मेरठ शहर हलवाई यूनियन को साफ्ट कोक का लाइसेंस न मिलना

१५—श्री जगदीशशरण रस्तोगी (जिला मेरठ)—
क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मेरठ शहर में बूरा मिश्री एसोसिएशन को साफ्ट कोक का लाइसेन्स दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री यही सुविधा मेरठ शहर हलवाई यूनियन को भी प्रदान करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—
जी हां, मेरठ शहर में बूरा मिश्री एसोसिएशन को साफ्ट कोक का लाइसेन्स दिया गया है।

यह सुविधा मेरठ शहर हलवाई यूनियन को इस समय देना सम्भव नहीं है क्योंकि कोयले की सप्लाई की वर्तमान स्थिति अनुकूल नहीं है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास कई एक सूचनाएं आयी हैं। एक माननीय नाथूराम शिक्षक की है। मैंने उनसे बताया कि सूचना में उनका बड़ा अनिश्चित-सा प्रश्न है तो भी मैं माननीय मंत्री जी के पास भेजे देता हूं कि अगर कार्यवाही इस पर हो जाय तो ठीक है।

एक दूसरी आयी है माननीय मेवालाल जी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि २४ मार्च को सोरावां में ओले पड़े। तो मैं मंत्री जी के पास इसे भेज रहा हूं।

एक माननीय लखपतराम जी का नियम ५२ के अन्तर्गत है। इसके सम्बन्ध में अल्प-सूचित प्रश्न आ चुका है। इस वजह से इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

आपने ऐसा बताया था कि.....

श्री अध्यक्ष—

अल्पसूचित के साथ यह भी चला जायगा।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

जो आप ने नियम ५२ को स्वीकार किया है उसको पढ़ कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष—

कोई स्वीकार नहीं किया है।

एक माननीय गयाप्रसाद जी का है कि ग्राम धुनपई, थाना शिकोहाबाद में डाका पड़ा। डाके के बाद पुलिस पहुंची। अब, डाके के बाद तो पुलिस पहुंचती ही है। इसके पहले तो पहुंच नहीं सकती। (हंसी)

एक माननीय राजेन्द्रसिंह जी का है कि सरकार द्वारा उपभोक्ता सामग्री की मूल्य सूची अभी तक नहीं प्रकाशित की गयी है और न मूल्य ही निर्धारित किये गये हैं और इसी सिलसिले में बहुत गिरफ्तारियां हो रही हैं। उन्होंने लिखा है कि अंधाधुंध गिरफ्तारियों से प्रदेश में व्यापारिक स्थिति बहुत प्रभावित हो रही है। अब माननीय सदस्य अंधाधुंध को डिफाइन कर देते तो मैं विचार करता वरना सरकार से अनिश्चित बात का उत्तर नहीं मांगा जा सकता।

दूसरी बात यह है कि कानून के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है और उसके अन्तर्गत कार्यवाही होने में अगर किसी नियम या कानून की अवहेलना होती है और विशेषरूप से हुई है तो उसका उल्लेख हो जाता है और अधिकारी का नाम दिया जाता तब तो कुछ हो सकता था।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

श्रीमन्, असल में बात यह है कि उपभोग की वस्तुओं की लिस्ट दुकानदारों के पास नहीं गई है इसलिये कर्मचारी लोग.....

श्री अध्यक्ष—

आप इसकी डिटेल्स दे दीजिये, मैं मन्त्री जी के पास भेज दूंगा ताकि वह देख लें।

श्री राजेन्द्रसिंह—

बहुत अच्छा।

प्रश्नों के संबंध में आपत्ति

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मुझे अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के बारे में निवेदन करना था। मेरे कुछ प्रश्न अतारांकित बना कर भेज दिये गये। नियम ३० (४) में यह है कि अध्यक्ष जिनको महत्व का

न समझें उनको अस्वीकार कर दें या स्वीकार करते हैं और मंत्री जी उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो तारांकित प्रश्न कर के किसी भी कार्य सूची में पहले नम्बर पर रखे जायं। मगर मेरे प्रश्न महत्व के थे इसके लिये निवेदन करूंगा कि मैं उनको पढ़ दूंगा तो आप समझ लेंगे.....

श्री अध्यक्ष—

पढ़ने से लाभ नहीं होगा। आप मेरे पास आ जायं, मैं प्रश्न मंगा कर देख लूंगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—

बहुत अच्छा।

श्री कल्पनार्यसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं आप का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता था कि प्रत्येक सदस्य को तीन प्रश्न पूछने का अधिकार है। सदन में यह सवाल पहले भी उठाया गया और अब एक ऐसा मौका है कि सदन स्थगित होने जा रहा है तो प्रत्येक सदस्य के लिये कठिनाई होगी कि रोज रोज वह तीन सवाल भेजे। जो प्रथा चल रही है वह यह है कि सदस्य सवाल दे देते थे लेकिन वे सवाल प्रत्येक दिन तीन की संख्या में आते थे और सवाल देने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कम से कम यह आदेश दे दिया जाय कि जितने भी सवाल कोई सदस्य देना चाहे, कार्यालय को भेज दें और उन पर कार्यवाही होती रहे। इससे पहले भी कई बार चर्चा चली लेकिन छुट्टी के कारण टल गयी।

श्री अध्यक्ष—

आदरणीय सदन को मैं बता दूं कि मैं अनुभव कर रहा हूं कि जो डाक द्वारा प्रश्न आयें उनके संबंध में कुछ सोचूं कि तीन प्रश्न पर ही कनफाइन करना है या ज्यादा लेना चाहिये। आपकी आपत्ति यह है कि अनुचित होगा कि कोई माननीय सदस्य अगर ६ या ८ प्रश्न भेजना चाहें तो तीन चार लिफाफों में अलग-अलग दिन भेजें। असुविधा हो सकती है। इस पर विचार करेंगे और इसका कोई हल निकलेगा।

'आज' दैनिक में विधान सभा की कार्यवाही का गलत ढंग से प्रकाशन

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

श्रीमन्, नियम ५३ के अन्तर्गत जो हिन्दी पर चर्चा का विषय रखा गया था वह केवल चर्चा के लिये था न कि प्रस्ताव के लिये। लेकिन वाराणसी से जो निकला हुआ "आज" पत्र है, उसने २९ मार्च की प्रति में यह दिया है कि "अंग्रेजी विरोधी प्रस्ताव" इससे श्रीमन्, सदन को जो....

श्री अध्यक्ष—

इसको मेरे पास भेज दीजिये।

श्री राजेन्द्रसिंह—

इसमें श्रीमन्, सदन की कार्यवाही का गलत चित्र दिया गया है इससे प्रदेश में अनुचित वातावरण हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है, जो "आज" के यहां रिप्रेजेंटेटिव हैं वे इसको शुद्ध कर लें और नियम में बिलकुल निश्चित रूप से दिया हुआ है, नियम ५३ के अन्तर्गत कि कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जायगा। तो प्रस्ताव नहीं था केवल चर्चा थी, केवल चर्चा के लिए वह विषय रखा गया था। यह गलत छप गया है। कृपया इसका परिमार्जन कर दें।

श्री राजेन्द्रसिंह—

वोटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई थी।

श्री अध्यक्ष—

बिलकुल ठीक है। कुछ "नेशनल हेराल्ड" के सम्बन्ध में भी मेरे पास सूचना आयी है। कुछ गलतियां छप गयी हैं। तो नेशनल हेराल्ड के रिप्रेजेंटेटिव कृपया आफिस में देख लें। जो गलतियां हैं बता देंगे, उनका शुद्धि-करण कर दें।

विभिन्न समितियों के निर्वाचनार्थ प्राप्त नामों की वापसी की अन्तिम तिथि में परिवर्तन

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं एक जानकारी चाहता था। पहले चुनावों के लिए आज ही की तिथि निश्चित की गई थी लेकिन नया कार्यक्रम जिसे आपने निश्चित किया है उससे माननीय सदस्य अवगत नहीं हैं। मैं आप से जानना चाहूंगा कि आखिरी चुनाव के लिए कौन सी प्रक्रिया होगी, कब तक नामवापसी की तारीख होगी और कब चुनाव की तारीख होगी।

श्री अध्यक्ष—

परसों नरसों मेरे कमरे में बातचीत हुई थी—जहां तक मुझे स्मरण है माननीय टम्बेश्वरी-प्रसाद और आप तथा माननीय चन्द्रजीत जी थे—तो प्रश्न यह था कि पहली तारीख को चुनाव हो या न हो। यह प्रश्न आया, कि पहले यह तय हो जाय कि कांग्रेस पार्टी जरा सी उदारता दिखला दे। अपने कैंडीडेट्स जो जायद हैं, विथड्रा कर लें और विरोधी दल का जो कोटा है उसे छोड़ दिया जाय। उसके लिये हम बैठे और माननीय बनारसीदास ने आग्रह स्वीकार कर लिया फिर उस सम्बन्ध में यह बात नहीं हुई कि आज चुनाव न हो।

श्री रामायणराय—

शायद आपको स्मरण न हो। तय यह हुआ था कि नामों की वापसी पहली तारीख तक हो सकती है और ३ को चुनाव की तिथि रख दी जाय, अगर आवश्यक हो।

श्री अध्यक्ष—

मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

रामायणराय जी जैसा कह रहे हैं उस रोज भी यही निश्चय हुआ था कि पहली तक वापसी कर दी जाय और ३ तारीख को चुनाव किया जाय, और जिस प्रकार से अनुपात में सूची होनी चाहिये मैंने स्वीकार किया था लेकिन यह भी कहा गया था कि जो संगठित पार्टीज हैं वह भी अपने वापसी-पत्र दे दें, तब तो वापसी-पत्र लाने का लाभ है अन्यथा कोई लाभ नहीं।

श्री अध्यक्ष—

तो फिर आज निर्वाचन स्थगित। तीसरी तारीख को १२ से ५ बजे के बीच में एलेक्शन होगा। विथड्राल के लिये आज सायंकाल तक समय बढ़ाया जाता है, सदन की पूर्ण सहमति से।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, आपने बिना मेरे पूछे हुये आवास समिति में मेरा नाम रख दिया है जब कि हमारे कई ऐसे माननीय सदस्य हैं जो कि कमेटियों में १९६२ से आज तक सदस्य नहीं हैं। इसके सम्बन्ध में आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा नाम निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मुझे बहुत खेद है कि आप को इस कार्यवाही से असंतोष है। मेरा खयाल है कि मैंने प्रत्येक पार्टी से नाम मांगे थे। माननीय रामकिशोर जी के दो-तीन नाम आये हैं और किसी का आया नहीं। मुझे खेद है कि आप को तकलीफ हुई। मैं आप से बातचीत कर लूंगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—
उसमें से एक भी नाम नहीं रखा गया।

श्री अध्यक्ष—
मैं आप से जानना चाहता था कि क्या योग्यता है। उस समय आप मिले नहीं। मुझे यह मजबूरी हो गयी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—
आपने योग्यता का शब्द इस्तेमाल किया। सारी योग्यता को देख कर कमेटियां बनायी गयीं ?

लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा उप मंत्री (श्री केशभान)—
अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट में, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० की धारा १६ की उपधारा (१) के खंड ३ के मद (१६) के अनुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट के त्याग-पत्र देने के कारण रिक्त स्थान पर, विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट में, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० की धारा १६ की उपधारा (१) के खंड ३ के मद (१६) के अनुसार, विधान सभा द्वारा निर्वाचित सदस्य श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट के त्याग-पत्र देने के कारण रिक्त स्थान पर, विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—
अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसकी तिथि दोपहर बाद दो बजे निश्चित कर दूं ताकि इलेक्शन परसों नरसों तक हो जाय। (किसी के आपत्ति न करने पर) अच्छा, तो मैं इसको कर दूंगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—
हाउस का प्रोग्राम क्या है, पहले जो प्रोग्राम था.....

श्री अध्यक्ष—
वह अभी बतातें हैं।

निलम्बित सदस्यों का निलम्बन समाप्त करने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—
माननीय मुमताज मुहम्मद खां तथा माननीय कमलासिंह ने एक प्रस्ताव मेरे पास भेजा है—,वह इस प्रकार है"मैं निम्नलिखित प्रस्ताव आदरणीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदन में प्रस्तुत करता हूं—

यह सदन प्रस्ताव करता है कि जो माननीय सदस्य अभी तक सदन की सेवा से निलम्बित हैं उनका निलम्बन खत्म किया जाय।"

यह प्रस्ताव किसी भी समय आ सकता है, जैसा कि हमारे नियमों में है। मैं आदरणीय कमलासिंह और माननीय मुमताज मुहम्मद से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय नेता सदन मौजूद हैं। उनसे पहले बात कर लें और दो बजे इसे रखें तो अधिक सुन्दर होगा। (कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) अब इस पर वाद-विवाद होना तो ठीक नहीं मालूम होता है।

†उत्तर प्रदेश वृहत जोत कर विधेयक, १९६३*

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय माधो प्रसाद जी इस पर शायद उस दिन बोल रहे थे.....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

ऐसा था श्रीमन्, कि उस दिन यह सब काम स्थगित कर दिया गया था इसलिए कि वह वित्तीय ज्ञापन नहीं मिला था, मन्त्री जी ने कहा था कि वह हमें मिलेगा लेकिन वह अभी तक नहीं मिला।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—

वित्तीय ज्ञापन वहां पिजन होल्स में रख दिया गया था है। आप लोगों को मिल गया होगा।

श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, हम लोगों ने उन घोसलों में देखा, वहां हमें नहीं मिला।

(इसके लिये देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७१६ पर)

श्री अध्यक्ष—

अगर वह रख दिया गया है .....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

तो एक मिनट के लिये आप मुझे इजाजत दें, मैं जाकर ले आऊं। मैं अभी लेकर आता हूं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूं।

श्री अध्यक्ष—

मेरा सिर्फ एक निवेदन है, और वह कोई आदेश नहीं है, सिर्फ मेरी एक प्रार्थना है कि इमर्जेंसी की स्थिति से हम पूर्णतया निकले नहीं हैं। इसलिये मेरा बहुत ही साग्रह निवेदन है इस आदरणीय सदन से कि यथाशक्ति हम अपने कार्य को अगर अपने प्रोग्राम के अन्दर खत्म कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। वैसे जैसा आप उचित समझें, करें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, यह ज्ञापन अभी हम लोगों को नहीं मिला है। पिजन होल्स में यह हमें नहीं मिला। व्यवस्था यह हुई थी और माननीय मंत्री जी ने कहा भी था कि यह ज्ञापन वह सब को दे देंगे। लेकिन माननीय सदस्यों को वह अभी तक नहीं मिला है। तो चेयर की व्यवस्था का पालन क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

(श्री नेकराम जी से) आप तो मुझसे भी ज्यादा पुराने सदस्य हैं। एक नियम यह है कि अगर कार्यवाही वितरण की हो गई तो इस कारण से कि किसी को मसविदे की नोटिस नहीं मिली। कोई कारण नहीं होगा कि कार्यवाही बन्द की जाय।

श्री नेकराम शर्मा—

किसी को नहीं मिली।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

किसी-किसी को मिली होगी। मुझको तो नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—

अब ले लीजिये।

---

† २९ मार्च, १९६३ की कार्यवाही से।

*२ मार्च, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

जो मिली हैं वह पढ़ी भी नहीं जाती हैं ।

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव—

मेरे यहां से ६०० कापी हिन्दी की और ३०० कापी अंग्रेजी की असेम्बली डिपार्टमेंट को भेज दी गई है ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

श्रीमन्, झारखंडेराय जी ने एक सवाल पूछा था कि इस हफ्ते का असेम्बली का कार्यक्रम क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

वह अभी बता रहे हैं । इस ज्ञापन के विषय में उन्होंने एक वाक्य लिखा है कि विधेयक की योजना के अन्तर्गत कार्य संचालन हेतु २,७३,००० रुपये का व्यय आंका जाता है जिसमें १९६३–६४ के बजट में प्रस्तावित १,४८,१०० रुपये का व्यय भी शामिल है । यह आवर्त्तक व्यय है । अनावर्त्तक व्यय के लिये इसमें लिखा है कि फार्म तथा कागज पर ३०,००० रुपये के व्यय का अनुमान है ।

आगामी कार्यक्रम के संबंध में सूचना

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, २९ तारीख को आपकी अनुमति से सदन के अन्दर एक घोषणा की गई थी जो कार्य-मन्त्रणा समिति के प्रस्ताव के अनुसार थी । उसमें यह निश्चित किया गया था कि उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर विधेयक, १९६३ को २९ तारीख को पारित किया जाय । उस दिन वह पारित होना था । उसके बाद यह था कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल संशोधन (सदस्यों की उपलब्धियों का) विधेयक को १५ मिनट में पास किया जाय । उसके लिये केवल १५ मिनट थे । उसके बाद उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक था जिसके लिये यह निश्चय किया गया था कि इस पर सामान्य विवाद होगा आज और ४ तारीख को यह पूर्णरूप से पारित हो जायगा और ४ तारीख को यह सदन अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो जायगा । तो २९ तारीख को जोत-कर विधेयक को स्थगित होने की वजह से इस पर अवश्य यह विचार करना पड़ेगा । कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक होगी और यदि समिति ने यह निश्चय किया कि कर-विधि संशोधन विधेयक के लिये ३ दिन की आवश्यकता है तो ५ तारीख तक यह सदन चलेगा और अगर मन्त्रणा समिति इस बात पर सहमत हो गई कि इसके लिये २ दिन ही काफी है तो यह सदन ४ तारीख को खत्म हो जायगा ।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर विधेयक, १९६३—(क्रमागत)

*श्री कमलासिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९६३ जो सदन के सामने रखा गया है उसमें यह लिखा हुआ है कि यह आवश्यक है कि राज्य के वित्तीय साधनों की वृद्धि करने हेतु वृहत् जोतों पर कर लगाने की व्यवस्था की जाय । संविधान की धारा २४६ के अन्तर्गत सूची सप्तम के ८८ को देखा जाय तो उसमें यह लिखा हुआ है कि "कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में शुल्क" तो इस विषय में टैक्स लगाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है । "कृषि भूमि को छोड़ कर अन्य संपत्ति और उत्तराधिकार के बारे में शुल्क" इसका मतलब यह है कि जो कल्टीवेटेड लैंड हैं, एग्रीकल्चर संबंधी उस के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती । उसका अधिकार जो कुछ है वह हमारी प्रदेशीय सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

को है। लिस्ट २ में अगर श्रीमन्, देखेंगे ४६, ४७, ४८ और ४९ को, तो उसमें ४६ में है कृषि आय पर कर, ४७ में है कृषि भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क और ४८ में दिया है कृषि भूमि के विषय में संपत्ति शुल्क, और ४९ में भूमि और भवनों पर कर की व्यवस्था है। तो इस तरीके पर देखेंगे श्रीमन्, कि इसमें वृहत् जोतों पर कर की व्यवस्था कहीं नहीं है। ४६ में कृषि आय पर कर का जिक्र है। यानी कृषि से जो इन्कम होती है उस पर टैक्स लिया जा सकता है। लेकिन यहां इस विधेयक द्वारा वृहत जोतों पर कर लगाया जा रहा है। तो होल्डिंग पर कर लगाने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है, न उस संबंध में सरकार कोई कानून बना सकती है। सरकार केवल उन्हीं चीजों के लिये कानून बना सकती है जिनका कि उसमें जिक्र है। अगर ४७, ४८ को भी श्रीमन्, देखेंगे तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें होल्डिंग पर टैक्स यह सरकार लगा सके। श्रीमन्, मैं अधिक समय न ले कर सिर्फ इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई तर्क नहीं है और सदन को अधिकार नहीं है कि उस बारे में वह कोई विधि बना सके। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा श्रीमन् के द्वारा कि माननीय मंत्री जी इसको वापस लें क्योंकि सदन को अधिकार इस वृहत् जोतकर विधेयक लाने का नहीं है और न ऐसा कोई नियम या कानून वह बना सकता है।

दूसरी चीज यह है कि अगर आप एनुअल वैल्यू देखते हैं, तो यह एक दूसरे तरीके की चीज है। विस्तृत रूप में जो इन्कम होती है उस पर आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें इन्कम नहीं होती, उसमें आधार होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन के आधार पर आप नहीं कह सकते कि किसी होल्डिंग पर हम टैक्स लगा सकते हैं। आप विधेयक का शीर्षक देखें, उसमें साफ दिया हुआ है—वृहत् जोत-कर विधेयक। इसके ट्रान्सलेशन की जरूरत नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब हम होल्डिंग पर टैक्स नहीं लगा सकते, जैसा कि संविधान में दिया हुआ है, केवल उसकी आय पर हम कर लगा सकते हैं, तो यहां इन्कम का सवाल नहीं है। किसी किस्म की कोई भी होल्डिंग, चाहे वह कल्टीवेटेड हो या अनकल्टीवेटेड हो, उस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते और विधेयक में जोत पर ी टैक्स लगाने की बात है। तो उसके लिये कोई कानून यहां नहीं बनाया जा सकता। तो इन शब्दों के साथ में श्रीमन् का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह विधेयक जो सदन के सामने रखा गया है यह बिलकुल अवैधानिक है और किसी सूरत में इस सदन में इस के लिये कानून नहीं बनाया जा सकता और इसलिये इसको वापस किया जाय।

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह नम्बर ८८ का संबंध है सातवीं शेड्यूल के, उसका तो इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है। उसमें लिखा है कि:

"It is in respect of succession of property other than agricultural land"

तो ८८ के बारे में मैं समझ नहीं पाया कि उससे उनका क्या मतलब है, इसे कोट करने से।

श्री कमलासिंह यादव—

८८ के बारे में मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। आप ४६, ४७ और ४८ को देखें।

श्री अध्यक्ष—

मैं बतला दूं। उनका मतलब यह है कि ८८ आफ लिस्ट वन.....

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा मतलब ४६, ४७ और ४८ से है।

श्री अध्यक्ष—

वह लिस्ट २ में आते हैं। वह कहते हैं कि वहां पर यह अधिकार नहीं है कि आप जोतों पर अधिकर लगायें, बल्कि आय पर आप कर लगा सकते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर मेहरबानी कर के एक मिनट दे दें तो मैं अपनी बात सफाई के साथ कह सकूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि ४९ में दिया हुआ है कि भूमि और भवनों के मुताल्लिक, कि भूमि और भवन पर कर लगाया जा सकता है। तो इसमें भूमि का जहां तक संबंध है, ४६, ४७, ४८ में, वह डिस्टिंक्ट करता है कृषि भूमि और भूमि को। यह दोनों अलग-अलग चीजें हैं। भूमि के साथ और शब्द लगा हुआ है। भूमि और भवन लिखा हुआ है। तो जब तक भवन उसके साथ न हो तब तक ४९ में जो दिया है उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—

तो आपने यह एक्सप्लेन किया कि ४५ लैंड रेवेन्यू का है, ४६ टैक्स आन एग्रीकल्चरल इन्कम, और इसी प्रकार ४७ और ४८ हैं ....

श्री कमलासिंह यादव—

और उसमें अथवा शब्द नहीं है। उसमें और शब्द है। भूमि और भवन जब तक भवन से संलग्न भूमि नहीं है, तब तक आप कोई टैक्स नहीं लगा सकते। आप ४६, ४७, ४८, ४९ को देखें, उसके किसी के अन्दर यह विधेयक नहीं आ सकता। किसी किस्म का कोई कानून नहीं बनाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री से जब तक बहस होती है, आप फाइनेन्शियल स्टेटमेंन्ट देख लीजियेगा।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब २९ तारीख को माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि इस विधेयक पर कोई खर्चा नहीं होगा

श्री अध्यक्ष—

अब दूसरा प्वाइन्ट पेश है, उसको खत्म हो जाने दीजिये।

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

श्रीमन्, इसमें जो नम्बर ४६ है, टैक्स आन एग्रीकल्चरल इन्कम और ४९ टैक्स आन लैंड एन्ड बिल्डिंग्स टैक्स। आन लैन्ड में हर तरह की लैंड शामिल है। यह ४९ आ जाता है। दूसरा यदि देखेंगे कि जो इसमें हमने शेड्यूल लगाया है, उस ऐक्ट में यह जो अनुसूचित है, उसके अनुसार आप देखें कि कुछ रुपये के ऊपर जो इन्कम है, उसके ऊपर हमने लगाया है। उसको हम कैसे तय करेंगे। यह तो नहीं हो सकता है कि हर होल्डिंग की इन्कम जाकर अलग-अलग तौली जाय कि कितनी फसल हुई और फिर उसकी कीमत लगाई जाय। उसके लिये तो सिद्धांत बनाना पड़ेगा। एक उसूल हमने बनाया है हेरिडेटरी राइट का, कि उसके अनुसार इन्कम तय कर देते हैं। वास्तव में यह टैक्स इस होल्डिंग के ऊपर नहीं है। यह जो अनुसूचित है, उसके देखने पर पता चलेगा, एग्रीकल्चरल इन्कम के ऊपर है। हर सूरत में ४६ में आता है, ४९ में आता है। आप देखें कि यह स्टेट के अधिकार के अन्दर है, वह इसे पास कर सकती है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया था। हमने पहले एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाये, १९४८ में, और १९५७ में रिपील किया। होल्डिंग टैक्स में उसको सीलिंग में रिपील किया। यह उसके अधिकार के अन्दर है। इसलिये यह कहना कि यह अनकान्सटीट्यूशनल होगा और हमारे अधिकार के यह परे है, तो ऐसी बात सही नहीं है। यह कहना कि जो लैन्ड है, उसके मुताबिक सहन, जमीन जिसके ऊपर मकान खड़ा हुआ हो, मैं अर्ज करूंगा कि उस जमीन, मकान कि जिस पर खड़ा हुआ है, उसपर मकान और जमीन दोनों पर अलग-अलग टैक्स लगे, यह कभी भी विधान बनाने वालों की मन्शा नहीं हो सकती थी। यहां लैन्ड के माने उसी लैन्ड के हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो विवेचना की है, उसमें दो बातें गौर तलब हैं। पहले तो वार्षिक मूल्य उन्होंने निर्धारित किया है। उसमें दिया है कि जो लगान है, उसमें १२।। गुना कर देंगे और वैल्यूएशन मालूम हो जायगी। उसका मतलब यह है कि अगर उस मकान की मालियत लगाई जाय, तो उसमें यह होता है कि किराये का ४० गुना या २० गुना, कुछ ऐसे ही होता है कि जिससे किसी का मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन इससे यह नहीं किया जा सकता। इन्कम यह हुई। इन्कम में वेल्यूशन के अन्दर ही डिस्टिंक्शन है। मैं माननीय मंत्री जी जैसे विद्वान व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं करता हूं।

दूसरी चीज यह है कि जो उन्होंने ४६, ४९ का डिस्टिंक्शन किया है, जहां तक इस विधेयक का सवाल है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि वह "भूमि और भवन जिससे संलग्न ५ एकड़ भूमि हो" उसको वंचित कर दिया है। तो जहां तक ४९ का सवाल है वह तो नहीं आता क्योंकि उसमें "भूमि और भवन" है। "भूमि" का मतलब यह है कि वह भूमि जो भवन से संलग्न हो। और वह भूमि से भवन से संलग्न है वह ५ एकड़ तो आपने एक्जेम्प्ट कर दी। इसका मतलब यह है कि कोई भी भूमि यदि भवन से संलग्न नहीं है उसको डिस्टिंक्ट कर दिया गया है उस भूमि से जो भवन से संलग्न है। तो वह इस तरह पर ४९ के शिकंजे में आता नहीं है। सिर्फ ४६ के अन्दर आता है या नहीं यह एक सवाल सामने है। तो उसमें साफ लिखा हुआ है "कृषि आय पर कर"। तो आमदनी तो जब हम कृषि को बोते हैं और पैदावार को बेचते हैं उससे जो आमदनी होती है उसको आमदनी कहते हैं। "वार्षिक मूल्य" जो यहां पर लिखा गया है उससे मतलब इन्कम से तो नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—

उसको अब ज्यादा डेवलप न कीजिये। There Iagree.

श्री कमलासिंह यादव—

मंत्री जी बड़े विद्वान हैं, लेकिन वह ऐसा भूलभुलैया कर रहे हैं जिससे असल बात खब्त हो जाती है। मैंने जो बात रखी है वह बहुत ही उचित है।

श्री अध्यक्ष—

एक बात बता दीजिये। यह होल्डिंग्ज टैक्स पहले भी था और मेरा खयाल यह है कि ५, ७ वर्ष तक जब तक मैंने वकालत की, यह उस जमाने में तो कभी अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हुआ नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

इसके मुताल्लिक मुझे सिर्फ यह रिक्वेस्ट करनी है कि कोई भी गलत काम अगर हो गया और सदन की या कोर्ट की नोटिस में कोई आदमी न लावे तो इसके माने यह नहीं हैं कि उस गलत काम को हम कांटिन्यू करते जावें। मैं अब सदन की और श्रीमान की नोटिस में यह ला रहा हूं कि यह बिल बिल्कुल अवैधानिक है और न पास होना चाहिये और न कानून बनना चाहिये।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैं रूलिंग देने जा रहा हूं।

नियम १२५ के अन्तर्गत यह पुरःस्थापित हुआ था और पुरःस्थापना के जो हमारे नियम हैं वह यह हैं कि "यदि किसी विधेयक के पुरस्थापन करने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के पश्चात् बिना और वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेंगे।"

श्री कमलासिंह यादव—

अन्तिम निर्णय देने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिये। नियम १२५ के अन्तर्गत यह बात सही है लेकिन जहां तक ला का सवाल है....

श्री अध्यक्ष—

वह भी आयेगा। इसका एक परंतुक है, "परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाय कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी समता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्णरूपेण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेंगे।" तो मैं यह समझता हूं कि इस नियम का उद्देश्य है कि कांस्टीटयूशनल आब्जेक्शन अगर हो तो पुरस्थापना के समय होना चाहिये। अब प्रश्न यह आता है कि पुरस्थापना के समय अगर संवैधानिक प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय कैसे हो। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो सिर्फ प्वाइन्ट्स आफ आर्डर पर अपना निर्णय दे सकता हूं और वह यह कि कहीं पर नियमों की अवहेलना हो रही है या नहीं। प्वाइन्ट्स आफ आर्डर पर ही मैं अपना निर्णय दे सकता हूं और उस पर मेरे निर्णय सदन पर बाध्यकर हैं। लेकिन जहां पर कान्सटीटयूशनल प्रश्न होगा कि यह सदन की काम्पीटेन्सी में है या नहीं, तो यह विषय ऐसा है कि जिसके ऊपर इस सदन को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उस पर निश्चय करे, मैं उस पर निश्चय नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में मैं एक रूलिंग लोक सभा की पढ़ कर सुना दूं—यह है डिसीशन्स फ्राम दि चेयर १९५१–५७ आफ लोक सभा, पृष्ठ १७२—

"On the 23rd April, 1951, when the honourable Minister for Commerce and Industry moved that the Forward Contracts (Regulation) Bill be referred to a Select Committee, Shri Naziruddin Ahmad contended that the Bill was ultra vires of the Constitution and he continued opposing it on this ground even on the following day.

Thereupon the Minister for Commerce and Industry raised a point of order and enquired whether a long speech from the honourable Member, describing the Bill or certain provisions of it as ultra vires could be entertained at this stage in view of the fact that the Speaker had already ruled that such matters should not be discussed in detail in the House.

The Speaker observed :

"The position which I had made clear was that the question of ultra vires will not be decided by the Chair, but that it may be left to the House. If it comes to the conclusion that it is ultra vires, the House may reject the Bill. If the House accepts the Bill for consideration, then the party aggrieved has his remedy in the Supreme Court or other Court. Therefore, I said it was no use going in detail into questions of constitutional niceties, because after all these are things which can best be argued by lawyers, and it is not proper to take the time of the House over these long discussions of niceties."

अब यहां पर जो माननीय खेर साहब के समय की एक रूलिंग है, ९ जनवरी, १९५६ की, उसको भी पढ़ कर सुना दूं—

"९ जनवरी, १९५६ को उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५५ के अन्तर्गत एक संशोधन के सम्बन्ध में श्री नारायणदत्त तिवारी ने श्री अधिष्ठाता से प्रार्थना की कि 'आप संविधान के मूल रक्षक होते हुये इसे संविधान के विपरीत घोषित करें।' श्री अधिष्ठाता ने निम्न व्यवस्था दी—

'इस प्रकार के प्रश्न पर अदालत द्वारा ही निर्णय दिया जा सकता है, वह मेरे अधिकार से बाहर है कि यह निर्णय दूं कि कोई प्रश्न वैधानिक है या अवैधानिक है।'"

[श्री अध्यक्ष]

तो इस प्रकार के प्रश्न पर अदालत द्वारा ही निर्णय दिया जा सकता है, वह मेरे अधिकार के बाहर की चीज है कि मैं इस पर अपना निर्णय दूं।

लैंड टैक्स बिल पर भी माननीय कमलासिंह ने बड़ी विद्वतापूर्ण एक आपत्ति रखी थी और उस वक्त भी मैं आप से असहमत रहा और मैंने उस वक्त भी शायद यही रूलिंग दी कि यह प्रविष्टि ४९, अनुसूची २ और सूची ७ के अन्तर्गत इस सदन के अधिकार के अन्तर्गत है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने वैल्यूज को फिक्स किया है। जो पोजीशन है वह मैंने आपके सामने रख दी है। जिस वक्त विचार हो उस वक्त इस प्रश्न पर भी विचार कर लीजियेगा कि यह अनधिकार चेष्टा है या नहीं। अगर सदन इसको स्वीकार कर लेगा तो विधेयक को रिजेक्ट कर देगा।

श्री कमलासिंह यादव—

सदन पर बराबर स्ट्रिक्चर्स पास होते रहते हैं कोर्ट्स से और इसी कारण से बहुत से विधेयक अल्ट्रावायरस करार दे दिये जाते हैं। हम लोग इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते क्योंकि माइनोरिटी में हैं। मैं, सदन, आप व मुख्य मंत्री जी से केवल निवेदन ही कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मुझे विश्वास है कि सरकार भी अपने ला डिपार्टमेंट से इस बारे में पूछ लेगी। इस वक्त इस प्रश्न को समाप्त किया जाता है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारी जो प्रक्रिया नियमावली है उसके आप संरक्षक हैं। नियम ११७ के अन्तर्गत किसी भी बिल को पुरःस्थापित होना चाहिये। लेकिन अगर कोई धन विधेयक है तो उसके लिये तीन शर्तों का पूरा किया जाना नितान्त आवश्यक है—(१) राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करना, (२) वित्तीय ज्ञापन देना, ये दोनों शर्तें तो पूरी हो गयी हैं लेकिन तीसरी शर्त नियम १२१ (२) में दी हुई है। वह इस प्रकार है—

"विधेयकों के जिन खंडों या उपबन्धों में लोकनिधियों में से व्यय अन्तर्गस्त हो वे अपेक्षाकृत मोटे अक्षरों या वक्राक्षरों में छापे जायेंगे।"

तो जिन लोगों ने इन नियमों की रचना की है उन्होंने कुछ जान-बूझ करके ही की है। इस उपखंड २ को अनावश्यक रूप से नहीं जोड़ा है। तो जो भी विधेयक इस सदन के सामने पुरस्थापित किया जाय उसके पुरस्थापन से पूर्व माननीय मंत्री जी को यह देख लेना चाहिये कि वे शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं।

माननीय मंत्री जी ने सदन को यह भी बतलाया था कि इस बिल पर कोई खर्चा होने वाला नहीं है लेकिन आज मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि उसके लिये एक वित्तीय ज्ञापन रखा हुआ है। माधोप्रसाद त्रिपाठी जी ने कल यही तो कहा था कि बजट साहित्य के देखने पर मालूम होता है कि इस बिल पर कितना रुपया खर्च होने वाला है। इस प्रकार अगर इन बातों को नहीं देखा जायगा तो भ्रान्ति होगी। माननीय मंत्री जी को तो छोड़िये, यदि कोई माननीय सदस्य भी सदन को कोई गलत सूचना देता है तो वह विशेषाधिकार की सीमा में आ जाता है। मेरी ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन इस प्रश्न पर मैं सीधे-सीधे आप के द्वारा सरकार को आदेश दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में वह इन शर्तों को पूरा करे और आज जो मेरा आक्षेप है उसके सम्बन्ध में आप सदन को संतुष्ट करने की कृपा करें।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, १९ तारीख को ही मैंने निवेदन किया था कि इस बिल के सम्बन्ध में खर्चा होने वाला है। आज मंत्री जी ने जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है उसमें मंत्री जी ने बताया है कि कार्य संचालन हेतु २,७३,००० रुपया आंका गया है। इसके अतिरिक्त फार्म तथा कागज पर ३०,००० रुपये के व्यय का अनुमान है। आज तो खर्चे का ज्ञापन आ गया है जब कि २९ तारीख

को माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि खर्चा कतई नहीं होगा। ऐसी हालत में या तो माननीय मंत्री जी हाउस के सामने रिग्रेट शो करें कि मेरा (मंत्री जी का) पहला कथन असत्य था, अन्यथा आप मेरे इस व्यवस्था के प्रश्न पर अपना निर्णय दें।

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन यह कहा था और आज भी यह कहता हूं कि इसमें कोई फाइनेंशियल मेमोरेंडम की आवश्यकता नहीं थी। मगर चेयर की रूलिंग हो जाने के बाद—मैं उन लोगों में नहीं हूं जो उसके बाद भी यह कहता जाऊं कि चाहे कुछ भी हो, पहले जो बात मेरे मुंह से निकल गयी उसी पर डटा रहूंगा। जब रूलिंग हो गयी तो उस रूलिंग का पालन करना हमारे लिये आवश्यक है और मैंने उसका पालन किया। पर जो मैंने उस दिन कहा था, फिर आज भी निवेदन करता हूं कि इस विधेयक की जो धारायें दी गयी हैं उन पर कोई खर्चा नहीं होना है। इसके आधार पर न तो हम कोई नया आफिसर मुकर्रर करने जा रहे हैं और न कोई नयी मशीनरी बनाने जा रहे हैं। इस ऐक्ट के अन्तर्गत जितना भी हम काम करेंगे वह पुरानी मशीनरी के जरिये ही करेंगे। अब जो रूल्स वगैरह बनेंगे उन पर जो खर्चा होगा वह तो रूल के आधार पर होगा। चूंकि हम इन धाराओं को कारिलेट नहीं कर रहे हैं इसलिये फाइनेंशियल मेमोरेंडम की आवश्यकता नहीं थी। अब भी हम यह नहीं कह सकते कि फलां धारा में इतना खर्च होगा और इसका एस्टीमेट किया जाय कि इतना खर्च होगा। हमें तो रूल को कैरी आउट करना है। यों तो रूल्स वगैरह बनाने में कागज आदि पर खर्च होगा ही लेकिन पूरे ऐक्ट की जो धारायें हैं जहां इनका डेफिनिशन दिया हुआ है, कि इन लाइन पर टैक्स लगेगा, अब इसको भी कहा जाय कि इसमें खर्च होगा, तो वह तो होगा ही। जहां तक नियम १२१ (२) का हवाला देते हुए बोल्ड टाइप व इटैलिक में लिखे होने की बात है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक फाइनेंशियल मेमोरेंडम की बात है, आपकी रूलिंग के हिसाब से उसे पेश कर दिया गया और जो एक टेक्निकल आबजेक्शन था वह दूर हो गया जिससे मैं आशा करता हूं कि अब इस पर विचार हो सकेगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो निर्णय कर लिया था कि इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा लेकिन मेरे माननीय मंत्री महोदय ने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे भ्रम पैदा हो सकता है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि यह ऐसा मेजर नहीं है जिसके लिये फाइनेंशियल मेमोरेंडम की जरूरत हो। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल ११० में मनी बिल का जो डेफिनिशन दिया हुआ है उससे यह स्पष्ट हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक स्टेट का संबंध है, वह आर्टिकल १९९ है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

और जगह का सहारा न लेकर मैंने कांस्टीटयूशन में दिये डेफिनिशन का ही सहारा लिया। कई माननीय सदस्यों ने इस तरह का एतराज किया कि पार्टिक्यूलर प्रोविजन, पार्टिक्यूलर एटेंशन ड्रा करने के लिये हमारी एक मशीनरी होगी और मैंने एक सेक्शन नोट किया कि इससे इतना खर्च होगा। तो यह एक सिद्धान्त की बात है। तो मेरा मतलब है कि उपहास की ऐसी कोई बात न की जाय खासकर ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो हमसे ज्यादा जिम्मेदारी रखते हैं और जो हमसे ज्यादा मर्यादा रखते हैं। हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिये, इस नाते भी इस तरह से जो एतराज किया गया है वह सही है।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले यह बिल सन् १९५७ में पेश हुआ था, उसकी प्रति आप मंगा कर देख लें कि उस समय क्या कम काबिल लोग थे, जिन्होंने बोल्ड लेटर व इटैलिक्स में भी लिख दिया था ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

उस वक्त यह नियम था नहीं, मैंने कागज देख लिया है।

श्री अध्यक्ष—

यह नियम १९५८ में आया है । मैं आप को बता दूं कि यह बड़ा मुश्किल सवाल ह, कल मैंने इसको समझने में कई घंटे लगाये कि क्या सूरत है। संविधान का अनुच्छेद २०७ (१) इस प्रकार है, 'अनुच्छेद १९९ के खन्ड (१) के (क) से (च) तक उप-खन्डों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबन्ध करने वाला विधेयक विधान-परिषद् में पुरःस्थापित न किया जायगा ।' तो इस तरह से यह बिल हमारे अनुच्छेद १९९ के खन्ड (१) के (क) से (च) के अन्तर्गत आता है । इसलिये इसमें अब कोई शंका नहीं रह गई है कि यह एक मनी बिल है। अब इसी २०७ का जो खन्ड (२) है वह प्रस्तुत विषय से संबंधित नहीं है लेकन वह भी मैं पढ़े देता हूं । वह इस प्रकार है कि "कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला केवल इस कारण से न समझा जायगा कि वह जुर्माने या अन्य अर्थदण्ड.....

(व्यवधान)

सदन में पीछे बातें बहुत हो रही हैं । ...के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीस की, या की हुई सेवाओं के लिये फीस की,.....(यानी फाइन्स या पेनाल्टीज आदि के संबंध में कोई व्यय होता है तो वह इसमें नहीं आता है) ....अभियाचना का या देने का, उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्पादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है ।" इससे हमारा मतलब नहीं है। अब आप इसी के तीसरे खन्ड पर ध्यान दें 'जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाये जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राज्य-पाल ने सिपारिश न की हो ।' मतलब यह कि २०७ के अनुसार राज्यपाल द्वारा उसकी इजाजत न ले ली जायगी तब तक स्टेट के कन्सालिडेटेड फन्ड से कोई व्यय न किया जायगा । अब जो नियम १२१ में है वह यह है कि—

"(1) A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law.

(2) Clauses or provisions in Bills involving expenditure from public funds shall be printed in bolder type or in italics."

यहां आप देखें कि 'पबलिक फंड्स' कहते हैं "कनसालिडेटेड फन्ड" नहीं कहा है । हिन्दी में भी मैं इसे पढ़ दूं । "जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा । जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खन्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो ।

(२) विधेयकों के जिन खन्डों या उपबन्धों में "लोक निधियों", (अब इसमें लोक निधियों शब्द इस्तेमाल हुआ है) "में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे अपेक्षाकृत मोटे अक्षरों या वक्राक्षरों में छापे जायेंगे ।"

तो इसको पूरा पढ़ने से यह बहस जो माननीय समाज कल्याण मंत्री ने की है, कोई भी विधेयक सदन में ऐसा नहीं आ सकता जिसमें कुछ खर्चा न हो । हर एक बिल में कुछ खर्चा होगा ही इस वास्ते कि जो भी बिल आपके सामने आयेगा उसको एक्जीक्यूटिव प्रोसेस से एनफोर्स

किया जायगा और उसके लिये कोई न कोई मशीनरी होगी और उसमें कुछ न कुछ खर्चा होगा। उसके अतिरिक्त उसके संबंधित बहुत से खर्चे हो सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी करना पड़े, जी० ओ० निकालना पड़े, गजट में देना पड़े, यह सभी संबंधित खर्चे हैं। तो नियम १२१ की मंशा यह मालूम पड़ती हो कि जहां पर डेफिनिटली किसी विधेयक के अन्तर्गत यह स्पष्ट लिखा हो कि हम इसमें इतने आदमी रखेंगे, या डायरेक्टर होंगे, या मशीनरी होगी उसमें तो कदाचित् नियम १२१ लागू हो सकता है और उसमें लाजिमी तौर पर.....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

इसमें है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, आप व्यवस्था न दें नहीं तो हम को दिक्कत हो जायगी, आप पहले हम लोगों को सुन लें।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, नियम १२१ में "Shall" शब्द का इस्तेमाल है वह मैनडेटरी होता है।

श्री अध्यक्ष--

मैं कह रहा हूं एक आर्गुमेन्ट उनका यह है कि अनुच्छेद २०७ व नियम १२१ में यह लिखा हुआ है जो उन्होंने मैंने कहा कि प्रत्येक बिल में कुछ न कुछ खर्चा होगा और हर एक बिल में आवश्यकता ऐसे ज्ञापन की पड़ेगी। इसलिये नियम १२१ की सही ताबीर में मुझे कठिनाई हो रही है इसमें कोई शंका नहीं है। और जहां इतनी दिक्कत की बात हो रही है तो जो पहले परम्परा चली आ रही है अगर ऐक्ट में कहीं विशेष रूप से इसका जिक्र न हो कि इतना खर्चा होगा वहां जरूरत नहीं है, जैसा पहले से होता आया था, लेकिन तब तो रूल नहीं था। अब रूल बना है लेकिन अभी तक कोई ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट मांगा नहीं है।

अब चूंकि इस संबंध में एक रूलिंग हो चुकी है उस सिलसिले में, सरकार ने एक ज्ञापन दे दिया है। आपको, अब इसको देने के बाद इसके संबंध में जो आपत्ति होगी वह बाद में करेंगे, मेरी कोई अंतिम रूलिंग नहीं है। इस कारण से सम्प्रति उसकी कोई अंतिम व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं साफ नहीं हूं, बाद में सुन लूंगा इस समय तो ज्ञापन आ गया है।

कुंवर श्रीपालसिंह--

जो आपने कहा अभी-अभी मंत्री जी ने कहा वित्तीय ज्ञापन दिया है। और कहा है कि बजट में जो प्राक्कलन है वह और उसके अलावा इतना खर्चा होगा। प्रान्ट नम्बर १ देखें "बृहत् जोत कर" जैसा आपने कहा कि अगर कुछ उसमें डायरेक्टोरेट या जिले के अफसरों पर कुछ खर्चा हो तो आता है। तो इसमें लिखा है "मुख्यालय अधिष्ठान" "जिला अधिष्ठान" पर होने वाला व्यय। तो माने यह हैं कि जो आप कह रहे हैं वह है। नियम १२१ में आता है।

श्री अध्यक्ष--

मैं कहां कहता हूं ? मैं स्वयं क्लीयर नहीं हूं। मैं फाइनली निश्चित नहीं कर पाया हूं। अतः मैं समझता हूं जो जवाब उन्होंने दे दिया है उससे संतोष कीजिये।

श्री रामायणराय--

श्रीमन्, व्यवस्था देने के पूर्व.....

श्री अध्यक्ष--

मैं स्वयं क्लीयर नहीं हूं।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, २ बजे तक आप अध्ययन करके तब व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

जो ज्ञापन आ गया है उसको आप स्वीकार कीजिये।

श्री रामायणराय---

हम लोगों को सुनने की कृपा तो करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

साथ बैठ कर सुन लूंगा।

श्री कल्पनाथसिंह---

जो वित्तीय ज्ञापन दिया गया है यह हमारे नियमों के अधीन है ही नहीं। नियम १२१ का दूसरा खन्ड भी वित्तीय ज्ञापन की शर्तों को पूरा नहीं करता। अगर यह मनी बिल मान लिया गया तो फिर वित्तीय ज्ञापन उस फार्म में होना चाहिये था जिसमें कि हमारे नियम कहते हैं मेरा कहना यह है कि यह वित्तीय ज्ञापन नहीं है और . . .

श्री अध्यक्ष---

मनी बिल होने की वजह से ज्ञापन अवश्य हो ऐसी बात नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह---

आप देखें कि खण्डों का जिक्र इसमें आया है और उनकी भाषा देखें तो साफ जाहिर हो जायेगा कि एक्सपेंडिचर उसमें होना है। जो विधेयक यहां पेश होते हैं या बजट पेश होता है बिना इस सदन के पास किये हुए एक भी पैसा खर्च करने का अधिकार इस सरकार को नहीं है और जो वित्तीय ज्ञापन होते हैं उसे यह सदन उस विधेयक के साथ ही स्वीकार करता है। जब तक यह वित्तीय ज्ञापन उस प्रोफार्मा में न हो तब तक वह खर्चा अन्धकार में है और उसका कोई अर्थ नहीं है और उसे अधिकार नहीं है कि वह खर्चा किया जा सके और अगर करता है तो गलत है और गैर कानूनी है। इसलिये आप व्यवस्था दें कि जो वित्तीय ज्ञापन दिया है यह नियमों के अनुकूल है और इस वित्तीय ज्ञापन के अनुसार सरकार जो खर्च करेगी वह उचित होगा या नहीं होगा ?

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

जो चर्चा इस सदन में आज चली उनके आधार पर वित्तीय ज्ञापन के बारे में सन्देह और बढ़ गया। वह अधूरा है। माननीय मंत्री ने कहा कि चेयर की रूलिंग हो गयी इसलिये मैं ऐसे व्यक्तियों में नहीं हूं कि अपनी बात पर हठ करता। इसलिये यह वित्तीय ज्ञापन आया। लिहाजा विरोधियों के मन बहलाव के लिये यह वित्तीय ज्ञापन लाया गया है और यह एक प्रकार से सन्देह व शंका की चीज हो गयी है।

श्री अध्यक्ष---

इस नियम के अन्तर्गत कोई कमी अगर है तो वह बहस में आप कह सकते हैं और सदन उस पर निर्णय दे सकता है। मेरा निवेदन है कि बहस हो और उसके ऊपर यह भी एक ग्राउंड हो सकता है कि इस विधेयक पर विचार न किया जाय। लिहाजा इसको आप एक्सेप्ट कर लें।

श्री कमलासिंह यादव---

१२१ में साफ कहा गया है कि ज्ञापन में कौन से आइटम्स होंगे ?

श्री अध्यक्ष---

कोई सेक्शन ऐसा नहीं है और अगर सेक्शन है तो बहस हो जायगी।

श्री कमलासिंह यादव---

साफ लिखा है 'इटेलिक्स' में छपा होगा और अलग-अलग उसका विवरण होगा कि फलां आदमी पर इतना खर्च होगा लेकिन जो दिया गया है ज्ञापन उसमें एक लम्पसम दे दिया है और कह दिया है कि इतना खर्च होगा।

अब यह देख लेते हैं। एक लोक सभा का यह है कि---

"The position which I made clear was that the question of ultra vires will not be decided by the Chair, but that it may be left to the House."

ठीक है, ऐसे ही चलने दीजिये। माननीय माधोप्रसाद जी बोल रहे थे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैंने प्रारम्भ ही नहीं किया था और एक भ्रम हो गया। आपने अभी कहा था कि विशेष रूप से इस पर इस समय बहस शुरू कर दी जाय और फिर विचार कर लेंगे। जैसा सदन चाहेगा वैसा करेगा, तो श्रीमन्, बड़ी गड़बड़ी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--

इसमें यह है कि उसके कारण से बिल पर विचार न किया जाय ऐसा प्रार्थीजन नहीं मिलता है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, अगर ऐसे भ्रम का मामला आ जाय तो नियम देखें या परम्परा देखें। इसी चेयर से एक बार पिछले सत्र में व्यवस्था हो चुकी है। हाउस बिल्डिंग एन्ड लैन्ड टैक्स बिल था जिसमें मंत्री जी ने समय लिया और ज्ञापन दिया, तो श्रीमन्, ऐसा हो चुका है।

. . . . .

श्री अध्यक्ष--

इसे हम देख लेंगे। इस समय आप प्रस्ताव पर बोलिये। एक और दो के बीच में मैं इसको स्टडी करूंगा।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, आप इसमें कह चुके हैं कि "मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया हूं बड़ा कनफ्यूजन है।" लेकिन मंत्री जी ने कहा कि व्यवस्था हो गई इसलिये ज्ञापन देना जरूरी हो गया। आप ऐसे कुशल और विद्वान वकील यहां पर विराजमान हैं और आप कनफ्यूजन में हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं एक और दो के बीच में देख लूंगा।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, आप शान्तिपूर्वक सुन लें। जब तक आप विरोधी दलों के नेताओं को न सुन लें अपना फैसला न दें। इसलिये यह सदन दो बजे तक के लिये स्थगित किया जाय। इसके बाद आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

सदन का समय एक दिन गुजर चुका है और हमारे लिये अब यह संभव नहीं है। मैं यह व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री कमलासिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय. . . .

श्री अध्यक्ष--

अभी नहीं। अब केवल १५ मिनट बोलना है बोल लेने दीजिये।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, हम वाक आउट करते हैं। आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं। आप अध्यक्ष हैं और आप खामख्वाह गवर्नमेन्ट को मदद करते हैं, इसलिए हम वाक आउट करते हैं।

(इसके उपरान्त श्री नेकराम शर्मा ने निर्दलीय दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, १५ मिनट की बात है, क्या हर्ज है अगर स्थगित कर दिया जाय ?

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, आप सोचिये कि यह मामला . . .

श्री अध्यक्ष--

मैं दो बजे निर्णय दे दूंगा। इस समय जो मैं कह रहा हूं वह होने दीजिये।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, एक बात स्पष्ट कर दूं कि आप दो बजे निर्णय देंगे और वह हमारे पक्ष में हुआ तो हम क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

अगर आपके पक्ष में दिया तो नैक्स्ट टाइम आ जायगा ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

मैं पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि दो बजे लेंगे और आप विश्वास दिला चुके हैं कि दो बजे आप इस प्रस्ताव को लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

मैं निर्णय दूंगा । निलम्बन के प्रस्ताव पर आप बातचीत कर लीजिये ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

अध्यक्ष महोदय, एक नया व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय माधोप्रसाद जी त्रिपाठी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसमें यह है कि "उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को भेज दिया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो" । मेरा एतराज यह है कि विधेयक नया है, कोई संशोधन विधेयक नहीं है । इसकी परिधि कायम नहीं है । इस वजह से परिधि बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता है । अभी इसकी परिधि कायम नहीं हुई है । प्रवर समिति में जायगा तो उसको परिधि बढ़ाने और घटाने दोनों का अधिकार होगा । इसको संशोधित कर लिया जाय । इसके संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

मेरा उसमें कोई विशेष विरोध नहीं है । जो बात टेक्निकल हो वह मेरे लिये कोई अर्थ नहीं रखती । श्रीमन्, कितना समय मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन....

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

अच्छी बात है मैं संक्षिप्त होने का प्रयत्न करूंगा । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल २९ तारीख को प्रस्तुत हुआ और जिस मंथर गति से अपने मंत्रियों द्वारा चला है उससे यह पता चलता है कि सचमुच वे अपने मस्तिष्क में निर्णय नहीं कर पाये थे कि इतना रुपया प्राप्त करने के लिये किसके ऊपर टैक्स लगाएं । यदि यह अनपार्लियामेंन्टरी न हो तो मैं कहूंगा कि अंधे की लकड़ी की तरह से अंधेरे में टटोल रहे थे, लैन्ड टैक्स बिल पर हाथ रख दिया।

दो कारणों से मैं समझता हूं कि यह बिल बिलकुल अनुचित है । इसमें मारल और एकोनामिक जस्टीफिकेशन नहीं है । नम्बर एक, नम्बर दो, यह बिल बहुत बैडली ड्राफटेड है । मैं इन दोनों का प्रमाण सदन के सम्मुख रखूंगा । पहली बात तो यह कि मारल जस्टीफिकेशन नहीं है। लैन्ड पर तमाम कर लगाये जा रहे हैं । इमर्जेन्सी बिल के द्वारा कर लगाया जा रहा है पंचायत द्वारा कर लगाया जा रहा है, सेस कर लगाया जा रहा है इसके अलावा जो लैन्ड होल्ड करते हैं वह नाना प्रकार के कर देते हैं । जिला परिषद् को भी लैन्ड पर कर लगाने का अधिकार दे दिया है । लैन्ड पर सिचुरेटेड प्वाइन्ट पर कर पहुंच चुका है । ऐसी सूरत में लैन्ड होल्डिंग पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये । लैन्ड होल्डिंग पर टैक्स लगा कर बड़ा अन्याय किया जा रहा है । मैं एक आर्टिकिल पढ़ रहा हूं संयुक्त राष्ट्र संघ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

द्वारा जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी उसमें यह कहा गया था कि सरकार अगर उनकी उपज का कुछ भाग लेना चाहती है, या जमीन पर कुछ हिस्सा लेना चाहती है तो उसे चाहिये कि उसकी उपज बढ़ाए, तब अगर उनके पास बचत है, तो कर लगाये। यह हमारी सरकार ने सोचा नहीं। न उपज बढ़ी और न पैदावार का दाम बढ़ा बल्कि जमीन के अधिकारी के उपभोग की जितनी चीजें हैं उनका मूल्य बराबर बढ़ता गया। हम सोचते थे कि अधिक से अधिक एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगेगा। उसमें यह संतोष होता कि उसी पर टैक्स लग रहा है, जिसके पास इन्कम है, क्योंकि ऐग्रीकल्चरिस्ट के पास कोई चीज बचती नहीं। वह अपने घर में आमदनी कम रख पाता है। उसके उपभोग में ही समाप्त हो जाती है, चाहे उसका कपड़ा हो, मालगुजारी हो या शादी हो। उसके पास बचता नहीं। अगर बचता तो इस इमर्जेंसी में हम भी कहते कि टैक्स लगा दो। १९४८–१९५६ तक पिछला टैक्स रहा था। लोगों को संतोष रहा। उसमें उन्हीं लोगों ने दिया जिनके पास बचत हुई। जिस समय वह टैक्स लगाया था तो उस समय मंत्री जी ने यह कहा था कि बहुत बड़ी-बड़ी जमीनें कब्जे में रखने वाले हैं। उस पर बड़ा विवाद हुआ था। फुल बेंच की रूलिंग हो चुकी है। उसका माननीय मंत्री ने उल्लेख नहीं किया। इसी बेसिस पर हाई कोर्ट तक लड़ा जा चुका है कि लैन्ड पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं। सारे सिद्धान्त डिस्कस हुए।

श्री कमलासिंह यादव—

एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है। अभी आपने माननीय त्रिपाठी को यह हुक्म दे दिया है कि इस पर बहस करें, तो जो लीगल ऐस्पेक्ट हमने उठाया है उसमें अब तक किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, इससे हम लोगों के दिल में यह भावना उठ रही है कि कंटीन्यू जो कर रहे हैं, इससे यह भी हो सकता है कि जो सही रूप में, जिस प्रकार से निर्णय देना हो, शायद उस निर्णय पर न पहुंच सकें। उसमें द्विविधा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

मैं सबको बुला कर सुनूंगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

जब लैन्ड होल्डिंग पर सीलिंग हो गयी थी उसी वक्त हमने सुझाव दिया था कि ३० एकड़ तक मैक्सिमम ले आइये, तब वह टैक्स नहीं लगेगा। अब ३० एकड़ पर टैक्स लगा रहे हैं, इन्कम पर नहीं लगा रहे हैं। यह बड़ा अन्याय है। जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया दो तरह का टैक्स है। एक लैन्ड होल्डिंग पर टैक्स है, एग्रीकल्चरिस्ट पर टैक्स है और नान-एग्रीकल्चरिस्ट पर टैक्स है। सरकार की विमाता की भावना और व्यवहार दोनों पर विचार करने से मालूम पड़ेगा। एग्रीकल्चरिस्ट का अगर ३६०१ रुपये का वैलुएशन है तो टैक्स देना पड़ेगा चाहे उसकी फसल बाढ़ से नष्ट हो जाय या ओले से नष्ट हो जाय। दूसरी तरफ इन्कम पर जो टैक्स है उसमें ३,६०० या जितनी प्रेस्क्राइब्ड इन्कम है अगर उतनी नहीं होगी तो टैक्स नहीं देगा, चाहे उसकी लाखों की संपत्ति हो। तो आपने एग्रीकल्चरिस्ट को क्यों बड़ी भारी दुधारी गाय समझ लिया है कि उसके पास आमदनी हो या न हो लेकिन टैक्स जरूर देना पड़ेगा, जब कि उस पर पहले से बहुत से टैक्स लगे हुए हैं। क्या—आप के पास दूसरा सोर्स नहीं था? अभी उधर से पिटी पिटाई दलील रखने वाले दगे कारतूस की तरह खड़े होकर कहने लगेंगे कि जमींदारों के पक्ष में बोलते हैं। मैं लार्ज होल्डिंग रखने वाला नहीं हूं। किस सिद्धान्त पर टैक्स लगा रहे हैं? ३६०१ रुपये का जिसका वैलुएशन होगा उस पर टैक्स लगेगा और रेट भी बढ़ गया। इन्कम टैक्स का रेट भी नहीं बढ़ा। इन्कम टैक्स में विवाहित को फैमिली अलावेंस मिलता है लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट को कोई अलावेंस नहीं जिसका ३६०१ का वैलुएशन होगा उसको देना पड़ेगा। कोई रिलीफ नहीं। विंडिक्टिव तरीके से टैक्स लगाते हैं, किसी सिद्धान्त के आधार पर नहीं। जब नान-एग्रीकलचरिस्ट पर ३६०० पर कोई टैक्स नहीं है और उसको सब अलावेंस देते हैं तो एग्रीकल्चरिस्ट पर ऐसा क्यों?

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

तीसरी बात आप यह कहते हैं डेवलपमेन्ट लेवी लगाते हैं। सब ने कहा कि खेती अवनति पर जा रही है और उसके उपभोग की चीजें ज्यादा महंगी हो गयी हैं। हम फर्टिलाइजर नहीं खरीद सकते, इरीगेशन चार्जेज नहीं दे सकते, बढ़ी हुई कास्ट आफ ऐग्रीकल्चरिस्ट लेबर को फाइनेंस नहीं कर सकते। यहां वैलुएशन लगा लेंगे। यह कहां का न्याय है? आखिर किस सिद्धान्त पर बनाया? उसी सिद्धान्त पर जिस पर वित्तीय ज्ञापन नहीं दिया। एक मस्तिष्क में लहर आ गयी आपने टैक्स लगा दिया। मैं कहता हूं यह टैक्स लगाना बिलकुल अनुचित और अन्यायपूर्ण है। कोई भी विचारक कभी भी इस ऐक्ट का समर्थन नहीं कर सकता। यह बात दूसरी है जैसे कि हमारे उधर के भाई वही पिटीपिटाई बात किया करते हैं, वही वह फिर करें।

दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी का केवल ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या आपने एग्रीकल्चरिस्ट्स के साथ न्याय किया है? मेरी समझ में कदापि नहीं किया है। आपने डेवलपमेन्ट लेवी उन पर लगाने की बात की। शहर वालों पर कितनी डेवलपमेन्ट लेवी आपने लगायी है? बिजली आपने शहरों को दे दी कारखाने आप सब देहात से घसीटकर शहरों में ले आये और हर तरह से शहरों को फलित और फूलित किया, तो उन पर कितनी डेवलपमेन्ट लेवी आपने लगायी? रोज सड़कें शहरों में बनती हैं कहीं न कहीं उनका रोलर सड़कों पर चलता ही रहता है, देहात में कितनी सड़कें आप बनाते हैं? उनके अनाज को मार्केट पहुंचाने की भी सुविधा आप नहीं दे पाते। कहां आपने उनके लिये सड़कें बनायी हैं या मेसोनरी वेल्स दिये हैं जिसके लिये कि उसके ऊपर लेवी लगाने की बात आपने सोच ली आज एग्रीकल्चरिस्ट रो रहा है उसके लिये कोई आल्टरनेटिव जीवन का साधन नहीं है। आज ही देखिए, आपकी इमर्जेन्सी आयी, है हर व्यक्ति उसी से सब कुछ घसीट रहा है। उसी पर टैक्स लगता है, उसकी क्षमता, उसकी पेइंग कैपेसिटी किसी चीज का विचार नहीं किया जाता। बिलकुल डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार किया जाता है। तो एक तो मैंने यह बताया कि इसकी कोई मारल या एकोनामिक पोजीशन नहीं है। दूसरी चीज मैं यह कहता हूं कि यह बिलकुल थाटलेस चीज है।

पिछला ऐक्ट बना, श्रीमन् ने कहा कि मैंने भी उसकी प्रैक्टिस की है, मैं श्रीमन् इसको याद दिलाता हूं कि पिछला जो लैन्ड होल्डिंग्स टैक्स ऐक्ट है उसमें कितनी काश्तकारों के ऊपर आने वाली नेचुरल कैलेमिटीज थी उनके लिये उसमें एलावेंस दिया गया था। जो रूल मेकिंग पावर थी उसमें एग्जम्पशन के लिये दे दिया गया था और मन्दिर है, मस्जिद है, या ओला है, बाढ़ है, इन सबके लिये उसमें एलावेंस कर दिया गया था जब रूल बनाया गया। यद्यपि वह भी पूरी तरह से बरते नहीं गए लेकिन रूल में एलावेंस कर दिया गया था। इसमें वह सब खत्म कर दिया गया। अब अगर कहीं ओला पड़ता है हमने उस दिन बार-बार कहा कि हम अपनी आंखों से देखकर आये हैं दस आने और बारह आने तक नुकसान किसानों का हुआ है, लेकिन मंत्री जी ने खड़े होकर कह दिया कि नहीं २५ नये पैसे का नुकसान हुआ है। उसी तरह से उस दिन नेगी जी ने कह दिया। देहात का आदमी कहता है कि रोज वह चूसा जाता है, रोज उससे टैक्स वसूल किया जाता है लेकिन मंत्री जी यहां खड़े होकर कह देते हैं कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। मेरे बस्ती जिले को ले लीजिए। हर साल वहां बाढ़ आती है। पिछले साल की अनप्रेसिडेंटेड बाढ़ के बाद इस साल वहां ओला पड़ गया। लेकिन वहां पिछली जुलाई, सन् १९६२ से टैक्स लगायेंगे जब कि पिछले जमाने का कितना नुकसान बाढ़ से हुआ इसका पता भी न लगा सके। तो वह जो प्राविजन पिछले ऐक्ट में था वह प्राविजन भी इसमें नहीं रखा गया।

अब तीसरी बात श्रीमन्, अनएकोनामिक होल्डिंग्स के बारे में कहना चाहता हूं जिसके लिये हमारी यह प्रार्थना थी सरकार से और जमींदारी एबालीशन कमेटी की यह रिकमेंडेशन थी कि अनएकोनामिक होल्डिंग्स से रेंट नहीं लिया जायगा। लेकिन अनएकोनामिक

होल्डिंग्स जितनी हैं, नदी के किनारे जितने हैं जहां एक साल बाढ़ आयी सारी फसल बहा ले गई, दूसरे साल आयी मिट्टी छोड़ गई, इनका क्या किया जायगा ? इनका भी कुछ खयाल नहीं किया गया। तो आखिर आपके मन में कौन सी भावना है। उसके दुख को भी आपने नहीं सोचा, उसके दर्द को भी नहीं सोचा, उसकी भावनाओं को भी नहीं सोचा, उसकी पेइंग कैपेसिटी को नहीं सोचा, उसके किसी एक पहलू पर भी सरकार ने नहीं सोचा और कहने के लिये कह दिया जायगा कि हम तो ऐग्रीकल्चरिस्टस का भला चाहने वाले हैं और ये राजा लोग हैं जो उधर बैठे हैं। वही दगीदगाई कारतूस फिर पेश कर देंगे।

चौथी बात श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जब कभी भी कोई ऐक्ट लागू हुआ तो प्रीवियस ईयर और असेसमेन्ट ईयर दोनों उसमें रहता था। प्रीवियस ईयर इसलिये रखा जाता था कि प्रीवियस ईयर की कंडीशन को ध्यान में रखा जाय। लेकिन इसमें सरकार एग्रीकल्चरिस्ट्स की कंडीशन को ध्यान में लाने के लिये बिलकुल तैयार नहीं है। चाहे उनका घाटा हो, चाहे लाभ हो, उसका कोई ख्याल नहीं किया गया है। यह बातें कहकर श्रीमन्, जो और सिद्धान्त की बातें हैं वह मैं बाद को कहूंगा।

एक बात मैं बैड ड्राफ्टिंग के विषय में भी कहना चाहता हूं नहीं तो बाद को भूल जाऊंगा। मुझे दुख है कि इस बात पर मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था और उस विषय में कुछ सोचा नहीं गया। इस विषय में १९५७ में फुल बैन्च की एक रूलिंग हो चुकी है जिसमें नये प्वाइन्ट्स सामने आये हैं। मुझे पता नहीं है कि उन लीगल पहलू पर ध्यान रखा गया है या नहीं। मैं यह समझता हूं कि उन लीगल पहलू को सामने रखना चाहिये था। समझ में नहीं आता कि उन पहलुओं की तरफ क्यों ध्यान नहीं गया। यह ऐसा केस है जिसमें कन्हैया लाल जी मिश्र बहस कर चुके हैं फिर भी सरकार ने इस विषय में कुछ नहीं सोचा। इसकी किताब मेरे पास मौजूद है जो १९५९ में पब्लिश हुई है। उसमें से मैं बतला सकता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

किस तारीख का यह केस है और केस का क्या नाम है ?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

यह ए० एल० डी० १९५९ है और केस का नाम अवध शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट आफ उत्तर प्रदेश है।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और जो माननीय सदस्य इस संबंध में मुझसे बात करना चाहें, वह कृपाकर मेरे कक्ष में आ जायं।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

अधिष्ठाता महोदय, कहा गया था कि पहले अध्यक्ष महोदय की रूलिंग होगी उसके बाद कार्यवाही जारी होगी।

श्री अधिष्ठाता—

जी हां, आप बैठें। माननीय अध्यक्ष ने मुझे आज्ञा दी है कि उनकी इस रूलिंग को मैं सदन के सामने रख दूं कि जो भी ऐसे क्लाज इसमें हैं कि जिनमें धन का व्यय हुआ है मंत्री महोदय उनके बारे में चर्चा हर सेक्शन के साथ यहां कर देंगे और मैं समझता हूं कि उससे आप लोगों का जो संदेह है वह दूर हो जायगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

तो वह हो जाय उसके बाद ही हम लोग अपने विचार यहां प्रारम्भ करें।

श्री अधिष्ठाता—

जी नहीं, कार्यवाही जारी रहेगी, लेकिन जहां-जहां धन व्यय हुआ है उन क्लाजेज पर विचार करते समय वह अपने भाषणों में उसे स्पष्ट कर देंगे। आप बोल रहे थे। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस बिल को पेश करने का मारेल और इकानामिक जस्टिफिकेशन नहीं है और उसके संबंध में मैंने तर्क दिया था। मने प्रारम्भ में ही कहा था कि मैं संक्षेप में ही अपने विचार इस संबंध में व्यक्त करूंगा। अब दूसरी बात जो मैंने कही थी वह यह कि बैडली ड्राफ्टेड है। इसके बारे में मुझे केवल एक बात कहनी है कि जब-जब अवसर आया है तब-तब इस ड्राफ्टिंग डिपार्टमेन्ट के बारे में मैंने कहा, अपने विचार व्यक्त किये, लेकिन कुछ असर हुआ जान नहीं पड़ता। संयोग से जो लार्ज लैन्ड होल्डिंग टैक्स ऐक्ट है वह कई केसेज में हाई कोर्ट के सामने आया और उसमें जो चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन ३ और ४, उसके बारे में हाईकोर्ट ने अपने विचार व्यक्त किये। उस रूलिंग के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, पर एक नमूना सदन के सामने रखना चाहता हूं, और वह इस नाते कि सदन के लोगों का ध्यान जाते हुए भी हमारे जो ड्राफ्टर्स हैं उनका उस ओर कोई ध्यान नहीं है। पिछला जो लार्ज होल्डिंग टैक्स ऐक्ट था उसमें हेल्ड और आकुपायर शब्द का प्रयोग हुआ था। हेल्ड शब्द के बारे में बड़ा मतभेद था और इस हेल्ड शब्द ने लाखों रुपया, चाहे वह सरकार का हो अथवा पब्लिक का खर्च करा दिया। नतीजा यह हुआ कि जैसे एक्जीक्यूटिव अथारिटीज फैसला करती हैं, हमारे कमिश्नर ने, बोर्ड ने, एक्जीक्यूटिव अथारिटी के तौर पर फैसला दिया और टैक्स लगाने के लिये उस शब्द के मनमाने अर्थ लगाये। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाता; लेकिन हाई कोर्ट ने कमिश्नर तथा बोर्ड के विचारों को रद्द कर दिया और रद्द करते समय वकीलों ने जो एसेसीज की तरफ से विचार व्यक्त किये थे उन विचारों को माना और उसमें हमारे लेजिस्लेचर्स के बारे में दो शब्द कहे गये थे उनको मैं श्रीमन्, की आज्ञा से पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। इन शब्दों पर कृपा कर सदन ध्यान दे। यह हेल्ड शब्द के बारे में है और हेल्ड और आकुपायर शब्द के बारे में पूरा डिस्क्रिशन एक्जीक्यूटिव एथारिटीज के हाथ में छोड़ दिया गया है। वह लैन्ड किसी के कब्जे में रही हो या न रही हो, लेकिन वह इन्टरप्रेट अपने हिसाब से ही करते हैं मैंने इतना रुपया उसके लिये छोड़ दिया है। जिस स्थिति के बारे में माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि वह बहुत स्पेसेफिक होना चाहिए और टैक्स ऐक्ट में बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि अथारिटीज के इंटरप्रिटेशन पर न छोड़ दिया जाय। ऐसे भी यह समझे कि यह स्थिति है। आप देखें कि पृष्ठ ८४४ पर इस प्रकार दिया हुआ है उस इलाहाबाद ला जरनल में—

"This section is badly drafted and it seems that whatever was in the mind of the draftsman has not been brought out clearly in the provision. The phrase "held or occupied" has become a fashion with the draftsmen and the Legislature and has been used frequently."

आप देखें कि हेल्ड और आकूपाइड से कितनी गड़बड़ी है। जैसे जमीदारी ऐक्ट में सेक्शन ९ का हवाला दिया और एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स ऐक्ट का हवाला दिया इसी प्रकार से और भी बहुत से सेक्शन्स लगते हैं, कि ड्राफ्ट करते समय जल्दी में उचित ध्यान नहीं दिया गया है। श्रीमन्, यह भी एक कारण है। इसलिये इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिए।

एक बात और कि जब किसी पर टैक्स लगाया जाता है तो उसकी पेईंग कैपेसिटी पर ध्यान देना चाहिये। जो जिस तरह का आदमी है, जो रिलीफ मिलनी चाहिये, उसको वह भी दी जानी चाहिये। या जो हमारी सरकार आज तक अपने अन्य ऐक्ट्स के द्वारा मानती चली आई है, वह भी देनी चाहिए। ऐसा लगता है कि बिलकुल इगनोर हो गया है। या एग्रीकल्चरल लैन्ड से आप मुनाफा लेते हैं, उस पर जो कैलामिटीज आने वाली हों, उसको भी

एलाउन्स देना चाहिये। हमारी सरकार को रूल्स, मेकिंग पावर में सेक्शन २९ में यह भी अधिकार होगा कि—

"The principles on which and the manner in which tax may be exempted or remitted under Section 3."

इसमें आप देखें कि पता नहीं कि उसको दुधारू गाय समझ लिया गया है, एग्रीकल्चरल लैन्ड को और उन्होंने रूल मेकिंग पावर को पहले ही गायब कर दिया है। यह ऐक्ट करीब करीब वैसा ही है, जैसे कि पिछले ऐक्ट थे। जितने कन्सेशन्स एग्रीकल्चरिस्टस को मिलने चाहिये थे, वह सारे कन्सेशन्स ले लिये गए। यह पहली चीज आप देखें कि

"The principle on which and the manner in which the sanctioned hereditary rates may be enhanced under section 5."

जहां पहले शैंकशन्ड हो जाय, वहां हेरिडेटरी कैसे हो जाय ? इन्हेन्स या इग्जम्पशन के लिये कोई नियम किया जाय। कई मर्तबा मैं पहले इसको रिपीट कर चुका हूं। जैसे कैलेमिटीज वगैरह।

एक बात और है और वह यह कि जैसे यह मन्दिर, मस्जिद, या चेरिटेबुल इन्स्टीटयूशन्स, जो आदमी उनको रन कर रहे थे, अगर हमारी सरकार कान्वन्स हो जाती थी कि यह रेलिजस इन्स्टीट्यूशन्स हैं, तो उनके कारण इग्जम्पशन मिलता था। उसका प्राविजन इस लैन्ड ऐक्ट, १९५७ में तो खोजने पर भी नहीं मिला कि उसके कारण उनको इग्जम्पशन मिला हो। इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी हो जायगी। इस टैक्स के नीचे, जितने, रेलिजस इन्स्टीट्यूशन्स और एजूकेशनल इन्स्टीटयूशन्स होंगे, वह सब समाप्त हो जायंगे। इस ऐक्ट के बनाते समय एक बात नहीं थी और खयाल था कि इट बिल टेक इट्स इफेक्ट फ्राम जुलाई वन, १९६२। जो सरप्लस लैन्ड डिक्लेयर हुई, उसको हमने उठा दिया। उस पर टैक्स आधा था। यह तो गांव के इन्सान हैं, परन्तु आपने क्या सोचा है ? मुझे ऐसा लगता है कि ड्राफ्ट करते समय, इतनी सारी बातें नहीं हो सकती थीं। जरूर आपके ध्यान में यह बात आने से रह गई। वास्तविकता पर आपने ध्यान नहीं दिया।

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि इस ऐक्ट की जितनी वर्किंग लीगल कोर्ट्स पर और जो पब्लिक पर ऐफेक्ट करती है, यह लीगल प्राफिटियर्स या उनकी ओपीनियन होनी चाहिए और यह सरकुलेट होना चाहिये। ताकि जितने इन्स्टीट्यूशन्स एफेक्टेड होते हों, गलत प्राविजन कोई बन गया है तो उसे सुधार करके सही प्राविजन बने। कैसे ? यह जो लार्ज होल्डिंग्स टैक्स विधेयक बना है इसमें एक्स पार्टी जजमेन्ट में सेट असाइड करने का कोई तरीका नहीं है। नोटिस जारी करने का तरीका तो बाई ऐफेक्टेशन निकाल दिया लेकिन अगर जजमेन्ट एक्स पार्टी हो जाय तो उसको कैसे सेट असाईड किया जाय, इसके लिये कोई प्राविजन नहीं है। कोई जायदाद मेरी है, सिपाही वहां गया, वहां किसी ने लेने से इन्कार कर दिया तो वह वापस चला आया और यहां एक्सपार्टी जजमेन्ट मेरे खिलाफ हो गया। प्राविजनल असेसमेन्ट का केस है जो अक्सर गलत जाते हैं, टैक्सेबिल एमाउन्ट गलत दर्ज हो गया है लेकिन एक्सपार्टी जजमेन्ट हो गया। ३० दिन के बाद जब पता चला तब उसी असेसिंग अथारिटी के पास या कहीं और अपील करने की या समझाने की कोई सूरत नहीं है कि साहब इसको फिर से कंसीडर किया जाय। जितना होता है टैक्स लग जाता है। इस तरह से नोटिस आफ डिमांड सर्व हो जाता है और फिर एक्सपार्टी जजमेन्ट के बाद अटैचमेन्ट की प्रोसीडिंग्ज शुरू हो जाती हैं। इस तरह से बड़ा अन्याय हो जाता है। इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

पांचवीं बात, असेसिंग अथारिटी ने गलत फैसला किया। अब उसमें रिव्यू का अधिकार केवल क्लैरिकल एरर्स के लिये है और मिस्टेक्स के लिये रिव्यू का प्राविजन नहीं है। अगर रिव्यू का अख्तियार दिया जायगा तो कोई प्रोसीडिंग्स ज्यादा नहीं हो जायेंगी, बल्कि उसके साथ इंसाफ ही होगा।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

छठवीं एक बड़ी अन्याय की बात है। हमारी सरकार ने पेनाल्टी लगायी है। ठीक है। अगर टैक्स का नोटिस सर्व हो गया और उसने समय से टैक्स नहीं दिया तो पेनाल्टी लगनी चाहिये, लकिन उसमें यह जरूर होना चाहिये कि एक्चुअल पर्सनल सर्विस नोटिस आफ डिमांन्ड की होनी चाहिये तभी पेनाल्टी लगनी चाहिये। लेकिन यहां भी उसी तरह से हो जाता है। यह ठीक है कि अगर कोई ऐवायड करे तो सर्विस हो नहीं सकती और उससे टैक्स नहीं वसूल होगा। लेकिन अगर सौ रुपये पेनाल्टी हुई और वह गलत हुई है, जैसे कि ५० परसेन्ट केसेज में यह साबित हो जाता है कि वह गलत हुई है तो रेमिडी आपने उसे क्या दी इस विधेयक में। पेनाल्टी जब होगी तब उसके पास अलग से नोटिस आफ डिमान्ड जायगी। उसकी अपील कमिश्नर के यहां हो। अब आप विचार करें। अपील करने के लिये बस्ती से गोरखपुर जायें, एक वकील इन्गेज करे, दो-तीन तारीखें पड़ गईं, मुंसिफ साहब नहीं हुए, तो ५० रुपये से ज्यादा भी वकील को देना पड़ेगा, आने जाने का खर्च यह सब तो चाहे कितना ही जस्ट केस क्यों न हो असेसी यह सोचकर बैठ जायगा कि सौ रुपये किराये भाड़े में दे, वकील करे, दो तीन पेशी पड़े तो और खर्च करे, इन सब में ज्यादा खर्च हो जायेगा तो इससे ज्यादा अच्छा तो यही है कि १०० रुपया पेनाल्टी ही दे दो। क्या सरकार की यही नीयत है कि रुपया अपने पाकेट में रख ले या यह विचार है कि असेसी को संतोष हो सके। १९४७–४८ के एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स में था इसका प्राविजन कि अगर पेनाल्टी लगायी गयी है और असेसी समझता है कि गलत तरीके से असेस हुआ है पेनाल्टी का तो वह कलेक्टर कंसर्न्ड के पास अपील करके उसे कन्विन्स करेगा कि उसके ऊपर जो पेनाल्टी लगी है वह अनजस्टीफाइड है और अगर कलेक्टर कन्विन्स हो जाता है तो वह पेनाल्टी को रिडयूस या रेमिट करेगा। हमारी सरकार ने सोच समझ कर कि कौन इतनी दूर अपील करने जायगा वह प्राविजन भी निकाल दिया। इसलिये मेरा अनुरोध है कि कृपा करके इसका भी प्राविजन रहे। कितनी मजबूरी की हालत में यह सरकार असेसी को छोड़ती है पहले तो ऐसा नियम था कि पिछले टैक्स का जब असेसमेन्ट हुआ तो नोटिस आफ डिमान्ड गयी और उसके साथ कापी आफ जजमेन्ट भी दी जाती थी। अब उसको भी ड्राप कर दिया गया है। तो जो इन्हीं का बनाया हुआ ऐक्ट है और उसमें जो सुविधायें प्राप्त थीं, वह भी अब सरकार छीनने जा रही है। इस कारण यह विचार उत्पन्न होता है कि सरकार इस बात की कोशिश में है कि जितना भी उनसे निकाल सकें, निकाल लें, और इस कारण सरकार यह ऐक्ट लायी है। मैं समझता हूं कि सरकार की ऐसी नीति नहीं होगी कि जितना भी हम उनसे निचोड़ सकें, निचोड़ लें, बल्कि इसको बनाने में कुछ गलती हो गयी होगी। आप ४०० रुपये टैक्स का किसी पर लगा दीजिये, उससे किसी को एतराज न होगा अगर उसे यह जानने दिया जाय कि वह इस कारण लगा है। वह सही लगा है।

मैं और अधिक नहीं कहना चाहता, फिर भी कुछ बातों को दोहराये देना चाहता हूं। यह एकोनामिक जस्टिस नहीं है, मारल जस्टिस नहीं है, जो रिलीफ आपने पहले दी थी, इससे वह भी समाप्त हो जायेगी, अपील का भी प्राविजन इसमें नहीं है, आपने अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करदी हैं, कलेक्टर को आपने अधिकार नहीं दिया है, इन सारी बातों पर विचार करना आवश्यक है और यह तभी हो सकता है जब कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाय। यह पब्लिक के हित में होगा। आप भी उन्हीं के हित को लेकर यहां बैठे हैं। हमारे मंत्री जी कभी-कभी यहां मंत्री की हैसियत से बोलने लगते हैं, वे योग्य वकील हैं, उनको वकील की हैसियत से भी इन बातों को देखना चाहिये। मैं एग्रीकल्चरलिस्ट्स के हित को लेकर आपसे निवेदन कर रहा हूं। जो आमदनी हो, उस पर टैक्स होना चाहिये। यह भावना मेरे मन में रही है और इन सब बातों के साथ मैं इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के लिये निवेदन करता हूं।

श्री बनारसी दास––

अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के लिये, जैसा कि आपको मालूम होगा, एक दिन का समय

निश्चित है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप भाषणों के लिये समय निर्धारित कर दें क्योंकि साढ़े ५ बजे तक इसको पारित करना है। मैं समझता हूं कि वक्ताओं को ५ मिनट का समय उचित होगा और यह सामान्य विवाद के लिये साढ़े ३ बजे तक का समय कर दिया जाय, उसके बाद संशोधनों पर विचार किया जाय और इस बिल को पारित किया जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। इस विधेयक के संबंध में सदन के सामने यह प्रश्न रखा जा चुका है कि यह अल्ट्रावायर्स है और उस पर कई दिन तक विवाद हो सकता है। तो जब तक यह तय न हो जाय कि यह अल्ट्रावायर्स है या नहीं, आगे विवाद कैसे होगा.....

श्री अधिष्ठाता—

आप आसन ग्रहण करें। आपको मालूम होना चाहिये कि कार्य मंत्रणा समिति ने इस बिल पर विचार के लिये एक दिन का समय नियत कर दिया है और यह सदन उसे स्वीकार कर चुका है और उसी के मुताबिक कार्यवाही चलेगी। इस बात को लेकर आप बतायें कि भाषणों के लिये आप कितना समय चाहते हैं? इस कारण उसका समय तो नहीं बढ़ाया जा सकता।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात नहीं कह रहा हूं, उस वक्त तो यह व्यवस्था नहीं थी और यह मालूम नहीं था कि यह अल्ट्रावायर्स होगा। जब संविधान का सवाल सामने हो तो सदन को पहले उस प्रश्न पर विचार करना होगा और यह देखना होगा कि यह अल्ट्रावायर्स है या नहीं। यह नयी चीज है जो आज सदन के सामने पेश है और उस कमेटी के सामने जब यह बिल था तो उस समय यह चीज नहीं थी सामने।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें। नयी परिस्थिति के मुताबिक आप अपना भाषण दे सकते हैं, उस पर नियंत्रण नहीं है।

मगर इसके लिये अब दिन नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो माननीय बनारसी दास जी ने जो सुझाव दिया है, वह मैं समझता हूं, सभी को मान्य है और उसके मुताबिक बहस चलेगी।

श्री भीखालाल—

क्या सुझाव है?

श्री अधिष्ठाता—

५ मिनट माननीय सदस्य बोलें। यह विधेयक आज ही पास होना है।

श्री भीखालाल—

५ मिनट में क्या कोई बोल सकेगा? कम से कम १५ मिनट होना चाहिये।

एक सदस्य—

तो फिर जनरल डिस्कशन की आवश्यकता ही क्या है?

श्री अधिष्ठाता—

दिन तो बढ़ नहीं सकता।

एक सदस्य—

एक दिन का क्या मतलब है?

श्री अधिष्ठाता—

आज साढ़े पांच बजे तक। साढ़े तीन बजे तक इस पर सामान्य बहस होगी और फिर क्लाजवाइज डिस्कशन होगा।

अब मैं कुछ सूचनायें देना चाहता हूं।

प्रतिनिहित विधायन तथा आश्वासन समितियों के मनोनीत सभापतियों के नामों की घोषणा

श्री अधिष्ठाता—

अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं यह सूचना सदन को देता हूं कि प्रतिनिहित विधायन समिति (डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी) के लिये सभापति के स्थान पर श्री ब्रजभूषणशरण जी नियुक्त किये गये हैं और आश्वासन समिति के लिये (कमेटी आफ एश्योरेंसेज) के लिये श्री कुंवर श्रीपालसिंह जी सभापति मनोनीत किय गये हैं।

आवास तथा कार्यमंत्रणा समितियों से श्री नेकराम शर्मा का त्याग-पत्र

श्री अधिष्ठाता—

श्री अध्यक्ष जी की आज्ञा से मैं यह सूचना देता हूं कि श्री नेकराम शर्मा ने आवास समिति तथा कार्य मंत्रणा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अधिष्ठाता—

मुझे आपको यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट के एक सदस्य के निर्वाचन के लिये श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निम्नलिखित कार्य-क्रम निर्धारित किया गया है—

नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय ..	३ अप्रैल, १९६३ के सायंकाल ४ बजे तक।
नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय ...	३ अप्रैल, १९६३ के ५ बजे सचिव, विधान सभा के कमरे में।
नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय ..	४ अप्रैल, १९६३ को सायंकाल २ बजे तक।
निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान ..	दिनांक ५ अप्रैल, १९६३, को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक होगा।

उपर्युक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत (सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट) के द्वारा किया जायगा।

इस निर्वाचन से सम्बन्धित नाम-निर्देशन पत्र नोटिस आफिस से प्राप्त हो सकेंगे।

नवयोजित समाजवादी संयुक्त दल में सम्मिलित होने वाले अन्य सदस्यों के नामों की सूचना

श्री अधिष्ठाता—

मुझे एक और सूचना देनी है कि राजा अवधेशप्रताप, श्री सत्यनारायण पांडेय, श्री बलवानसिंह और श्री शशिभूषणसिंह ने समाजवादी संयुक्त दल को, इस ग्रुप को, ज्वायन कर लिया है।

समाजवादी दल के सदस्यों का नवयोजित समाजवादी संयुक्त दल से विच्छेद के संबंध में श्री रघुनाथसिंह का पत्र

श्री अधिष्ठाता—

अध्यक्ष महोदय के नाम श्री रघुनाथसिंह का पत्र है, जिसके लिये मुझे आदेश हुआ है कि यहां पढ़ कर सुना दूं।

"श्री अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ।

मान्यवर, समाजवादी दल के प्रान्तीय अध्यक्ष की आज्ञानुसार मैं अपने पहले के समाजवादी विधायक दल के उपनेता की हैसियत से सूचनार्थ निवेदन कर रहा हूं कि अब समाजवादी सदस्यों का समाजवादी संयुक्त दल से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। वैसे २१, २२ मार्च की विधान सभा भवन में घटित घटनाक्रम के उपरान्त की बीते सप्ताह की क्रिया-प्रतिक्रिया में हम समाजवादी सदस्यों की रुचि और धारणा जो भी रही हो, समाजवादी दल में रहते हुए दल के प्रान्तीय सर्वोच्च अधिकारी की आज्ञानुसार अनुशासित रह कर विधायन-कार्य करना हमारे लिए एकमात्र वांछित और वरेण्य है।

भवदीय,
डा० रघुनाथसिंह,
१-४-६३।"

उत्तर प्रदेश वृहत जोत कर विधेयक, १९६३ (क्रमागत)

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

श्रीमन्, जो खर्च का अनुदान विधि ज्ञापन में दिया गया है वह उन नियमों के अधीन होगा जो विधेयक की निम्नलिखित धाराओं के कार्यान्वित करने के लिये बनाये जावेंगे—३, ७, १०, ११, १२, १३, २४ और २६।

श्री भीखालाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संकुचित समय की सीमा में शायद मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में अधिक न कह सकूं, लेकिन दो एक बातें कहना बहुत जरूरी है जिन्हें मैं आपके द्वारा सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

यह विधेयक जिस रूप में आया है वैसे तो यह नया है, लेकिन इसका विचार बहुत पुराना है। यह कर कोई नया नहीं लगाया जा रहा है। पहले से ही इस प्रकार का एक कर इस सरकार ने कानून के जरिये लगाया था। सबसे पहले यह एग्रीकल्चरल इन्कम-टैक्स के नाम से था। उसे रिपील करके वृहत् जोत-कर के नाम से सदन ने पास किया। लेकिन सीलिंग के कानून के आ जाने के बाद वह रिपील हो गया और उसे फिर यह सरकार इस विधेयक के जरिये पुनर्जीवित करना चाहती है।

जहां तक इस कर के सिद्धान्तों का प्रश्न है, जिस समय सदन में जोत-कर विधेयक लाया गया था, जिस पर बहुत वाद-विवाद हुआ था विरोधी पक्ष की ओर से काफी विरोध था, उस समय हमारी पार्टी ने अपना मत व्यक्त किया था कि कृषि के क्षेत्र में बड़े किसानों की आमदनी पर टैक्स लगाना चाहिये। इस दृष्टि से इस वृहत् जोत-कर विधेयक का हम स्वागत करते हैं और इसमें जो ग्रेडेड तरीका रखा गया है वह भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां हैं जिनको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं और उन्हीं को दृष्टि में रखते हुए मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से जल्दी में इस विधेयक को पास कराने की विधि अपनाई जा रही है उससे यह विधेयक जिस प्रकार सही रूप में बनना चाहिए नहीं बन सकेगा। इसलिये जो प्रस्ताव त्रिपाठी जी ने रखा है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय, वह एक अच्छा सुझाव है और वहां विधेयक की त्रुटियों पर अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है।

[श्री मीखालाल]

एक बात जो इसमें हमको बहुत खटकती है उसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें टैक्स लगाने की एक सीमा मुक़र्रर कर दी गई है कि इसके ऊपर जो काश्तकार होंगे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाय। वह सीमा दो तरह की रखी गई है। एक है ३० एकड़ और दूसरी ३,६०० रुपये की आमदनी। अब मैं यह समझने में परेशान हूं कि इन दोनों सीमाओं का सामंजस्य कैसे होता है। अगर ३,६०० रुपये की आमदनी को लिया जाय तो ३० एकड़ से इसका सामंजस्य नहीं होता है और ३० एकड़ का ३,६०० से सामंजस्य नहीं होता है। क्योंकि जो मूल्यांकन किया जाता है वह लगान का साढ़े बारह गुना करके निकाला जाता है। इस प्रकार से ३,६०० रुपया जिसकी आमदनी है उसका सालाना लगान २८८ रुपया होगा। अब इससे नीचे टैक्स नहीं लगेगा, २८८ रु० सालाना लगान के ऊपर टैक्स लगेगा। एक बार माननीय माल मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि हमारे सूबे में आम तौर से लगान का औसत सर्किल रेट ५–६ रुपया के दरमियान है। मैं ज्यादा से ज्यादा ६ रुपया माने लेता हूं। अगर सालाना लगान २८८ रुपया मान लिया जाय तो ६ रुपया प्रति एकड़ से जोत का रकबा ४८ एकड़ निकलता है। यानी अगर सीलिंग ३,६०० रुपया की आमदनी मानते हैं तो ४८ एकड़ की जोत पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस प्रकार से ३० एकड़ का आपका सिद्धान्त खत्म हो जाता है। अगर ३० एकड़ मिनिमम रखते हैं तो सालाना लगान १८० रुपया आता है लेकिन उसका साढ़े बारह गुना ३,६०० रुपया नहीं होता है, इस प्रकार दोनों प्रकार की निम्न सीमाओं में आपस में टकराव है। लेकिन मैं समझता हूं दोनों चीजों का रखा जाना लाजिमी है। ३,६०० रुपया इसलिये रखा गया है कि प्लानिंग कमीशन ने किसानों की आमदनी ३६०० रुपया होनी चाहिये, ऐसा कहा है। इसके ऊपर सरकार को टैक्स लगाना चाहिये। अतः हमें इन दोनों चीजों में सामंजस्य स्थापित करने के लिये कोई रास्ता निकालना है। इसका केवल एक ही रास्ता हो सकता है कि हम गुणक को बढ़ायें। इसके लिये अगर गुणक को साढ़े बारह गुना के बजाय २० गुना कर दिया जाय तो ठीक हो जायगा। वरना अगर टैक्स तीस एकड़ पर लगाना चाहेंगे तो वह तीस एकड़ पर लगेगा नहीं, ४८ पर जाकर लगेगा। इस त्रुटि को माननीय मंत्री जी सम्हाल लें और २० गुना कर देने से उन दोनों चीजों में सामंजस्य हो जाता है। इसलिये मेरा विचार है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और वहां पर हम सोच विचार कर आपस में इस सामंजस्य को बैठा सकें वही ठीक होगा।

दूसरी चीज प्रोसीजर के सम्बन्ध में है। उसमें एक धारा दी हुई है कि हर साल जिले का कलेक्टर नोटिस प्रकाशित करेगा जिसमें काश्तकारों से अपेक्षा करेगा, उन काश्तकारों से जिन पर टैक्स लग सकता है कि वे एक नक्शा जिले के कलेक्टर को दें। इस किस्म का कानून बनाना टैक्स लगाने के लिये कि काश्तकार खुद नक्शा बना कर दे कि उस पर कहां तक टैक्स लगाया जाय, यह कुछ उचित नहीं मालूम पड़ता। इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि उस पर टैक्स लगाया जाय, लेकिन वह स्टेटमेंट बना कर दे यह बड़ी दिक्कत की चीज है। क्योंकि स्टेटमेंट बनाने के लिये उसको जिन चीजों को फराहम करना होगा उन चीजों को ही फराहम करने में ही आधा टैक्स तो वह वैसे ही दे देगा मसलन इंतखाब लेने में और दूसरी नकलों के लेने में उसे बड़ी भारी परेशानी और खर्चा करना पड़ेगा महज सरकार की सहूलियत के लिये। यह फर्ज तो सरकार का है कि वह किसान को बतावे कि उसे कितना टैक्स देना है। अगर उसको कोई आपत्ति करनी होगी तो वह नियमों के मुताबिक करेगा। अतः मेरी प्रार्थना है कि किसान से स्टेटमेंट बनवाने का उल्टा प्रोसीजर उचित नहीं है।

यह जिम्मेदारी काश्तकार के ऊपर रखना कि तुम अपना नक्शा बना कर दो कि तुम्हें कितना टैक्स देना चाहिये, यह गलत है। सरकार को चाहिये कि वह नक्शा बना कर तामील करे कि जो तुम्हारी जमीन की मिल्कियत है, इस पर इतना टैक्स देना है, इस पर जो कुछ कहना हो नियम के अनुसार ३० दिन के अन्दर उज्रदारी करो। तो यह प्रोसीजर की बात है जिसका भार किसान के ऊपर पड़ेगा और टैक्स के अलावा और बहुत सा आर्थिक भार उसके ऊपर पड़ जायेगा और अन्य तरह के खर्चे उस पर पड़ जायेंगे।

इसके अलावा सरकार अपने हाथ में एक और अधिकार ले रही है कि सरकार अगर चाहे तो किसी भी जमीन के किसी वर्ग के लिये जो जनहित में हो, कर से मुक्त कर सकती है। यह कौन सा वर्ग है जो जनहित में आता है इसको गोल रखा गया है। इसमें यह भी नहीं है कि विधेयक में नहीं है तो नियमों में इसे साफ कर दिया जायगा। अगर यह भी लिख दिया जाता तो भी ठीक था। लेकिन ऐसा न करके सरकार पूरे अधिकार को अपने हाथ में रखना चाहती है कि सरकार जब किसी जमीन के किसी वर्ग को जनहित में समझे तो उसे कर से मुक्त कर सकती है। मैं समझता हूं कि सरकार स्वयं तो इसे करेगी नहीं, नीचे से ही उसे मंगावेगी और जब नीचे के छोटे कर्मचारियों से यह चीजें आयेंगी तो इसमें भ्रष्टाचार की गुंजायश है, इससे करप्शन बढ़ेगा। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि जिन चीजों को आप समझते हैं कि छूट देना सम्भव हो सकता है, जैसे नेचुरल कैलामिटीज सैलाब, पाला, पड़ जाना, ओले पड़ जाना, आगजनी हो जाना, इसमें तो आप छूट दे सकते हैं। इसके लिये जितना भी सम्भव हो, उसको कानून में रखना चाहिये। अगर नहीं रख सकते हों तो नियमों में इसे रखने की बात आ जानी चाहिये। लेकिन ऐसा न करके बिलकुल उस चीज को गोल रखना, यह बिलकुल गैरमुनासिब बात है, इससे करप्शन बढ़ेगा और इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिये जो संशोधन रखा गया है इस पर विचार होना चाहिये ताकि सेलेक्ट कमेटी में बैठ कर इस पर अच्छी तरह से विचार हो सके और पूरी चीजों को हम सोच सकें।

वैसे और भी कई छोटी-छोटी चीजें प्रोसीजर की हैं जिनके बारे में सेलेक्ट कमेटी में विचार कर सकते हैं। यह एक सिद्धान्त की बात है जो मैंने माननीय मंत्री जी के सामने रखी, उस पर वे जरूर विचार करें और मैं समझता हूं कि वह ऐसी चीज है जिस पर विचार होना चाहिये ताकि तमाम चीजों पर जो इस सम्बन्ध में कही गयी हैं, उनका सामंजस्य बैठाया जा सके और उसे एक पैमाने पर, एक स्तर पर लाया जा सके। इन शब्दों के साथ में जो संशोधन माननीय त्रिपाठी जी की तरफ से रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सदन इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दे ताकि तमाम त्रुटियों को निकाल कर एक अच्छा विधेयक बनाया जा सके।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं कर रहा है। वास्तविकता यह है कि इस विधान सभा ने लार्ज होल्डिंग्स पर टैक्स लगाने के सिद्धान्त को और उसकी प्रक्रिया को बहुत पहले ही स्वीकार किया था। उस समय जब कि विधान सभा ने प्रदेश की लार्ज होल्डिंग्स पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया था, परिस्थितियां, तथा रुपये पैसे का प्रश्न भी इतना नाजुक नहीं था। केवल समाजवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर ही लार्ज होल्डिंग्स पर टैक्स लगाने की बात को स्वीकार किया गया था कि प्रदेश के जिन लोगों के पास बड़ी-बड़ी जोतें हैं, या तो वे उन जोतों के लिये काफी रुपया दें सरकार को, अन्यथा यदि न दे सकें तो उन जोतों को आत्मसमर्पण करें। जिससे उनका वितरण उन गरीब भाइयों में हो सके जिनके पास भूमि न हो। या ऐसे कृषकों में जो भूमिहीन हों उनमें जमीन का बटवारा किया जा सके। केवल इस समाजवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर यह कानून बना था, लेकिन बाद में जब कि लैंड सीलिंग का कानून आया तो यह महसूस किया गया कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके अनुसार ४० एकड़ से अधिक की जो जोत थी उसका सीलिंग ऐक्ट के अनुसार गरीबों में वितरित हो जाना सम्भव था। इस प्रकार बृहत् जोत कर ऐक्ट लैंड सीलिंग ऐक्ट के पास होने पर रिपील कर दिया गया। परन्तु सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि कुछ कानूनी अड़चनों के कारण और जैसी कि सुविधायें धनी लोगों को कानूनी अड़चनों की रहती हैं जैसे हमारे यहां सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स आदि की वसूली में कठिनाई होती है रोज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट जाते हैं, उसी तरह से इस सीलिंग के कानून में भी अड़चनें डाली गई हैं और वह लागू नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

किया जा सका। इस तरह से कानूनी अड़चनों की वजह से न तो सीलिंग का कानून ही लागू हुआ और जो वृहत जोत-कर पहले लगा हुआ था वही रह सका, वह रिपील हो गया था। नतीजा यह हुआ कि जब हमें डिफेंस और योजना के कामों के लिये धन की आवश्यकता है और हम गरीब से गरीब से भी योग ले रहे हैं और देहात में हमने १–२ बीघे के किसान पर भी २५ प्रतिशत टैक्स बढ़ा दिया है और उस को भी नहीं छोड़ा है तो ऐसी परिस्थिति में वृहत जोतकर लगाना आवश्यक है। यह ३० एकड़ से ऊपर और २,६०० रुपया सालाना आय से अधिक वालों पर लगाया जा रहा है, प्रदेश में २ प्रतिशत से अधिक ऐसी जोतें न होंगी जो ३० एकड़ से अधिक हैं, इस तरह से इसका प्रभाव थोड़े से लोगों पर ही पड़ता है जो आसानी से दे सकते हैं और जिससे स्टेट का काफी लाभ हो सकता है। आज हम सुरक्षा के नाम पर जिनके पास झोपड़ी है उनसे भी ले रहे हैं कच्चे पक्के मकान वालों से भी ले रहे हैं, १–२ बीघा खेत वालों से भी ले रहे हैं तो यह वृहत् जोत कर इन थोड़े से बड़े लोगों से लेना मुनासिब ही है।

मुझे अपने कम्युनिस्ट भाइयों की बात सुनकर जरा आश्चर्य हुआ कि वह भी इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात करते हैं। उनको तो कहना चाहिये था कि बड़े आदमियों से वसूली न करने के लिये ऐसे लूपहोल्स रख दिये जाते हैं। उनको कहना चाहिये था कि इस वसूली को फौरन रेगुलराइज किया जाय। समाजवादी विचारधारा के लोगों को तो हर हालत में ऐसे काम का स्वागत करना चाहिये था, जब सरकार एक ऐसे कर को रेगुलेराइज करने जा रही है जिसका असर मोटे आदमियों पर अधिक पड़ेगा। ऐसी चीज में कानूनी अड़ंगा लगाना उचित नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस विधेयक की प्रतिलिपि मुझे जब मिली तो सबसे पहले मैंने इसके पन्नों को उलट कर देखना चाहा कि जो मालगुजारी पर सर चार्ज का कानून पास किया गया था और जो ऐक्ट बन चुका है क्या उसको इस नये विधेयक में निरस्त करने की व्यवस्था की गई है कि नहीं। लेकिन यह देख कर कि वह अधिनियम निरस्त नहीं होगा, बड़ी निराशा हुई। मुझे आशा थी कि जब नये कर का बिल आयेगा तो सरचार्ज जो किसानों पर २५ फ़ीसदी लगाया गया था वह वापस ले लिया जायगा। मेरी यह आशा विशफुल थिंकिंग का नतीजा नहीं थी बल्कि सदन में राजस्व मंत्री द्वारा अनेक बार दिये गये आश्वासनों पर आधारित थी। मैं उन आश्वासनों को पढ़ देना चाहता हूं:

६ दिसम्बर को मंत्री जी ने कहा कि "मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यह बिल मौजूदा साल जो है उसी के लिये है।" फिर ८ दिसम्बर को उन्होंने कहा "मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि यह बिल करेंट ईयर के लिये ही है। माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने एश्योरेंस चाहा था, मैं फिर दोहराता हूं कि यह विधेयक इसी वर्ष के लिये है।" १० तारीख को माननीय राजस्व मंत्री ने फिर कहा "मैं श्री भानु प्रताप सिंह का बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया है कि मैं इस मामले में सफाई कर दूं। जैसा कि उन्होंने कहा अपोजीशन के लीडरान के दरमियान यह तय हुआ था कि यह बिल लाया जाय जिस शक्ल में यह है और बाद में दोबारा बिल लाया जायगा जिसमें काफी बड़े पैमाने पर टैक्स लगाया जायगा। जब दूसरा बिल आयगा तब यह खत्म हो जायगा। अभी कानूनी दिक्कतों से वह नहीं आया। लेकिन जब वह आ जायगा तो यह बिल खत्म हो जायगा। "अन्त में फिर उन्होंने कहा" तमाम लीडरों के दरमियान यह तय हुआ था कि एक विधेयक होगा पार्ट १ और दूसरा विधेयक होगा पार्ट २। पार्ट १ एक साल के लिये होगा वह यह है कि और दूसरा पार्ट चन्द दिक्कतों की वजह से नहीं आ सका, जिस वक्त वह आयेगा यह खत्म हो जायगा। वह जरूर जरूर आयेगा और हम उसे बहुत जल्द लाना चाहते हैं।" फिर कहा "मैं कहता हूं कि जो हमने वादे किये हैं उन पर हम कायम रहेंगे। अगर यह विधेयक साल के भीतर आ जायगा तो सरचार्ज वाला बिल वापस ले लिया जायगा। इतने आश्वासनों के बाद यदि मैंने आशा की थी कि सरचार्ज वापस हो जायगा तो निराधार नहीं थी। लेकिन

जैसी मुझे उस समय शंका थी और मैंने उस विधेयक में संशोधन पेश किया था कि १ साल के लिये ही इसको माना जाय वह शंका आज इस विधेयक के आने पर और उस पुराने सरचार्ज के न वापस होने से पुष्ट हो गई। सरकार की नीयत कभी भी नहीं थी कि वह सरचार्ज को वापस ले ले। कृषि आमदनियों पर टैक्स का काफी लम्बा इतिहास हो चुका है। सबसे पहले ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाया गया। मैं समझता हूं कि वह उचित ही था। कोई भी व्यक्ति जो कृषि से अच्छी आमदनी करता है उस पर टैक्स लगना चाहिये। लेकिन उसके बाद जैसा कृष्णानन्द राय जी ने बताया एक दूसरा विधेयक वृहत जोत कर लाया गया जिसका उद्देश्य मुख्यतः यह था कि बड़ी-बड़ी आराजियां खत्म हो जायं।

माननीय चरणसिंह जी ने बार-बार कहा था कि विधेयक का उद्देश्य यह था कि बिला सीलिंग लगाये सीलिंग लग जाय। जो ठीक से खेती नहीं करते हैं वह टैक्स नहीं दे सकेंगे और मजबूरन जमीन का बटवारा करना पड़ेगा। यही उस विधेयक का उद्देश्य था। अतः जब सीलिंग बिल आया तो इसके साथ-साथ वह लार्ज लैंड होल्डिंग टैक्स का कानून वापस ले लिया गया। यह उचित ही था क्योंकि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये लार्ज लैंड होल्डिंग लगाया गया था वह उद्देश्य दूसरे प्रकार से पूरा हो गया। जब सीलिंग ऐक्स पास हो गया और उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई तो इस विधेयक की क्या आवश्यकता थी। जो खेती से आमदनी करते हैं उन पर टैक्स लगना चाहिये। अतः लार्ज लैंड होल्डिंग के रूप में न आ कर यह यदि ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के रूप में आया होता और वास्तविक मुनाफे पर टैक्स लगाया होता तो कोई विरोध नहीं करता। लेकिन यह इस रूप में आया है कि चाहे आमदनी हो या न हो टैक्स जरूर लिया जाय, इसका भी खयाल नहीं रखा गया कि जिस पर टैक्स लगाया जा रहा है उसके परिवार में कितने आदमी हैं। इस विधेयक की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि आमदनी पर टैक्स न हो कर आमदनी के साधनों पर टैक्स है। किसी दूसरे व्यवसाय करने वाले पर आमदनी के साधनों पर टैक्स नहीं लगाया गया है। यह केवल किसानों के लिये ऐसा किया जा रहा है। इस देश में किसानों को किन परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है उसको देखते हुए उन्हें आमदनी क्या होती है, लाभ क्या होता है. इन सब पर विचार करने की आवश्यकता सरकार ने नहीं समझी। एक फारमूला बना लिया कि जितना रेंट है उसका साढ़े बारह गुना मुनाफा होना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं सरकार के फार्मों पर किस हिसाब से लाभ होता है? उनमें हानि भी होती है जब कि पूंजी की कमी नहीं, कृषि विशेषज्ञों की कमी नहीं, हर प्रकार की सुविधायें हैं, फिर भी वहां हानि हो रही है। लेकिन जब किसान पर टैक्स लगाना होता है तो सरकार मान लेती है कि उनको निश्चय ही लाभ होता होगा। जिन असुविधाओं में इस देश का किसान काम कर रहा है वैसा शायद ही किसी दूसरे देश के किसान को करना पड़ता हो। सरकार की गलत नीतियों के कारण इस देश के किसान को अमेरिका के किसान के कम्पिटीशन में रख दिया गया है।

हमारे देश के अनाज की कीमतें इस बात से तय नहीं होती क्या सप्लाई और क्या डिमान्ड है। बल्कि इस बात से तय होती है कि कितना गल्ला हम बाहर से मंगा कर यहां डम्प करते हैं। अमेरिका के किसानों से भारत के किसानों को कम्पिटीशन में रख दिया गया है, यह फेयर नहीं है क्योंकि परिस्थितियां भिन्न हैं। प्रधान मंत्री ने अभी २,३ दिन हुए वक्तव्य दिया कि हमको विज्ञान की धारा में बहना चाहिये। ठीक बात कही, लेकिन यदि किसान विज्ञान को कृषि क्षेत्र में लगाना चाहते हैं तो वह कैसे लगा सकते हैं इन परिस्थितियों के होते हुए? भारत सरकार द्वारा जो नये टैक्सेज बढ़ाये गये हैं डीजल आयल, पैट्रोल, पावरीन आदि पर उनसे उनकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि किसी प्रकार से मशीन का चलाना किसानों के लिये कठिन हो गया है। मैं कितने ही किसानों को जानता हूं और खुद का अनुभव है, मेरे पास भी ट्रैक्टर है लेकिन उसको गैराज में रख दिया क्योंकि उसका चलाना अब अनइकोनामिक हो गया है। अमेरिका के किसानों से कम्पिटीशन है परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि वहां १४ आने गैलन पेट्रोल मिलता है और यहां १४ आने लिटर डीजल आयल मिलता है। हमारे देश में फर्टिलाइजर्स की कीमत जो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य है उसकी सवायी है। मशीनरी

[श्री भानुप्रतापसिंह]

के पुर्जे एक तो मिलते नहीं हैं और जो मिलते हैं तो वह २, ३ गुने दामों पर मिलते हैं। कोई भी किसान ऐसी परिस्थिति में कैसे विज्ञान की धारा में बहकर मुनाफा कर सकता है? मैं पिछले २२ वर्षों से खेती कर रहा हूं और यह कह सकता हूं कि जितनी कठिनाइयां आज किसानों के सामने उपस्थित हैं उतनी पिछले २२ वर्षों में कभी नहीं थीं। एक तरफ अनाजों का मूल्य गिरता जा रहा है और दूसरी तरफ टैक्सों का बोझ बढ़ता जा रहा है।

टैक्सों के विषय में जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि जिसकी आमदनी बढ़ी हो उसके ऊपर टैक्स न लगाये जायं। लेकिन दो प्रकार के माप दन्ड अपनाना कि एक तरफ आमदनी हो तो टैक्स लगे और दूसरी तरफ आमदनी के साधनों पर टैक्स लगेगा यह किसानों के साथ अन्यायपूर्ण है। इस सरकार की नीयत किसानों के प्रति सदा भेदभावपूर्ण रही है। यह उनको निम्न श्रेणी का नागरिक समझती है और उनका शोषण करना ही एक मात्र कर्त्तव्य समझती है। जितनी बातें होती हैं उनमें हमेशा गांवों के लिये दूसरी और शहर वालों के लिये दूसरी व्यवस्था होती है पहले भी मैं इस सदन में एतराज कर चुका हूं कि क्या कारण है कि एक प्रकार के कानून नहीं बनाये जाते। जो इन्कम टैक्स कानून है वह किसानों पर भी लागू कर दिया जाय जैसे और व्यवसाय वालों पर टैक्स लगता है वैसे ही, किसानों पर लगें। लेकिन उसको न मान कर यह बिल लाया गया है। कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि इसका उद्देश्य है कि लार्ज लैन्ड होल्डिंग्स को तोड़ दिया जाय और इस बात की इससे पुष्टि हो जाती है कि कम्युनिस्ट भाइयों ने कहा कि यह टैक्स लगना चाहिये और लगान का २० गुना किसान की आमदनी मानी जानी चाहिये। तो नीयत तो यह है कि बड़े किसानों को तोड़ दिया जाय और उनको खेती करने का अवसर न दिया जाय जिससे सहकारी खेती का जो उद्देश्य है उसे पूरा किया जाय सके। वास्तव में बड़ा किसान कोई नहीं है। सीलिंग ऐक्ट पास होने के बाद मध्यम श्रेणी के किसान रह जाते हैं। उन्हें ही बड़ा किसान कहा जाने लगा है और उनको समाप्त करने की यह तैयारी है।

इस ऐक्ट में यह भी कहा गया है कि ३,६०० रुपये से कम आमदनी वाले किसान पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी तरफ जो सीलिंग ऐक्ट पास हुआ उसके पीछे यह सिद्धान्त था कि ३,६०० रुपये से ज्यादा जब आमदनी होगी तो उसकी होल्डिंग कम की जायगी। तो या तो यह गलत है या वह बात गलत थी। सीलिंग कानून अगर ठीक तरह से लागू किया गया है, तो इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। वास्तव में टैक्स लगाने की नीयत नहीं है बल्कि मध्यम श्रेणी के किसानों की रीढ़ को तोड़ देने का इरादा है और सहकारी खेती को स्थापित करने का जो उद्देश्य है उसे पूरा करने का इरादा है। लिहाजा इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय जहां इस पर ठीक ढंग से विचार किया जा सके।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, यह जो कानून यहां पेश है ३० एकड़ से ऊपर और ३,६०० रुपये की जिसकी जमीन की कीमत हो उसके ऊपर यह टैक्स लगाया जायगा। मैं समझता हूं कि इस बिल के पास करने से जो लैन्ड टैक्स कंट्रोवर्शियल बिल था उसका दूसरा पार्ट पूरा हो गया। जो छोटे किसान थे उन पर एमर्जेन्सी सरचार्ज लगा कर पहला उद्देश्य पूरा हो गया था। जो बड़े ३० एकड़ से ऊपर के थे उन्हें इस बिल के मातहत आपने ले लिया और दोनों को जोड़ दिया। इसके अन्दर आपने लिखा है कि इमर्जेंसी सरचार्ज जिसके ऊपर ३० एकड़ के कैलकुलेशन से थोड़ा होगा उसका थोड़ा डिडक्शन छोड़ दिया जायगा और जिसका इमर्जेन्सी सरचार्ज ज्यादा होगा उससे नहीं लिया जायगा। माने यह हुए कि अब आप उस इमर्जेन्सी सरचार्ज वाले बिल में कोई अमेंडमेन्ट लाने की नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों को आपने जोड़ दिया। इसमें भी अगर आप ऐसा कोई क्लाज रखते जिससे १० एकड़ से नीचे वालों को एग्जम्पशन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिलता तो शायद यह अच्छी तरह से यहां से पास हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसको दो जगह स्प्लिट करके दोनों पर बढ़ा दिया और वह मसला जो कंट्रोवर्शल होने की वजह से उस वक्त आप वापस नहीं करा सके अब वह कम्प्लीट हो गया।

इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये मैं इसलिये जोर दूंगा क्योंकि इसमें बहुत से डिफेक्टस हैं। एक जगह आप फरमाते हैं कि कोआपरेटिव फार्म्स पर भी यह लागू करेंगे। एक तरफ तो आप कोआपरेटिव फार्मिंग की स्कीम को चलाने के लिये हर तरह की मदद देने के लिये तैयार हैं और दूसरी तरफ अगर ३,६०० रुपये उसकी लैन्ड रेवेन्यू हो जाती है और ३० एकड़ से ज्यादा का वह फार्म है तो उसके ऊपर भी यह टैक्स लेंगे। इस तरह से तो जो आपकी यह कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोआपरेटिव फार्मिंग की तरफ रुजू हों उसको धक्का लगेगा और काश्तकार यह सोचने लगेगा कि अगर हमने कोआपरेटिव फार्मिंग की तो इस बिल की जद में आ जायगी इसलिये उसका न बनाना ही अच्छा है और अलग रहना ही ठीक है।

दूसरी बात पेमेंट के बारे में आपने रखी है कि चार किस्तों में आप यह टैक्स वसूल करेंगे। हर लैन्ड रेवेन्यू और दूसरे किस्म के टैक्स आप दो किस्तों में वसूल करते हैं और इसके आपने चार इंस्टालमेन्ट्स रखे। इसके माने यह हुए कि जो आपका वसूल करने वाला कर्मचारी होगा वह हर एक गांव के आदमी से कांटेक्ट में रहेगा और उसे परेशान करता रहेगा कि अब लगान लाओ, अब बढ़ा हुआ सरचार्ज लाओ और अब यह चीज लाओ और जितनी भी उसकी पावर होगी उसे बराबर इस्तेमाल करता रहेगा और गांव में रहने वाले आदमी को किसी वक्त रिलीफ नहीं मिलेगी। यह एक नयी चीज आप कर रहे हैं। इससे आगे चलिये तो आपने इसमें एक जगह यह कहा है कि अगर वह वक्त पर टैक्स नहीं अदा करेगा तो उससे पेनाल्टी वसूल की जायगी और वह पेनाल्टी भी ऐज लैन्डरेवेन्यू वसूल की जायगी। इसके लिये आप उसको गिरफ्तार भी करेंगे, हवालात भी भेजेंगे, फसल भी कुर्क करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसके माने यह हुए कि एक काश्तकार को आप इतनी चीजों में बांध देते हैं कि एक परेशानी की हालत उसकी होगी कि आज पेनाल्टी के लिये अमीन साहब आये हैं, पैसा पास नहीं है तो कहेंगे कि चलिये। आप ऐसी सूरत में जो इस बिल में कमियां हैं मैं समझता हूं कि इसको आप सेलेक्ट कमेटी में भेजिये ताकि वहां तसल्ली से इस पर गौर हो कि किस तरह से हम अमेंडमेन्ट करें जिससे कि जो छोटे काश्तकार हैं उन्हें भी कुछ रिलीफ मिले।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो टैक्स हमारे सामने है, इसको जब हम गौर से देखते हैं और इसकी तुलना केन्द्रीय सरकार के इनकम टैक्स से करते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है। केन्द्रीय सरकार के इन्कम टैक्स और खेती के टैक्स में केवल इतना अन्तर है कि खेती का टैक्स किसानों की मेहनत से, उसकी गाढ़ी कमाई से और पसीने की कमाई से लिया जाता है, लेकिन केन्द्रीय सरकार का टैक्स सूदखोरी, जुये के ऊपर और मकान के किराये पर आता है। आपने फिर भी मेहनत से पैसा पैदा करने वाले पर क्या टैक्स लगाया है और सेंट्रल के टैक्स की क्या दर है? जब हम इसकी तुलना करते हैं तो हमें अफसोस और ताज्जुब होता है कि यह सरकार जो कहती है कि हम सोशलिस्ट हैं और समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं तो उसकी हालत यह है। केन्द्रीय सरकार ने जो टैक्स जुये और सूद पर रखा है, उस पर उसने बहुत बड़ी छूट दे रखी है। उसमें ३,६०० पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन किसानों को केवल १,८०० तक ही छूट दी है और बाकी सारा का सारा टैक्सेबिल है। हम यह भी देखते हैं कि जिसके दो लड़के हैं उसको भी छूट दे रखी है। पहले पांच हजार पर २४१ रुपये टैक्स है, अगले १० हजार पर ९४० रुपये और फिर अगले १५ हजार रुपये पर १,९०७ रुपये है। अब श्रीमन्, लैन्ड होल्डिंग्स टैक्स के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवान सहाय]

रेट देखिये १,८०० रुपये तक तो छूट है। इसके बाद ५,००० रुपये पर १६० रुपये टैक्स है, फिर दूसरे ५,००० पर ५०० रुपये और फिर दूसरे दस हजार पर २५०० रुपये है। इसका मतलब यह है कि ३० हजार रुपये पर ७,१६१ रुपये जाते हैं और दूसरी तरफ आप देखिये कि केन्द्रीय सरकार के इन्कमटैक्स पर ३० हजार पर केवल १,९०७ रुपये ही आते हैं। यह गाढ़ी मेहनत की कमाई जो समाज की बुनियाद है, जिसके ऊपर सरकार अवलम्बित है और जिसकी आमदनी बहुत ईमानदारी और मेहनत की है और जो पिछड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपने जो रेट्स टैक्स के लगाये हैं वह उस हिसाब से लगाये हैं कि जिसकी कोई निस्बत केन्द्रीय सरकार के टैक्स से नहीं है।

मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसके पीछे जो उसूल हो उसको समझायें कि किस उसूल पर यह टैक्स लगाया गया है और किस उसूल पर, उनके बड़े भाई केन्द्रीय सरकार ने नाजायज आमदनी पर, जो जुये और सूद की आमदनी है जिसे सभ्य समाज ईमानदारी की आमदनी नहीं कह सकता है, लगाया है वह इसको बतायें। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि हायर इंकम पर रेट बढ़ा दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि ४० एकड़ और २४ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती है। इसकी आमदनी आप ले लें। किसान की आमदनी ३० हजार से ज्यादा नहीं हो सकती है लेकिन सूद और जुये से लाखों की नहीं, बल्कि अरबों रुपयों की आमदनी हो सकती है। इसको सरकार रिकग्नाइज करती है और टैक्स कम लेती है। तो अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा, मुझे ज्यादा नहीं कहना है, केवल इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि वह जरा उस उसूल को बतायें। वह गांधी जी के शिष्य हैं, मारैलिटी के ठेकेदार हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि यह कौन सा गांधी जी का कानून है, कौन सा गांधी जी का उसूल है, जिसके ऊपर उन्होंने और उनके बड़े भाई पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दो रेट्स बना रखे हैं? इससे अधिक मैं नहीं कहना चाहूंगा।

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या प्रोग्राम है इस बिल के संबंध में?

श्री अधिष्ठाता--

अब समय नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह--

समय बढ़ा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

आप यहां थे नहीं। मैं बतला चुका हूं। इसका समय निर्धारित हो चुका है।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

अधिष्ठाता महोदय, बृहत् जोतकर विधेयक जो हमारे सामने उपस्थित है मैं भी यह उचित समझता हूं कि प्रवर समिति को भेज दिया जाय। अभी हमारे माननीय कृष्णा नन्द जी कुछ समाजवाद के दृष्टांत देते हुए हमारे कम्युनिस्ट भाइयों की तरफ इशारा कर रहे थे कि यह बड़े किसानों पर टैक्स है। इसका सब लोग समर्थन ही करेंगे और बड़े लोगों पर टैक्स की सब मांग करते हैं। मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कृष्णा नन्द राय जी से ठीक वही कहानी हुई कि गदहे से बस नहीं पड़ा गदही के कान ऐंठने लगे। जो बड़े लोग हैं, उनसे वसूल नहीं कर सकते, उन पर टैक्स नहीं लगा सकते, किसान जो गरीब है, उस पर यह टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया। जो जोत कर लगाया गया जिससे सवाया लगान हुआ वह सभी किसानों पर लगा। अब दो-ढाई महीने बाद एक दूसरे तरीके से किसान को पकड़ा जा रहा है। किसान के ऊपर यह दूसरा टैक्स से आये। जनता आज बड़ी गम्भीरता से इस बात को सोच रही है अगर जनतन्त्र में संकटकाल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के नाम पर केवल टैक्स लगाना है तो लोग जनतंत्र से ऊब चुके हैं। जब हमारे ऊपर हमला हो तो उसके लिये जनता रुपया देने के लिये तैयार है जहां तक हो सके लोग देने को तैयार हैं, लेकिन केवल सरकार यह सोच ले कि टैक्स लगाना है जब कि अभी वित्त मंत्री कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में टैक्सेशन अन्तिम सीमा तक पहुंच चुका है, आज फिर टैक्स आ रहा है और कल पता नहीं कौन सा टैक्स आयेगा। मेरी समझ में नहीं आता सरकार के अन्दर बहुत पोलारें हैं। अन्तिम सीमा तक यू० पी० में टैक्स पहुंच चुका है उसके बावजूद फिर टैक्स ले आये हैं। हम तो कहते हैं कि अगर संकट काल में टैक्स लगाना मात्र असेम्बली का काम है तो तोड़ दीजिये असेम्बली। अगर सलाह की जरूरत है तो पार्लियामेन्ट में मिल सकती है। उसमें सारी पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। संकट काल में जो जनतन्त्र के हिमायती हैं, वह गंभीरता से समझते हैं कि काम करना चाहिये तो राजनीतिक पार्टियां काम कर सकती हैं। इतना महंगा जनतन्त्र और उस पर अनेक-अनेक रूप से किसानों पर टैक्स लगाना, यह देश के लिये खिलवाड़ करना है। इस संकट काल का भी इतिहास लिखा जा रहा है। इस संकटकाल में टैक्स लगाना ही देशभक्ति रह गयी है। फिजूल खर्ची को रोकना, कम खर्च करना, किसी पर रोक नहीं बल्कि संकट काल में बढ़ रहे हैं। लेकिन टैक्स बढ़ रहे हैं और किसानों पर बढ़ रहे हैं। पता नहीं क्यों सरकार किसान के पीछे डंडा लेकर पड़ी हुई है। क्या मैं यह समझूं कि हमारे माल मंत्री जी आज बीमार इस लिये हो गये हैं मामूली बात नहीं है और स्वास्थ्य मंत्री जी, आपको किसान के बारे में ज्ञान शायद नहीं होगा कि किसान किस हालत में अपने दिन बिता रहा है। हमारे भूतपूर्व माल मंत्री जी हैं, उनसे ही इस बिल को पेश करा दिया होता इस हाउस में तो जरा पता लगता कि किसान की क्या हालत है? वह कुछ तकरीर करते, बताते। (व्यवधान) भूतपूर्व माल मंत्री हैं, वह थोड़े बहुत किसान हैं, किसान की बात जानते हैं, वह इसको पेश करते। लेकिन आपको यह बिल पेश करने के लिये कह दिया तो मैं तो यही कह सकता हूं कि गर्भवती के हाल को जाने क्या बांझ बेचारी? वह उसका हाल नहीं जान सकती। इसलिये मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में भेजकर सरकार इसके ऊपर गंभीरता से सोचे कि इसी वक्त टैक्स लगाना और किसान पर टैक्स लगाना, इस रूप में कहां तक उचित है? इस बात को सरकार गंभीरता से जरूर सोचे और समझे।

*श्री प्रेमसिंह—

मान्यवर, इतना कम समय है तो मुख्तसर में मैं एक कविता में ही इसको कहकर खत्म करता हूं।

तुम बढ़ाते जोतकर हो, खून सारा चूसते,
एक दिन सीता बनेगी, खून से हम पूछते।

खून की सीता चुराकर, नाश रावण ने किया था,
तुम विभीषण बन रहे हो, एलान पहले ही किया था।

गुप्त जी के सेठ मालिक, मजे अब भी वे उड़ाते,
टैक्स उन पर बहुत बाकी, किन्तु उनसे ले न पाते।

हम किसानों ने तुम्हें, चुन के लीडर गलत भेजा,
आज हम पर कर लगाते, औ जलाते हो कलेजा।

हुकुम सिंह जी मान जाओ, प्रेम सिंह की प्रेमवानी
यह विधेयक कर लो वापस, करो कुछ तो मेहरबानी।।

अच्छा यह तो हो गया। अब दो लाइन इस पर भी आ जाइए। ४० एकड़ का मतलब यह है कि कोई बड़ा आदमी न रहे। तो जब आपने इस पर कामयाबी कर ली, बड़ों-बड़ों को छोटा कर दिया तो अब इससे ज्यादा दफन करने की क्या जरूरत रह गई? अब और भी ज्यादा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रेमसिंह]

वफ़ान अगर हम लोगों को करेंगे तो मैं नहीं जानता कि मैं कहां जाऊंगा और हमारी गवर्नमेन्ट कहां जायेगी। इसलिये मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को वापस ले लीजिए।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, दो ही मिनट मुझको बोल लेने दें।

श्री अधिष्ठाता—

दो मिनट में मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन बोलने वाले बहुत हैं। समय बहुत कम है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बुन्देलखन्ड की तरफ से किसी को मौका नहीं दिया गया। दो मिनट मुझे भी दे दिया जाय .....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अगर दो-दो मिनट बोलें तो चार आदमियों को आठ मिनट में दे सकता हूं।

श्री रक्षपाल सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। दो मिनट में मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह सरकार सरासर किसान विरोधी है। इसको जब कभी भी कोई कर लगाना होता है तो किसान ही इसको मिलता है और दूसरे जो बिक्री-कर और स्टाम्प कर वगैरह वह लगाती है, वह कर भी किसानों को ही देना पड़ता है। तो अगर यह कहा जाय कि किसानों के ऊपर ही सरासर टैक्स यह सरकार लगाती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कभी आपत्ति-कालीन कर, कभी वृहत जोत कर और कभी अन्य प्रकार का कर, सब किसान पर ही लगाती है मैं तो यह सोचता था जैसा कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसके पहले वाले कर को समाप्त करके तब दूसरा कर यह आता, अभी उन आश्वासनों का उल्लेख किया गया, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वह २५ परसेंट जो सरकार ने बढ़ाया था, उसे अब वह वापस नहीं लेगी क्योंकि इसमें यह लिख दिया गया है कि या तो यह कर लिया जायगा या वह जो ज्यादा होगा, लिया जायगा। इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार ने इसको उससे सम्बद्ध कर दिया है और हमेशा उसे लगाये रखना चाहती है। बिलकुल मुहम्मद तुगलक की नीति है। पहले इसे (वृहत जोतकर) समाप्त किया और अब फिर ले आयी। मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर पर भी ३,६०० के ऊपर जैसे सरकार की इन्कम टैक्स की नीति है, उसी प्रकार कर लगना चाहिए।

श्री विजयसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय माधो प्रसाद जी का जो प्रस्ताव पेश है, मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, वृहत जोतकर विधेयक, १९५७ में बुन्देलखन्ड के चारों जिलों को विशेष सुविधा दी गई थी उसी आधार पर आज भी इस नये बिल में सभी जिलो की और विशेषरूप से बुन्देलखन्ड की बात कहने जा रहा हूं। जितनी दफा सदन में यहां पर सीलिंग व वृहत् जोत कर बिल आये हैं उन सब में जालौन जिला के कृषकों को इस बात की व्यवस्था की गई है कि उनके लिये विशेष ख्याल रखा जाय। बुन्देलखन्ड में एक्सपेंसिव खेती होती है। वहां के किसान लोग बहुत गरीब हैं मिट्टी बहुत खराब है और लगान बहुत अधिक है। वहां की २ एकड़ जमीन को दूसरे जिलों के मुकाबले में एक एकड़ माना जाता है क्योंकि पैदावार वहां की आधी है। इस तरह का प्राविजन पिछले दो Bills में किया गया था। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाय जिससे वहां पर बैठकर बुन्देलखण्ड के विषय में जो समस्यायें हैं उन पर विचार किया जा सके।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि बुन्देलखन्ड में जो बन्दोबस्त हुआ था वह सन् १९२७ के पहले हुआ था। इस Bill में यह व्यवस्था है कि १९२७ के पहले जहां पर बन्दोबस्त हुआ है वहां पर लगान ड्योढ़ा कर के Valuation निकाला जाय। पिछली बार १९५८ में भी L.L.H.T. में बुन्देलखन्ड में जो टैक्स लगा था वह लगान को ड्योढ़ा करके लगाया गया था। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि सन् २७ के पहले जो बुन्देलखन्ड में बन्दोबस्त हुआ था जिस पर वह टैक्स ड्योढ़ा करके लगाया गया था उसके बाद इस बिल के अनुसार अब लगान को ड्योढ़ा करके उन लोगों के ऊपर टैक्स न लगाया जाय। इन शब्दों के साथ में त्रिपाठी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि बुन्देलखन्ड की समस्या पर विशेष विचार हो सके क्योंकि इसमें किसी प्रकार के Relief की व्यवस्था नहीं रखी गई है। आशा है सरकार इसे स्वीकार करेगी।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, यह विषय बड़ा गंभीर है। हमारे यहां बुन्देलखन्ड की हालत बहुत खराब है, लेकिन आये दिन यह सरकार टैक्स लगाती है। इससे लोग बहुत परेशानी महसूस करते हैं। इस सरकार को टैक्स लगाने की आदत पड़ गई है उसी तरह से जैसे कि किसी आदमी की आदत खराब हो जाती है। यह सरकार आये दिन टैक्स का भार लादती चली जा रही है। सरकार इस बात को महसूस नहीं करती कि जनता पर क्या बीत रही है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि मंत्री जी का हृदय पाषाण का नहीं है वह इस बात को सोचें कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास कपड़े पहनने के लिये नहीं हैं, जिनके पास रहने के लिये झोपड़ी नहीं है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, उनके ऊपर टैक्स लगाने से क्या नतीजा होगा। जिनके बच्चे अगर बीमार पड़ जायें तो वे दवाई का इन्तजाम नहीं कर सकते हैं। उनके बच्चे आज बिना दवाई के मर जाते हैं। वे दवाई तक खरीद नहीं सकते हैं। सरकार इस बात पर विचार करे कि किसान देश की रीढ़ है। जब आप देश की रीढ़ को तोड़ देंगे तो यह देश कैसे जिन्दा रह सकता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैं यह मानता हूं कि आज देश पर संकट है। अगर इस राष्ट्रीय संकट में किसानों के साथ जुल्म किया जायगा तो यह इतिहास कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। आज इस प्रकार से किसानों के साथ भयंकर जुल्म करने की कोशिश की जाती है तो वह सब इतिहास में लिखी जायगी और जब चीन का झगड़ा समाप्त होगा तो आपका यह सब इतिहास काले अक्षरों में लिखा जायगा कि इस तरह से गरीब जनता के ऊपर जुल्म किया गया।

आज गरीब किसानों के साथ इन्साफ नहीं किया जा रहा है। आज किसानों के लड़के और गरीब लोगों के लड़के देश की रक्षा के लिये बार्डर पर लगे हुए हैं और वे कठिनाई उठाकर भी देश की रक्षा कर रहे हैं। जब इस देश का इतिहास लिखा जायगा तो आप विश्वास करें कि इस सरकार का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जायगा कि किसानों के साथ इस तरह से फिर भी जुल्म करने की कोशिश की गई। सरकार इस बात को महसूस नहीं करती है कि गरीबों के साथ क्या बरताव किया जा रहा है जिनके पास पहनने को कपड़ा और खाने को रोटी नहीं है उन्हीं के साथ जुल्म किया जा रहा है। जिन लोगों के ऊपर करोड़ों रुपया बाकी है उनसे वसूल करने की कोशिश नहीं की जाती है। अगर उनको कोई कहीं सजा दी जाती तो हम सरकार का समर्थन करते और स्वागत करते। आज उन पूंजीपतियों के साथ सरकार रियायत करती है। और किसानों के साथ जुल्म किया जाता है। जैसा एक भाई ने कहा कि अगर इस हद तक आप जुल्म करने पर उतर आये हैं तो इस जनतांत्रिक पद्धति द्वारा चुनी विधान सभाओं व लोक सभाओं की देश को जरुरत नहीं है। इनको आप समाप्त कर दें। हम लोग जब कहीं इधर उधर जाते हैं या सफर करते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या इसीलिये तुमको वहां पर भेजा है कि टैक्स पर टैक्स लगाओ। वह आज हमसे इस्तीफे की मांग करते हैं। हम आज समाज में बात नहीं कर सकते हैं। सरकार अल्पमत की बात मानने के लिये तैयार नहीं है। जो सरकार की हां में हां मिलाता है, जो जनता को गुमराह करता है, जो सही मार्ग को नहीं देखता

[श्री लखपतराम शर्मा]

वह आज देश के साथ विश्वासघात करता है और देश को बदनाम करता है। जो लोग सरकार की हां में हां मिलाते हैं वह वास्तविकता को नहीं देखते हैं। हम यह समझते हैं कि आज देश पर संकट है। जो सरकार की हर बातों में हां में हां नहीं मिलाता है वही सही मार्ग पर चलता है। मैं यह समझता हूं वही आदमी आज देश के प्रति अपना कर्त्तव्य पूरा कर रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हुआ।

श्री देवेन्द्र सिंह (जिला नैनीताल)—

अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जैसा माननीय सदस्यों ने अभी इस हाउस के सामने अर्ज किया कि यह इमर्जेंसी का समय है और हम इमर्जेंसी से गुजर रहे हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं। आज हमें यह देखना है कि जो इमर्जेंसी है हमारे सामने उसमें रुपये का एक बड़ा सवाल हमारे सामने है और इसलिये जो आय हमको हो सकती है उसे हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते। यह तो सभी लोगों को मालूम है कि पहले भी यह ऐक्ट इक्जिस्टेंस में था और वही दुबारा इस हाउस के सामने आ रहा है। पुराना ऐक्ट सीलिंग के ऐक्ट से रिपील हो जाने की वजह से समाप्त हो गया था उसको ही रिस्टोर करने के लिये यह ऐक्ट लाया गया है ताकि हमारी जो पुरानी आमदनी थी उसे हम फिर हासिल कर सकें। लेकिन मैं जहां इसका समर्थन करता हूं उसके साथ ही एक नम्र निवेदन माननीय मन्त्री जी से करना चाहता हूं। पहाड़ों में जो हमारे खाते होते हैं रेवेन्यू पेपर्स के वह सब करीब-करीब ५, ४ पुश्त के पुराने खाते हैं और इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यह टैक्स उन्हीं पर लगना चाहिये कि जिनके ऐक्चुअली पजेशन में जमीन है। यह 'कर' उन्हीं लोगों से वसूल किया जाय क्योंकि खाते तो ५–५ पीढ़ी से चले आ रहे हैं और उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। तो यह मेरी प्रार्थना है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के समय माननीय मन्त्री जी इसका ध्यान रखने की कृपा करें।

*श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं त्रिपाठी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं करीब ५०० बीघे कच्चे जोतता हूं और मैं माननीय मन्त्री जी को आफर करता हूं कि आप उस जमीन को ५ साल के लिये ले लें और उसमें जो आमदनी हो उसमें से जो मुनासिब समझें आप, एक परसेंट, दो परसेंट वह आप हमें दे दें यह टैक्स देने के बाद। और उस जमीन के साथ में आपको सामान भी दूंगा। साथ में एक ट्रैक्टर, दो ट्यूब वेल और एक जीप यह सामान साथ में होगा। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे गांव में ५ लोग बड़ी जोत वाले हैं और वे तमाम गांव को दबाये बैठे हैं और मजदूरों को अपने यहां रखते हैं। यह सरकार का भी कहना है कि गल्ला ज्यादा पैदा करो, उपज बढ़ाओ, कोई बरोजगार न रहने पाये। तो यह बड़े लोग कोशिश करते हैं कि कोई बेरोजगार न रहने पाये और इस गरज से भी करते हैं कि एक परम्परा है। बाबा के पास दो हजार बीघा थी, बाप के पास १,००० रही तो लड़के के पास ५०० बीघा तो कम से कम रहनी चाहिये। इसलिये वह काम चल रहा है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि अगर सरकार की नीयत खराब हो जाती है तो पैदा भी नहीं होता। एक दफा बादशाह अकबर जंगल में निकले तो रास्ता भटक गये। तो किसी किसान के यहां जा निकले। उसने पूछा क्या बात है? बतलाया कि रास्ता बिछुड़ गये हैं। उन्होंने कहा कि बैठो। बादशाह ने कहा कि प्यास लगी है, जरा पानी पिलाना। उसने चार गन्ने मरोड़ कर पानी पिला दिया। बादशाह सलामत की नीयत बद हो गयी। देखा कि इतनी आमदनी है, वापस आ कर टैक्स बढ़ा दिया। अगले साल इसी इरादे से किसान के पास आये देखने कि क्या हाल है। फिर किसान से कहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पानी पिलाने को, तो उसने कहा कि अब वह पानी कहां कि जो पिला दें। मालूम होता है कि बादशाह की नीयत बद हो गयी है। पानी मीठा नहीं रहा। तो मैं आपसे भी कहता हूं कि सरकार अपनी नीयत बद न करे और चाहे जो करे। चाहे आप जितना टैक्स ले लें लेकिन नीयत बद न करें।

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, सब से पहली रिक्वेस्ट जो मेरी होगी माननीय मन्त्री जी से वह यह कि किसान देश की रीढ़ है। उसे आप रोजगार का साधन न बनायें। अगर आप उसे रोजगार का साधन बनायेंगे तो जो आपकी स्कीम है ग्रो मोर फूड की, वह समाप्त हो जायगी और जितना खेल आप कर रहे हैं वह सब कागजी खेल ही रह जायगा और देश रसातल को चला जायगा।

दूसरी चीज यह है कि यह कर लगने लायक नहीं है इसलिये कि सदन में बराबर कहा जाता रहा है कि किसान की रीढ़ इससे तोड़ी जा रही है और बड़े आदमियों की हिफाजत हर तरह से की जा रही है और उनको हर तरह की सहूलियत दी जा रही है। अगर उसमें देखें, २५ एकड़ से ऊपर के लोगों की जो संख्या है, वह संख्या करीब, ५३ लाख १० हजार ५७२ एकड़ उन लोगों के पास है। अगर एक रुपया के हिसाब से आप लगावें, तो ५३ लाख उसकी आमदनी हुई। अब उसका ५ प्रतिशत लगावें, हेरिडेट्री रेट, जैसा कि मन्त्री जी ने रखा है, अगर ५ रुपया रेट लगा लें तो आप देखें कि वह २ करोड़ की आमदनी हो सकती है। वार्षिक मूल्य के हिसाब से उसका ५ प्रतिशत के हिसाब से लगावें, तो १० लाख रुपया होगा और अगर १० प्रतिशत से लगावें, तो २० लाख होगा। इस तरह से तमाशा किया जा रहा है। माननीय मन्त्री जी ने इस सदन के अन्दर वादा किया था कि छोटे किसानों को छूट दी जायगी। उनके खिलाफ नये वृहत जोत-कर के रूप में आप छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के किसानों के ऊपर इसको लगा रहे हैं। इन आपातिक दिनों में, मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको अपनी झेंप मिटाने के लिये इस सदन में, इस विधेयक को लाये हैं। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कोई ज्यादा रुपया भी मन्त्री जी को इसके द्वारा नहीं मिलेगा। यह अल्ट्रा वायरस है। इसलिये इसको वापस ले लें, तो यह ज्यादा सुन्दर होगा।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनाथसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं। यह समय का अलाटमेंट किस प्रकार से आपने निर्धारित कर रखा है। यह पार्टी के आधार पर है या किस आधार पर?

श्री अधिष्ठाता—

आज ५-३० तक यह समाप्त होना है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, स्वतन्त्र पार्टी के ३ आदमी बोले और उनकी संख्या हमारी पार्टी से बहुत कम है। यह आप जानते ही हैं। मैं आपका ध्यान....

श्री अधिष्ठाता—

आप अधैर्य न रखें, आपको भी समय मिलेगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

यह प्रश्न नहीं है कि समय मिलेगा या नहीं। मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं बल्कि....

श्री अधिष्ठाता—

आप सदन का समय बरबाद न करें और अपना स्थान ग्रहण करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो माननीय मन्त्री जी ने विधेयक पेश किया है, इसी तरह का विधेयक १९५७ में भी पेश किया गया था। वह तो लागू भी कर दिया गया था। लेकिन जो सब से बड़ी दिक्कत उस विधेयक के पास कर देने से हुई वह यह कि खातों का बड़े पैमाने पर बटवारा हुआ और जो टैक्सेशन के कागज पत्र बनें उसके बाद सारे मुकदमें अदालतों में चलें। बाद में उस कानून को स्थगित करा दिया गया। जब बहुत बड़ी संख्या में अदालतों में इस सम्बन्ध में मुकदमें गये, तो नतीजा यह हुआ कि कानून बन जाने के बाद भी सरकार की जो मन्शा थी, वह पूरी नहीं हुई। अभी जो मौजूदा विधेयक माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है, उससे भी कोई मन्शा पूरी होने वाली नहीं है। सरकार को १०–२० लाख रुपया मिल जायगा। इसलिये सरकार गलतफहमी में है। कोई भी कानून कायदा बनाते समय सरकार को मजबूती के साथ कदम उठाना चाहियें। जब किसानों के ऊपर इस तरह की कोई बात टैक्स लगाने की की जाती है, तो सरकार को दूसरी तरफ भी देखना चाहिये। जो रुपया एरियर में मिल मालिकों के यहां पड़ा है और जो पूंजीपतियों के ऊपर बकाया है वे करोड़ों रुपये मुनाफे के रूप में कमाते हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता। इसके अलावा सरकार का करीब २५ करोड़ रुपया उन लोगों के ऊपर बकाया है। सरकार का ध्यान मिल मालिकों की तरफ क्यों नहीं जाता है। कर्जे के रूप में लाखों रुपया सरकार का बकाया है, और एक सज्जन के ऊपर ६० लाख रुपया बकाया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह से जो सरकार का बकाया पड़ा हुआ है उसका कोई ध्यान नहीं है लेकिन दूसरी तरफ आप किसानों से लार्ज होल्डिंग टैक्स के नाम पर लेना चाहते हैं। अगर आप मजबूती से कोई कदम उठावें तो अच्छी बात हो।

मैं अपनी पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट कर देना चाहता हूं यद्यपि माननीय भीखालाल जी ने उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण किया। आपका जो मौजूदा विधेयक है उसका हम दिल से समर्थन करते हैं लेकिन इसमें जो खामियां हैं जिनकी तरफ माननीय भीखालाल जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया है उनको दूर करने के लिये हम चाहते हैं कि विधेयक प्रवर समिति में भेजा जाय। माननीय कृष्णानन्द जी कहते थे कि हम समाजवाद के नजदीक हैं, इसलिये हमको बड़ी जोतों पर टैक्स लगाने का विरोध नहीं करना चाहिये। हम इसका विरोध नहीं करते हैं लेकिन इसमें जो खामियां हैं उसको दूर कराना चाहते हैं। अगर आप इसको नहीं भेजते हैं तब भी हम समर्थन करेंगे लेकिन अपने सिद्धांतों के मुताबिक यह चाहते हुए भी कि बड़ी जोतों पर टैक्स लगे यह जरूर चाहते हैं कि इसकी खामियां दूर हो जावें।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं ....

श्री श्याम लाल (जिला बस्ती)—

मुझे बोल लेने दीजिये, मान्यवर, हमारी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

समय कम है। आप क्लाजवाइज डिस्कशन में बोल लीजियेगा।

श्री श्यामलाल—

सिर्फ २ मिनट दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

जी नहीं। कल्पनार्थसिंह जी, जरा जल्दी खत्म कीजिये।

श्री कल्पनार्थसिंह—

बस मैं इतना ही कहता हूं कि माननीय माधो प्रसाद त्रिपाठी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, वैसे जहां तक मुझसे हो सका मैं इस विधेयक के विषय में अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। अन्य माननीय सदस्यों ने भी जहां तक हो सका मेरे समर्थन में ही कहा है। कुछ छोटे-बड़े की बात जिनके मस्तिष्क में पुराने समय से चली आती है उन्होंने भी इधर-उधर से मेरी ही बात का समर्थन किया है। मेरी शिकायत यही है कि जब टैक्स लगाया जाता है तो टैक्सपेयर की पेइंग कैपेसिटी, उस टैक्स के औचित्य और अनौचित्य पर ध्यान नहीं दिया जाता। एक सिद्धांत बना लिया गया है कि हम टैक्स लगायेंगे। इस सम्बन्ध में कुछ दो एक बातें छूट गयी थीं उनको कह कर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

पहली बात तो यह है कि प्रवर समिति में जाने की बात इसलिये आवश्यक है कि उसमें सभी माननीय सदस्यों के मन की बात आयेगी और जो उचित होगा वह किया जायगा। यों तो हम चाहते हैं कि अगर लगाते ही हैं तो इन्कम पर लगे लेकिन असेसी पर जो ज्यादती होने जा रही है और दूसरे जो डिफेक्ट्स ला के हैं वह न रह जायं, इसलिये यह प्रवर समिति में भेजा जाय। मैं एक मिसाल डिफेक्ट की दे दूं। इसमें कल्टीवेटेड और अनकल्टीवेटेड लैंड दोनों पर आपने लगा दिया। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में कानून बना हुआ है कि २ वर्ष से जो जमीन फैली पड़ी हुई है और पटवारी ने रिपोर्ट कर दी तो वह गांव सभा में वैस्ट हो जायगी अब वह उधर उस जमीन की मालगुजारी भी देता है उस समय और टैक्स भी देगा। अगर जमीन के इर्द-गिर्द मकान है। तो ओवरलैपिंग के भी मौके आयेंगे। एक और म्युनिसिपैलिटी उससे मकान का टैक्स भी लेगी और उसके साथ जो जमीन है उसका टैक्स लेगी और दूसरी तरफ उसको यह टैक्स भी देना पड़ेगा। तो उसी ४० एकड़ पर हम पर साढ़े १२ गुना यह टैक्स भी लगेगा और उधर म्यूनिसिपैलिटी का या अन्य टैक्स भी लगेगा।

चौथी बात फ़्रैगमेंटेशन की है। यह आपने उसके लिये दूसरा रास्ता बना दिया। एक ओर तो गवर्नमेंट कहती है कि लार्ज होल्डिंग्ज हों और दूसरी तरफ आपने उस पर यह एल० एस० जी०, यह जोतकर, बांध दिया। तो आप देखेंगे कि लोगों को मालूम हुआ कि लार्ज होल्डिंग पर टैक्स लगेगा तो अपने बेटी, बेटा, बहू, सभी के नाम होल्डिंग का फ़्रैगमेंटेशन आरम्भ हो जायगा और आप ६३ में देखेंगे कि फ़्रैगमेंटेशन आफ होल्डिंग आपके सामने आयेगा and that will defeat your purpose साथ ही जो "हेल्ड" शब्द की बात है कि जिसको लेकर हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी बात लेजिस्लेटिव असेम्बली के लिये कह डाली उस पर भी अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता है। लाखों रुपये का घपला इस तरह से हो जाता है। मैं वकील हूं, मैं जानता हूं, एक केस की मुझे याद है, और भी पचासों केस ऐसे पड़े हैं जिनको पता ही नहीं कि उनका लीगल राइट भी है या नहीं। राइट किसी का है, जोत कोई रहा है, पे कोई और कर रहा है। जब आप ला बनाते हैं तो आपको चारों तरफ देखना चाहिये। अपने लक्ष्य की पूर्ति पर आप पहुंचिये, उसे पूरा कीजिये, लेकिन अपने नियमों के अनुसार पहुंचिये, न्याय संगत बात पर पहुंचिये, ऐसा मत कहिये, जैसा कि कल कहा, पहले कहा खर्चा नहीं होगा, फिर कहा होगा, इन बातों से ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल सोचा ही नहीं है इस बिल पर। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजिये ताकि वहां पर विचार हो सके। आप बागों को भी एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। १९५७ में जो आपने बिल पास किया उसमें भी आपने इस चीज को एग्जेम्प्ट किया था। उस पर भी आपने आज विचार नहीं किया और उस पर भी आपने उतना ही टैक्स लगाया है जितना कि कल्टीवेटेड लैंड पर, आपने उसका कोई मापदंड नहीं रखा है। आप ऐसे व्यक्तियों से टैक्स ले रहे हैं जिनके पास कुछ है नहीं, जिनके पास आमदनी के कोई साधन नहीं हैं, जिनके यहां यातायात के साधन नहीं हैं, जिनको बाढ़ आदि आने पर आप एक पाव चना ही दे देते हैं, जब ओला पड़ता है तो जब अनाज कट कर खलियानों में आ जाता है, तब आप जांच करवाते हैं, उनसे आप यह वसूल कर रहे हैं, आपको इस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। यह नहीं कि आप बहुमत में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

बैठे रहें और गलत चीजों को भी पास करते रहें। आपको ठंढ दिल से सोचना पड़ेगा। इसलिये जनता के हित में आप इस पर विचार करने की कृपा करें और इसे प्रवर समिति में भेज दें ताकि वहां इस पर विचार हो सके और खेतिहर मजदूरों के साथ न्याय हो सके।

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

अधिष्ठाता महोदय, इस समय जो प्रश्न सदन के सामने पेश है वह यह है कि आया इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय या नहीं। इस बात पर विचार करने से पहले यह देखना होगा कि जिन सिद्धांतों पर कर लगाया जा रहा है वे सिद्धांत क्या ऐसे हैं कि जिन पर विचार करने की जरूरत है और क्या उसके लिये प्रवर समिति को भेजना आवश्यक है? मैं यह निवेदन करूंगा कि बिल्कुल ऐसा ही एक विधेयक इस सदन ने पास किया है पहले, और उस पर अमल हुआ। उसके बाद चकबन्दी हुई, चकबन्दी के बाद लोगों की जमीनें एक जगह हुईं। फिर सीलिंग आयी, उसके बाद उस टैक्स को हमने कैन्सिल कर दिया, उसको रिपील कर दिया, उस समय मैंने एक बात कही थी और वह यह कि हमें आमदनी को बढ़ाना है और दूसरे इतनी बड़ी जोतों को खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिये हम सीलिंग ऐक्ट लाये। अब हमारे सामने जो यह विधेयक पेश है वह इसलिये है उसका उद्देश्य यह है कि हमें साधन चाहिये, वह बढ़ाये जायं।

यह सब को मालूम है कि आजकल आपातकाल है। रुपये की कठिनाई है। अब उन किसानों के ऊपर जिनके लिये आप कहते हैं कि इन के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, घर नहीं है, उन सब के ऊपर तो हमने २५ प्रतिशत आपात कर लगा दिया है, अब उन से हम कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। अब हमारा मंशा यह है कि जो किसान रह गये हैं, जिन के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है और जिनकी ३६ सौ से ऊपर वैल्यू है इन दो शर्तों के साथ हम ने उनके ऊपर यह टैक्स लगाया है। बुन्देलखंड में अगर वैसी हालत नहीं है तो उसकी वैल्यू ३,६०० तक न पहुंचने पर उन पर टैक्स नहीं लगेगा और ऐसा ही पहाड़ी इलाकों में भी होगा। इसलिये यह नहीं किया जा सकता कि यहां का एक एकड़ वहां के दो एकड़ के बराबर मान लिया जाय। यह बिल हम सिर्फ इसीलिये लाये हैं कि हम साधनों को जुटायें और जो लोग अच्छी हालत में हैं, अर्थात् जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है और जिसकी वैल्यू ३,६०० से अधिक है, उनसे हम टैक्स मांगते हैं। और जिन लोगों पर वह आपात कर लगाया गया है उसको हम मुजरा दे देंगे। उसका नाम आपत्ति अधिभार हमने रखा था। वह इसीलिये रखा था कि जब आपत्ति नहीं रहेगी तो वह किसी भी तरह से अधिनियम नहीं रह जायगा। उसको इस रुपये में से हम मुजरा दे देंगे।

माननीय सदस्यों ने इसमें कुछ कठिनाइयां भी बतायीं। जो कठिनाइयां बतायी गयी हैं उनके मुताबिक संशोधन भी दिये गये हैं। जब हम खंडों पर विचार करने लगेंगे तो जो संशोधन उचित हैं उनको मान लिया जायगा। जैसा कि एक कठिनाई यह बतायी गयी कि नकल नहीं दी जाती है तो हमने यह लिख दिया है कि नकल न भेजी जाय। इस ढंग से और भी जो कठिनाइयां होंगी उन पर विचार करते समय उन उचित संशोधनों को हम मंजूर कर सकते हैं। लेकिन प्रवर समिति में भेजने की बात को तभी उठा सकती थी जब हमें सिद्धांत पर विचार करना होता कि यह टैक्स हमें लगाना है अथवा नहीं लगाना है। इस प्रकार का टैक्स सदन पहले ही लगा चुका था। थोड़े दिनों के लिये उसको स्थगित कर दिया गया था। उसी को आज फिर हम लगाने जा रहे हैं और केवल इसलिये कि हमें साधन जुटाने हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि बजाय इसके कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, कुछ समय यहीं बैठ कर खंडों पर विचार कर के उचित संशोधनों को हम मान लें तो ही ज्यादा अच्छा होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भानुप्रतापसिंह—

माननीय राजस्व मन्त्री ने जो यह वायदा किया था कि भाग २ जब आ जायगा तो भाग १ वापस ले लिया जायगा, क्या सरकार अपने उस वायदे से पीछे हट रही है ?

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृहत जोत कर विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को भेज दिया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक मास के अन्दर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृहत जोतकर विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में— परिभाषाएं

(१) "करदाता" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रपति से है जिसके द्वारा जोत कर देय हो तथा उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में इसके अन्तर्गत उसका विधिक प्रतिनिधि भी है ;

(२) "प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर" का वही अर्थ होगा जो यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में Assistant Collector of the first class का दिया गया है ; यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १९०१

(३) "कलेक्टर" के अन्तर्गत अपर कलेक्टर (एडीशनल कलेक्टर) भी है;

(४) "आयुक्त" के अन्तर्गत अपर आयुक्त (एडीशनल कमिश्नर) भी है;

(५) "कम्पनी" का वही अर्थ होगा जो कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ३ में दिया गया है; एक्ट संख्या १, १९५६

(६) "सहकारी फार्म" का तात्पर्य ऐसे सहकारी फार्म से है जिस पर १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अध्याय ११ के उपबन्ध प्रवृत्त होते हैं; १९५१ ई० का उ०प्र० अधिनियम सं० १

(७) "सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटी से है जो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो और इसके अन्तर्गत सहकारी फार्म भी हैं; ऐक्ट संख्या २, १९१२

(८) "फर्म" का वही अर्थ होगा जो इंडियन पार्टनरशिप ऐक्ट, १९३२ में दिया गया है; ऐक्ट संख्या ९, १९३२

(९) "हिस्सेदार' का वही अर्थ होगा जो कुमायूं डिवीजन में प्रवृत्त भौमिक अधिकारों से सम्बद्ध वर्तमान विधि में दिया गया है तथा परगना असकोट के गुजारेदार तथा हस्तानान्तरण सम्बन्धी प्रतिबन्ध से रहित भू-सम्पत्ति के धारक (holders of fee simple estates) भी उसके अन्तर्गत हैं;

(१०) "मध्यवर्ती" का तात्पर्य किसी स्वामी, माल्हतदार, अदना-मालिक, ठेकेदार, अवध के स्थायी पट्टेदार, स्थायी काश्तकार, या हिस्सेदार से है;

(११) "भूमि" का तात्पर्य, अकृष्ट भूमि सहित, ऐसी भूमि से है, जिसके सम्बन्ध में मालगुजारी या लगान निर्धारित हो या उसका भुगतान किया जाता हो या निर्धारित किया जा सकता हो अथवा उसका भुगतान किया जा सकता हो, और जो कृषि, उद्यानकरण, पशु-पालन, मत्स्य-संवर्धन या कुक्कुट-पालन से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये किसी की धृति या अध्यासन में हो;

(१२) "क्षेत्रपति" का तात्पर्य:—

(१) मध्यवर्ती से है, यदि भूमि उसकी निजी जोत में हो अथवा सीर, खुदकाश्त या बाग के रूप में उसकी धृति में हो, तथा

(२) किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसकी धृति अथवा अध्यासन में भूमि—

(क) असामी,

(ख) शिकमी काश्तकार,

(ग) सीर के काश्तकार, अथवा

(घ) सीरतान,

से भिन्न रूप में हो,

और यदि क्षेत्रपति कम्पनी या व्यक्तियों का अन्य संघ हो तो इसके अन्तर्गत उसका मुख्य अधिकारी (principal officer) भी है;

ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(१३) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में लीगल रिप्रेजेंटेटिव (legal representative) का दिया गया है;

(१४) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(१५) किसी कम्पनी या व्यक्तियों के संघ के सम्बन्ध में प्रयुक्त किये जाने पर "मुख्य अधिकारी" का तात्पर्य कम्पनी या व्यक्तियों के संघ के सचिव कोषाध्यक्ष, प्रबन्धक या अभिकर्ता या किसी ऐसे अन्य अधिकारी से है जिसे कम्पनी या व्यक्तियों के संघ की ओर से कार्य करने का प्राधिकार हो;

(१६) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची से है;

(१७) "सीरतान" का वही अर्थ होगा जो कुमायूं डिवीजन में प्रवृत भौमिक अधिकारों से सम्बन्द्ध विधि में दिया गया है;

(१८) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १९०१

(१९) "परगना अधिकारी" का तात्पर्य यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन नियुक्त परगना के प्रभारी प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर Assistant Collector of the first class in charge of a sub-division से है तथा इसके अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस रूप में निर्दिष्ट कोई अन्य प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर भी है;

(२०) पद "कृषि-वर्ष", "बाग", "खुदकाश्त", "स्थायी काश्तकार", "अवध का स्थायी पट्टेदार", "स्वामी", "स्वीकृत मौरूसी दरें", "शिकमी काश्तकार", "अवना मालिक", "ठेकेदार" तथा "मातहतदार" के वही अर्थ होंगे जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ में क्रमशः पद "agricultural year", "grove", "khudkast", "permanent tenure holder", "permanent lessee in Avadh", "proprietor", "sanctioned hereditary rates", "sub-tenant", "sub-proprietor", "thekedar" and "under-proprietor" के दिये गये हैं; तथा

यू०पी०ऐक्ट संख्या १७, १९३९

(२१) पद "असामी" का वही अर्थ होगा जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दिया गया है।

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

श्री अधिष्ठाता—

खंडों पर विचार शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि इसमें आप लोगों की तरफ से बहुत से संशोधन दिये गये हैं, तो आप लोग क्या पसन्द करेंगे, वैसे तो यह नहीं खत्म होगा तो बाद में शेष संशोधनों के लिये मुझे गिलोटिन करना पड़ेगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

हम लोग संशोधन पढ़ते जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

अगर आप गिलोटिन की बात नहीं चाहते तो उसका तरीका यही है कि प्रस्तावक महोदय का नाम मैं पढ़ता जाऊंगा। वे प्रस्ताव रखेंगे और माननीय मंत्री जी उसका जवाब देंगे।

माननीय कमलासिंह जी अपना प्रस्ताव पेश करें।

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव—

कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनको मैं मंजूर करता हूं, उनको मैं बतला दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

जब वह खंड पेश हो तो आप बतला देंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'क्षेत्रपति' और 'से है' के बीच "क्षेत्रपतियों" रख दिया जाय।

जहां एक से अधिक क्षेत्रपति होंगे उन सब को यह इनक्लूड करता है, इसीलिये क्षेत्रपतियों रखा गया है, इसमें कोई और बात नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव—

जो सिंगुलर है इसमें प्लूरल इनक्लूडेड है, इसलिये मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "क्षेत्रपति" और "से है" के बीच में "क्षेत्रपतियों" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री देवेन्द्रसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (९) में "हिस्सेदार का वही अर्थ होगा जो कुमाऊं डिवीजन" के आगे निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"और उत्तराखंड डिवीजन"

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव—

मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (९) में "हिस्सेदार का वही अर्थ होगा जो कुमाऊं डिवीजन" के आगे निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"और उत्तराखंड डिवीजन"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (११) की प्रथम पंक्ति से शब्द "अकृष्ट भूमि सहित" निकाल दिये जायं।

असल में यह रखने का मतलब यह है कि विधेयक जो वृहत जोतों पर कर लगाने के लिये लाया गया है, कहने के लिये यह चीज कही जाती है कि इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जायगा लेकिन जिस भूमि से कृषक को कोई इनकम नहीं होती, जैसे वह भूमि जो जोती बोयी नहीं जाती, या वह भूमि जो बंजर पड़ी हुई है, या वह भूमि जो खलिहान के रूप में इस्तेमाल की जाती है, वह भी इसमें इनक्लूड करती है जबकि वह अकृष्ट भूमि है जिससे किसान को कोई फायदा नहीं होता। खलिहान के लिये जो जमीन इस्तेमाल की जाती है उससे ऐक्चुअली कोई इनकम तो होती नहीं, तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस प्रकार भी अकृष्ट जमीन को बरी कर देने की बात मान लेने में कोई असुविधा नहीं होगी।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

अधिष्ठाता महोदय, अकृष्ट भूमि का मतलब यही है कि जिस भूमि पर खेती न की जाय, तब तो कोई आदमी जो टैक्स न देना चाहे वह खेती ही न करे। ऊसर जमीन को ३० एकड़ की सीलिंग से सरप्लस कर दिया जाय तो वह जमीन उसमें शामिल नहीं होगी। तो अकृष्ट भूमि का माने यही है कि वह भूमि जिसमें खेती न हो सकती हो एक अनकल्चरेबिल और एक अनकल्टीवेटेड अनकल्टीवेटेड तो एगजेम्ट हो ही नहीं सकती और अनकल्चरेबिल सीलिंग में होगी ही नहीं। अगर इसको मान लिया जाय तो जब कर लगाने का वक्त आयेगा तो कह दिया जायगा कि वह तो बोई ही नहीं गई है और बैरन होगी तो उसका मूल्यांकन ही नहीं होगा। इसलिये इसमें कठिनाई यह होगी कि हमेशा यह इशू पैदा हो जाया करेगा कि उस जमीन पर कुछ बोया गया था या नहीं।

श्री कमलासिंह यादव—

सीलिंग जो आपने लगाई है उसमें भी ऐसी भूमि का जिक्र नहीं है, वहां उसमें सभी इनक्लूड होती है ३० एकड़ में।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (११) की प्रथम पंक्ति से शब्द "अकृष्ट भूमि सहित" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (११) की चौथी पंक्ति से शब्द "उद्यानकरन, पशुपालन, मत्स्य-संवर्धन या कुक्कुट पालन" निकाल दिये जायं।

इससे मेरा आशय यह है कि जिन चीजों के लिये सरकार रुपया और साधन किसानों को देती है, जैसे बागों के लिये, मछली पालन के लिये, कुक्कुट पालन के लिये, और पशु पालन के लिये तो उन कार्यों से जो आय होती है उस पर भले ही सरकार टैक्स लगाये लेकिन जिस जमीन पर वह लोग इन कामों को करते हैं उस पर इस टैक्स का लगाना उचित नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है कि इन चीजों की जमीन को इससे निकाल दिया जाय, उनसे होने वाली आय पर लगाया जा सकता है।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

श्रीमन्, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि बागात पर, कुक्कुट पालन की जमीन पर, मछली पालने की जमीन पर या पशुपालन की जमीन पर टैक्स लगाना मुनासिब न होगा। एक तरफ तो हर तरह की सहूलियतें इन कामों के लिये देती हैं और सरकार की खास तवज्जह इनकी तरफ है और दूसरी तरफ इस तरह से इन चीजों की जमीन पर टैक्स लिया जाय यह मुनासिब न होगा, इस तरह से लोग और डिसकरेज होंगे। कई साल हुए, एक बार बागात पर टैक्स की बात सुनने में आई थी तो लोगों ने उस पर बागात कटवा दिये। हमारे सूबे की तरक्की के लिये बागात का होना जरूरी है, अगर बागात पर टैक्स लगाया जाता है तो उनके मालिकान की निहायत हकतल्फी होगी। इसलिये मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वह इस संशोधन को मान लें।

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव—

यह चारों तरह के जो काम हैं बागात के, मछली पालने के, कुक्कुट पालने के या पशुपालन के मुताल्लिक यह ऐसे काम हैं कि जिन के करने से खातेदारों को आय होगी और जिस जमीन पर यह काम किये जायंगे वह जमीन उनके खातों में शामिल होगी और इस तरह से जब उस पर आय होगी तो वह उसके कर को आसानी से अदा भी कर सकेंगे। बाग के मुताल्लिक बाद में संशोधन आयेगा तो अर्ज करूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (११) की चौथी पंक्ति से शब्द "उद्यानकरण, पशुपालन, मत्स्य-संवर्धन या कुक्कुटपालन" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

बाग के बारे में मंत्री जी कह गये हैं, इसलिये मैं समय नहीं लेना चाहता।

श्री देवेन्द्रसिंह—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१७) में "सीरतान का वही अर्थ होगा जो कुमाऊं डिवीजन" के आगे निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें:—

"और उत्तराखंड डिवीजन"

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ उपखंड (१७) में "सीरतान का वही अर्थ होगा जो कुमाऊं डिवीजन के आगे निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:—

"और उत्तराखंड डिवीजन।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

जोत-कर का लगाया जाना

३—(१) प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए ऐसी जोत के, जिसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक हो, वार्षिक मूल्य पर अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर कर, जिसे "जोतकर" कहा जायेगा, लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जोत-कर के क्षेत्रफल की गणना में पांच एकड़ से अनधिक ऐसे क्षेत्रफल की, जिस पर भवन हो, या जो उससे अनुलग्न हों, गणना नहीं की जायेगी ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी जोत के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६२ के अधीन अधिभार लगे—

(क) और वह अधिभार, उपधारा (१) के अधीन जोत के सम्बन्ध में लगने योग्य जोत-कर की धनराशि से कम न हो, तो उस जोत के सम्बन्ध में कोई जोत-कर देय न होगा, और

(ख) अन्य दशाओं में, उस जोत के सम्बन्ध में लगने वाले जोत-कर की धनराशि में से, उस जोत के सम्बन्ध में से लगने वाले अधिभार की धनराशि घटा दी जावेगी ।

विमुक्तियां तथा छूट

(३) जब राज्य सरकार लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे भूमि के किसी वर्ग को जोत-कर से पूर्णतः अथवा अंशतः विमुक्त कर सकती है या उसके सम्बन्ध में देय जोत-कर में छूट दे सकती है ।

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की प्रथम पंक्ति में "पांच" के स्थान पर "एक" रख दिया जाय ।

(इस समय ४ बज कर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होतीलाल अग्रवाल, पुनः पीठासीन हुए ।)

अभी मंत्री जी ने दुहाई दी कि सदन के अन्दर ऐसे ही कई विधेयक पास हो चुके हैं । मैं मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि जितने विधेयक पास किये गये उनमें ५ एकड़ नहीं बल्कि १ एकड़ छोड़ी गई है । अगर आप १ एकड़ की जगह ५ एकड़ रखते हैं तो मुझे कुछ शुबहा नीयत पर भी होता है कि किसी मंत्री के पास कोई ऐसी भूमि और भवन है जिसको ५ एकड़ रख कर वंचित करना चाहते हैं । अतः जो उसूल आपने और विधेयक के अन्दर रखा है ५ एकड़ की जगह १ एकड़, वही यहां भी होना चाहिये । अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे संदेह की पुष्टि होगी ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेरे पास कोई ऐसी भूमि नहीं है । तो मेरी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता । यह कहा गया कि ५ एकड़ अगर छोड़ते हैं तो इसलिये है कि अगर वह जमीन उसके पास है और मकान है और उसके सिलसिले में वह जमीन लगी हुई है तो छोड़ देना उसके साथ रियायत की गई है । उसको अगर माननीय सदस्य घटाना चाहते हैं और १ एकड़ रखना चाहते हैं तो हमारे उन काश्तकारों पर जिनका बड़ा मकान है और जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है, उनकी मकान वाली जमीन पर भी टैक्स लग जायगा, इसलिये यह उचित नहीं होगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

मुझे अफसोस होता है, श्रीमन्, मंत्री जी कभी यह कहते हैं कि बड़े काश्तकार से पैसा लेना चाहते हैं और अब कहते हैं उनके साथ हमदर्दी होनी चाहिये । ५ एकड़ जमीन उनके पास छोड़ देनी

चाहिये नहीं तो मकान के साथ जो जमीन होगी उस पर टैक्स लगाना होगा। ५ एकड़ की जगह अगर १ एकड़ कर देते तो मकान से संलग्न जो जमीन होगी उसी से सम्बन्ध रखता है। लेकिन अगर ५ एकड़ छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू की जमीन छोड़ रहे हैं। जो आक्रष्ट भूमि होती है और उसके बारे में आपने कहा उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपका इंटरेस्ट नहीं है तो यह किसी दूसरे का इंटरेस्ट है जिसने बनाया है कि १ एकड़ की जगह ५ एकड़ जमीन छोड़ दी जाय। और जितने विधेयक बने हैं, भूमि और भवन विधेयक में भी १ एकड़ ही है। और जो विधेयक पास हुए हैं उनमें अगर १ एकड़ हो आप इसको भी १ एकड़ कर दें। इससे मालूम होता है कि माननीय मंत्री किसी से प्रभावित हैं। पुराने विधेयक को मंगवाया जाय और उसी के मुताबिक इसको रखें तो कोई एतराज नहीं है लेकिन दो-दो नजर से लोगों को देखा जाय, इस पर एतराज है। एक ओर १ एकड़ की छूट दी जाय और दूसरी ओर ५ एकड़ छूट देना, मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत नहीं है, बिलकुल पक्षपात होगा।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

इसमें अन्याय की बात नहीं है और यह मामला एसेसी और गवर्नमेंट का है। सब टेनेन्ट को कुछ राइट्स देने होते तो कुछ कहा भी जाता कि उनके राइट्स से क्रिफाइस किये जा रहे हैं। अगर टैक्स लगाने में ज्यादा जमीन हम छोड़ देते हैं तो जिसके पास कम है उसे शिकायत नहीं होना चाहिये लेकिन यह शिकायत हो कि क्यों जमीन छूट गयी, यह तो हसद है, बेइंसाफी की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की प्रथम पंक्ति में "पांच" के स्थान पर "एक" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री विजयसिंह—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध और जोड़ दिया जाय:

"प्रतिबन्ध यह भी होगा कि बुन्देलखंड के चारों जिले (झांसी, जालौन, बांदा और हमीरपुर) में २ एकड़ अन्य जिलों के एक एकड़ के बराबर माना जायगा।" सीलिंग बिल में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया था। माननीय मंत्री इस बात को ध्यान में रख कर कि बुन्देलखंड का लगान ज्यादा है और पैदावार कम है, इस कारण इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

१ एकड़ को २ एकड़ बना देना ठीक बात नहीं मालूम होती। वहां की जमीन खराब है तो दो के बजाय ३, ४ एकड़ के बराबर भी मानी जा सकती है। ३,६०० रुपये के देखने की बात है। ५ एकड़ में पूरी होती है तो ५ एकड़ हो जायगी। विधेयक में इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री विजयसिंह—

मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन आवश्यक है और माननीय मंत्री जी इसे मान लें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध और जोड़ दिया जाय:

"प्रतिबन्ध यह भी होगा कि बुन्देलखंड के चारों जिले (झांसी, जालौन, बांदा और हमीरपुर) में २ एकड़ अन्य जिलों के एक एकड़ के बराबर माना जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

खंड ३ के उपखंड (३) के बाद निम्नांकित जोड़ दिया जाय—

"यदि बाढ़, ओला इत्यादि दैवी प्रकोप से किसी क्षेत्रपति के उस जोत की फसल का नुकसान सम्बन्धित वर्ष में हो गया हो, जिस पर कर देय हो तो कर निर्धारण अधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि कर निर्धारण करते समय उक्त क्षेत्रपति की फसल में हुई हानि के अनुपात से उसे कर में, इस नियम के अधीन नियमानुसार छूट दे।"

श्रीमन्, जहां तक रेमीशन का सवाल है, तो जहां कोई दैवी प्रकोप होता है वहां गवनमेंट मालगुजारी छोड़ती है परन्तु इस विधेयक में कहीं ऐसा नहीं है कि जहां पर वृष्टि या अनावृष्टि से या किसी और कारण से नुकसान हो जाय तो उसके लिये कोई चीज नहीं रखी गई है, इसलिये यह खंड जोड़ने के लिये मैं प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव—

श्रीमन्, जो पुराना अधिनियम है उसके मातहत जो रूल्स बने थे उसमें हमने एक नियम इसके बारे में बनाया है, उसी प्रकार इसमें भी बना दिया जायगा। इसमें रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी—

अगर मंत्री जी आश्वासन देते हैं तब तो ठीक है। उसको किस रूप में रखेंगे, यह देखना है। खंड ३ में दिया हुआ है कि—

"Where the State Government considers necessary in public interest."

यहां व्यक्ति के इंटरेस्ट को देखते हैं। हर जगह ओला नहीं गिरता है। अगर ऐसा नियम बनाया जाय कि असेसिंग आफिसर कोई कैलमिटी हो तो इस बात को देखेंगे, ऐसा न हो कि गवनमेंट करें तब देखें बल्कि ऐसी चीज हो जायगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी हालत में हम वापस ले लेंगे अगर इसी रूप में नियम बनेगा।

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव—

किस रूप में नियम बनेगा यह तो मैं नहीं बता सकता हूं बल्कि ध्यान जरूर दिया जायगा। मैं आश्वासन कैसे दे सकता हूं ? नियम बनेंगे तो इस पर ध्यान रखा जायगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

अभी आपने कहा कि नियम बनाया जायगा। अगर यह रूल मेकिंग पावर को कनफर नहीं किया जायगा तो हमारी आपकी जबानी बात रहेगी।

श्री हरिनाथ तिवारी—

श्रीमन्, वापस लेने का प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (३) के बाद निम्नांकित जोड़ दिया जाय—

"यदि बाढ़, ओला इत्यादि दैवी प्रकोप से किसी क्षेत्रपति के उस जोत की फसल का नुकसान संबंधित वर्ष में हो गया हो, जिस पर कर देय हो तो कर निर्धारण अधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि कर निर्धारण करते समय उक्त क्षेत्रपति की फसल में हुई हानि के अनुपात से उसे कर में, इस नियम के अधिनियम के अधीन नियमानुसार छूट दें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) के बाद निम्नलिखित

उपखंड बढ़ा दिया जाये—

"(४) तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये, उपधारा (३) के अधीन राज्य सरकार के अधिकारों का प्रयोग जिले के कलेक्टर द्वारा भी किया जा सकता है। श्रीमन्, यह छूट के बारे में है।"

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड ३ के उपखन्ड (३) के बाद निम्नलिखित उपखन्ड बढ़ा दिया जाय—

"(४) तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रखते हुए उपधारा (३) के अधीन राज्य सरकार के अधिकारों का प्रयोग जिले के कलेक्टर द्वारा भी किया जा सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

जोत

४—"जोत" का तात्पर्य ऐसी समस्त भूमि के योग से है जो किसी कृषि-वर्ष के प्रथम दिन किसी क्षेत्रपति द्वारा धृत हो।

ऐक्ट संख्या २१, १९६०

स्पष्टीकरण—(१) भूमि जो किसी ऐसे निगमित संघ, जो सहकारी समिति से भिन्न हो, किन्तु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी या संघ जिसके अन्तर्गत है, या कि कम्पनी या फर्म द्वारा धृत हो, एक ही जोत समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण—(२) यदि भूमि संयुक्त रूप में से दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा अथवा किसी सहकारी समिति द्वारा धृत हो तो उस भूमि में ऐसे व्यक्ति के या सहकारी समिति के किसी सदस्य के हिस्से का क्षेत्रफल इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उस व्यक्ति या सदस्य द्वारा धृत समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण—(३) सहकारी फार्म की दशा में पद "भूमि में सदस्य के हिस्से का क्षेत्रफल" का तात्पर्य ऐसी भूमि के क्षेत्रफल से है जो उक्त फार्म के उस सदस्य द्वारा या उसकी ओर से अंशदान के रूप में, फार्म को दी गयी हो।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड ४ के अन्त में और स्पष्टीकरण (१) के पूर्व निम्न विषय का प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि जोत के क्षेत्रफल में किसी कृषि वर्ष में उक्त जोत के कर निर्धारण हेतु क्षेत्रफल की गणना न की जायगी जो उक्त कृषि वर्ष के आरम्भ होने से पूर्व उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के अधीन :

(क) खातेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण, आपत्तिपत्र अथवा अपील याचिका में अतिरिक्त भूमि दिखलायी गयी हो,

(ख) धारा ११ (१) के अधीन अतिरिक्त भूमि अवधारित कर दिया गया हो, चाहे उस अवधारित भूमि के संबंध में धारा १४ की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी हो या नहीं।

इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि जो यहां संशोधन हम लोग लाये हैं इसलिये है कि बहुत से खातेदार ऐसे हैं जिनके पास से जमीन सीलिंग ऐक्ट लागू होने पर निकाल दी

[श्री चैतन्यराजसिंह]

गयी। यदि सोलिंग का जजमेन्ट इत्तफाक से दो चार दिन बाद हो, तो वह जमीन उससे निकल जायगी और यह ऐक्ट रिट्रास्पेक्टिव है, इसलिये जो अपील में हो या पजेशन में न हो उसको इससे मुक्त कर दिया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको स्वीकार कर लें।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

श्रीमन्, इस अधिनियम के अनुसार जो दफा १४ का नोटिफिकेशन हो जाता है उसके बाद वह जमीन गवर्नमेन्ट में वेस्ट होती है। उसके पहले वह लैन्ड उसी का रहता है, उस पर काश्त कर सकता है, हटाया नहीं जा सकता। जब तक दफा १४ का नोटिफिकेशन न हो तब तक सरप्लस लैन्ड का डिक्लेरेशन मानी नहीं रखता और उसके बाद वह कर लगेगा नहीं।

श्री चैतन्यराज सिंह--

यह रिट्रास्पेक्टिव है। आज जमीन है, दो दिन बाद उसके पास से निकल जाती है तो उसके पजेशन में वह काश्त नहीं रही ऐक्चुअली, जितना टेन्योर-होल्डर होल्ड करता है उतने पर लगेगा। जैसे आज कल खाली समय है, जुलाई से पजेशन गवर्नमेन्ट को दे दिया गया, वैसे आज से ही गवर्नमेन्ट के पास पजेशन है, फिर भी टैक्स का देनदार हो जाय यह अनुचित है। इसको मान लीजिये इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जहां तक रेन्वेन्यू का ताल्लुक है कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

श्रीमन्, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, अगर वह नोटिफिकेशन हो जायगा, उसके बाद कब्जे में रहे तो भी टैक्स नहीं लगेगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक वह जमीन उसके पास रहेगी ही और जिस समय नोटिफिकेशन हो जायगा उसके बाद से टैक्स नहीं लग सकता। रिट्रास्पेक्टिव भी देखें, जिस वक्त टैक्स लगने लगेगा उस वक्त नोटिफिकेशन हो गया होगा तो टैक्स नहीं लग पायेगा।

श्री चैतन्यराजसिंह--

एक निवेदन है। जब खातेदार कह देता है कि अमुक नम्बर को हमारी जोत से बाहर कर दिया जाय उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरिएंस की बात निवेदन कर दूं। उसके बाद कोई काश्तकार जमीन पर काश्त करता नहीं चाहे नोटिफिकेशन हुआ हो या नहीं। आपको खेती से कम तजुरबा है, इसलिये आपकी इनफार्मेशन के लिये अर्ज कर दूं। मैंने कह दिया कि अमुक खेत को हमारी जोत से बाहर कर दिया जाय क्योंकि हमको राइट होता है कौन खेत बाहर किया जाय, जब वह बाहर हो गया तो उस पर लोग काश्त करते नहीं। यह दूसरी बात है थोड़ी बहुत ब्राडकास्टिंग कर दी लेकिन ही इज ऐक्टुअली नाट गेनर। यदि आप टैक्स लगाते हैं तो वह टैक्स प्राफिट पर होना चाहिये और वह थोड़े ही नम्बर हैं जिनके लिये मैं अर्ज कर रहा हूं। इसलिये मंत्री जी से आपके द्वारा मेरा यह निवेदन है कि मंत्री जी इसको मान लें। मैं किसी अनुचित बात के लिये उनसे नहीं कह रहा हूं। यह उनको मान लेना चाहिये यह मेरा उनसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खन्ड ४ के अन्त में और स्पष्टीकरण (१) के पूर्व निम्न विषय का प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"प्रतिबन्ध यह है कि जोत के क्षेत्रफल में किसी कृषि में उक्त जोत के कर निर्धारण हेतु ऐसे क्षेत्रफल की गणना न की जायगी जो उक्त कृषि वर्ष के आरम्भ होने से पूर्व उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के अधीन:

(क) खातेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण, आपत्ति पत्र अथवा अपील याचिका में अतिरिक्त भूमि दिखलायी गयी हो,

(ख) धारा ११ (१) के अधीन अतिरिक्त भूमि अवधारित कर दिया गया हो, चाहे उस अवधारित भूमि के संबंध में धारा १४ की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी हो या नहीं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५–६

५—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, किसी जोत का वार्षिक मूल्य ऐसी धनराशि समझा जायेगा जो तदन्तर्गत भूमि अथवा भूमियों के लिये देय लगान को साढ़े बारह से अनधिक ऐसे गुणक से गुणा करने पर प्राप्त हो जो नियत किया जाये और विभिन्न जिलों अथवा जिले के भागों अथवा जोत के अन्तर्गत भूमियों के विभिन्न वर्गों के निमित्त विभिन्न गुणक नियत किये जा सकते हैं । वार्षिक मूल्य

(२) उप-धारा (१) के प्रयोजनों के लिये देय लगान, जोत के अन्तर्गत भूमि अथवा भूमियों पर लागू स्वीकृत मौरूसी दरों से जहां स्वीकृत मौरूसी दरें न हों वहां ऐसे सिद्धान्तों पर जो नियत किये जायें आकलित धनराशि समझा जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उन दरों को जो पहली जुलाई, १९२७ के पूर्व स्वीकृत हुई थीं राज्य सरकार पचास से अनधिक ऐसे प्रतिशत से बढ़ा सकती है, जो गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निर्दिष्ट किया जाये और भूमियों के विभिन्न वर्गों तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के निमित्त विभिन्न प्रतिशत निर्दिष्ट किये जा सकते हैं ।

६—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिय कर-निर्धारक प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे परगना अधिकारी से होगा जिसके अभिक्षेत्र में क्षेत्रपति साधारणतया रहता हो : कर-निर्धारक प्राधिकारी

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि प्रथम श्रेणी का कोई असिस्टेन्ट कलेक्टर जो उसके द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाय, संपूर्ण जिले में अथवा उसके किसी भाग में उन समस्त अथवा किन्हीं अधिकारों का, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कर-निर्धारक प्राधिकारी को प्राप्त हों, किसी अन्य कर निर्धारक प्राधिकारी के होते हुए भी अनन्य रूप से प्रयोग करें:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि क्षेत्रपति साधारणतया उत्तर प्रदेश में न रहता हो तो उस परगने का, जिसमें भूमि स्थित हो परगना अधिकारी और यदि जोत एक से अधिक परगनों में स्थित हो तो ऐसे परगनों में से उस परगने का जिसे क्षेत्रपति नियत रीति से चुने परगना अधिकारी कर निर्धारक प्राधिकारी होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब उपर्युक्त रीति से परगना न चुना गया हो और यह प्रश्न उठे कि सम्बद्ध परगना अधिकारियों में से कौन कर-निर्धारक प्राधिकारी है तो इस संबंध में उस प्राधिकारी का निर्णय, जो इस प्रयोजन के लिये नियत किया जाये, अंतिम होगा ।

(२) कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्राप्त हों ।

श्री विजयसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड ५ के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक वाक्य की प्रथम पंक्ति में शब्द 'कि' और शब्द "उन" के बीच में वाक्य "बुन्देलखन्ड के चारों जिले (झांसी जालौन, बांदा और हमीरपुर) को छोड़कर" जोड़ दिया जाय।

यह बहुत सीधा सादा संशोधन है। १९२७ से पहले जहां भी बन्दोबस्त हुआ था सरकार ने यह अधिकार दिया है कि उन जिलों में वहां पर लगान का डयोढ़ा करके वैल्यूएशन निकालें। एक तो सरकार नेवैसे ही अपन हाथ में तलवार ले रखी है जो किसानों का वध कर रही है और फिर यह कर लगाने जा रही है। मेरा सुझाव है कि अब वहां पर बुन्देलखन्ड में लगान को डयोढ़ा न करके valuation न किया जाय। इस बात का आश्वासन सरकार से चाहता हूं कि वह इसे स्वीकार करे। इससे बुन्देल खन्ड के चारों जिलों को राहत मिलेगी। क्योंकि वहां के किसानों की हालत खराब है। अतः मैं समझता हूं कि सरकार इस संशोधन को मान लेगी।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जैसा मैंने पहले निवेदन किया, यह बात तो उस समय पैदा होगी जब मूल्यांकन होगा। तब ही कर निर्धारित किया जायगा। इस समय इसको अधिनियम में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री विजयसिंह—

जो मूल्यांकन होता है वह तुरन्त होता है' वह नोटिफिकेशन द्वारा किसी प्रकार का होता भी है वह चार साल बाद निकाला जाता है। तब तक appeal और revision की भी मियाद निकल जाती है। यह हमारा संशोधन नया है और मंत्री जी भी नये हैं तो उनको हमारा संशोधन स्वीकार कर ही लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड ५ के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक वाक्य की प्रथम पंक्ति में शब्द "कि" और शब्द "उन" के बीच में वाक्य "बुन्देलखन्ड के चारों जिले (झांसी, जालौन, बांदा और हमीरपुर) को छोड़कर" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

जोतों की विवरणियों के संबंध में नोटिस

७—(१) कलेक्टर, प्रत्येक कृषि-वर्ष में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व नोटिस प्रकाशित करेगा जिसमें प्रत्येक ऐसे क्षेत्रपति से जिस पर जोत-कर देने का दायित्व हो, अपेक्षा की जायगी कि वह तीस दिन से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर उस कर निर्धारक प्राधिकारी के पास, जो नोटिस में उल्लिखित हो, नियत रीति से सत्यापित विवरणी प्रस्तुत करे जिसमें जोत का क्षेत्रफल तथा अन्य ब्यौरे उल्लिखित हों।

(२) प्रत्येक ऐसे क्षेत्रपति पर भी जो कर-निर्धारक प्राधिकारी की राय में जोत-कर देने का उत्तरदायी हो, नियत रीति से नोटिस तामील किया जा सकता है जिसमें उससे अपेक्षा की जाये कि वह नोटिस के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अनुमति कर-निर्धारक प्राधिकारी स्वविवेक से दे, नियत प्रपत्र में और नियत रीति से सत्यापित एक विवरणी प्रस्तुत करे। कर-निर्धारक प्राधिकारी नोटिस के साथ एक विवरण

पत्र भी भेजेगा जिसमें उस क्षेत्रपति की जोत के वार्षिक मूल्य तथा उसके द्वारा देय-जोत-कर के अनन्तिम अनुमान दिये होगें । अनुमान ऐसे प्रपत्र में तैयार किये जायेंगे तथा उनमें ऐसे ब्यौरे होंगे जो नियत किये जायें ।

(३) उत्तर प्रदेश में साधारणतया न रहने वाला क्षेत्रपति विवरणी के साथ एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेगा जिसमें इस अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के दूसरे प्रतिबन्धात्मक खन्ड के अनुसार वह यह भी बतलायेगा कि उसने कौन सा परगना चुना है।

(४) यदि यथासमय तामील किया गया नोटिस बाद में दोषपूर्ण पाया जाये तो उसके बदले में एक नया नोटिस, मूल नोटिस के तामील किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर तामील किया जा सकता है।

श्री कृष्णपालसिंह--

मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड ७ के उपखन्ड (२) की पंक्ति ७ में "क्षेत्रपति की जोत के" तथा "वार्षिक मूल्य" के बीच में शब्द "विभिन्न वर्गों के" जोड़ दिया जावे तथा पंक्ति ८ में "द्वारा" तथा "देय जोतकर" के बीच शब्द "धारा ३ (२) (ख) में देय धनराशि को घटाने के बाद बची" जोड़ दिये जायं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

मैंने १० वाले को मंजूर किया था । इसको नहीं । इसमें मुझे आपत्ति है।

श्री कृष्णपालसिंह--

श्रीमन्, इसमें है कि कर निर्धारक प्राधिकारी नोटिस के साथ एक विवरण-पत्र भी भेजेगा जिसमें उस क्षेत्रपति की जोत के वार्षिक मूल्य तथा उसके द्वारा देय जोत कर के अन्तिम अनुमान दिये होंगे । अनुमान ऐसे प्रपत्र में तैयार किये जायेंगे तथा उनमें ऐसे ब्योरे होंगे जो नियत किये जायें । यह प्राविजनल स्टेटमेन्ट होगा और इसमें लिखा है कि साढ़े १२ गुना जोत कर लग जायगा मूल्यांकन का और बाग, कलमी, तुखमी या अन्य प्रकार की जमीन पर जो मल्टीपल गजट द्वारा किया जा सकता है उसके लिये असेसी क्लेम करेगा तो वह उसमें छोड़ दिया जायगा । दूसरे में लिखा है कि जो आपत्तिकालीन कर होगा वह इसमें से घटा दिया जायगा, जो भी टैक्स लगेगा उसमें से । तो इस संशोधन द्वारा मैं यह चाहता था कि आपत्तिकालीन टैक्स घटा कर ही उसको दिया जाय कि इतना टैक्स तुम पर लगेगा । प्राविजनल असेसमेन्ट इसलिये होता है कि अगर हमको उसमें कोई उज्रदारी करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो वह फाइनल हो जाता है । लेकिन अगर हर छोटे मोटे केसेज में असेसी को ही दौड़ना पड़े तो उससे उसका भी समय नष्ट होगा और स्टाफ का भी । और इसी समय को बचाने के लिये मैंने यह रखा था । मुझे उम्मीद है कि इसको मानने में माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

श्रीमन्, इस विधेयक में जो उपधारा ४ है उसमें अलग-अलग वर्ग नहीं हैं और इस संशोधन में वर्गों को जोड़ देने की बात कही गयी है। विधेयक में वर्ग रखे ही नहीं गये हैं और इसलिये यह अनावश्यक प्रतीत होता है । अगर वर्ग होते तो यह मुमकिन था कि इसको मान लिया जाता लेकिन यह इसमें फिट इन नहीं होता इस विधेयक की स्कीम में । इसलिये मैं इसको नहीं मान सकता ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खन्ड ७ के उपखन्ड (२) की पंक्ति ७ में "क्षेत्रपति की जोत के" तथा "वार्षिक मूल्य" के बीच के शब्द "विभिन्न वर्गों के" जोड़ दिया जावे तथा पंक्ति ८ में "द्वारा" तथा "देय जोतकर" के बीच शब्द "धारा ३ (२) (ख) में देय धनराशि को घटाने के बाद बची" जोड़ दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णपालसिंह—

मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये बतला दूं कि खन्ड ५ में विभिन्न वर्गों का जिक्र है और इसलिये इस प्रकार का संशोधन मैंने रखा था। यह मैं उनकी जानकारी के लिये बतला रहा हूं।

खंड ८—९

कर-निर्धारण

८—(१) यदि कर-निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि धारा ७ के अधीन प्रस्तुत की गयी विवरणी-शुद्ध तथा पूर्ण है तो वह उस विवरणी के आधार पर जोत का वार्षिक मूल्य अवधारित करेगा और उस पर आदेश जोत-कर निर्धारित करेगा।

(२) यदि कर-निर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा ७ के अधीन प्रस्तुत की गयी विवरणी अशुद्ध या अपूर्ण है तो वह विवरणी भेजने वाले क्षेत्रपति से यह अपेक्षा करेगा कि वह विवरणी पूरी करे या उसके द्वारा निश्चित किये जाने वाले दिनांक पर विवरणी के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करे अथवा कराये। क्षेत्रपति ऐसा अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत करेगा जिसके प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा कर-निर्धारक प्राधिकारी उससे करे।

(३) उपधारा (२) के अधीन निश्चित दिनांक पर या उसके पश्चात यथा-शक्य शीघ्र ऐसे साक्ष्य पर जो वह व्यक्ति प्रस्तुत करे और ऐसे अन्य साक्ष्य पर जिसकी कर-निर्धारक प्राधिकारी अपेक्षा करे, बिचार करने के पश्चात कर निर्धारक प्राधिकारी जोत का वार्षिक मूल्य अवधारित करेगा तथा उस पर आदेय जोत-कर का निर्धारण करेगा।

(४) यदि कोई व्यक्ति धारा ७ के अधीन विवरणी प्रस्तुत न करे अथवा विवरणी भेजने के पश्चात उपधारा (२) अथवा (३) के उपबन्धों का अनुपालन न करे तो कर-निर्धारक प्राधिकारी धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन भेजे गये अनुमानों का उचित ध्यान रखते हुए अपने पूर्ण विवेक से कर निर्धारण करेगा।

इस अध्याय के उपबन्धों का विधिक प्रतिनिधि पर प्रवृत्त होना

९—यदि धारा ८ के अधीन कर निर्धारण के पूर्ण होने के पूर्व क्षेत्रपति की मृत्यु हो जाये, तो कर-निर्धारक प्राधिकारी उसके विधिक प्रतिनिधि पर नियत रीति से नोटिस तामील कर सकता है, और तत्पश्चात इस अध्याय के उपबन्ध उस पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह विधिक प्रतिनिधि ही मृत क्षेत्रपति हो।

श्री रक्षपालसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड ८ के उपखन्ड (४) के बाद निम्नांकित नया उपखन्ड (५) जोड़ दिया जाय—

"(५) यदि किसी क्षेत्रपति की जोत पर बिना साक्ष्य लिये उसकी अनुपस्थिति में एक तरफा कर निर्धारण हो गया है तो उसके प्रार्थना पर कर निर्धारक अधिकारी को यह अधिकार होगा वह स्वविवेक से कर निर्धारण की तिथि से १ मास के अन्दर अपने फैसले को रद्द कर के पुनर्विचार करे।"

श्रीमन्, धारा ८ के अन्दर दिया गया है कि ऐसेसमेन्ट टैक्सेशन का किस प्रकार से होगा, उसमें धारा १, २, ३, ४ दी गई हैं। मुझे इसमें उल्लेख करना पड़ता है कि उसमें संशोधन

करने की आवश्यकता क्यों हुई ? यदि कभी कर निर्धारण हो गया और कोई व्यक्ति वहां पर निर्धारित तिथि पर नहीं पहुंच सका, तो बाद में उसका उद्धार नहीं हो सकता है । मैंने उन धाराओं को देखा है । लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट का कहीं प्राविजन नहीं है। और न सी० पी० सी० उसमें लागू होती है। आप देखें कि कर निर्धारण के संबंध में उन लोगों की गलती बनी रह जाने वाली है । किसी निर्धारित तिथि पर कोई यदि उपस्थित न हो सका, तो हमेशा के लिये उसके लिये कर निर्धारण और एक तरह की सजा हो जायगी । इसको ध्यान में रखते हुए यह एक इन्नोसेन्ट संशोधन है । हर एक के प्रति न्याय हो और अगर किसी तरह का एक्स पार्टी आर्डर हो गया हो, तो वह कर निर्धारण अधिकारी के पास फिर से सुनवाई कर सकें। लैन्ड रेवेन्यू और सी० पी० सी० में भी १५ या ३० दिन की छूट रहती है। एक तरफा आर्डर हो जाने पर उसकी फिर से विचार के लिये गुंजाइश रहनी चाहिये । इसलिये माननीय मंत्री जी से यह मेरा अनुरोध है कि वह इसको इन दि इन्टेरेस्ट आफ जस्टिस मान लें और इसको मंजूर करने की कृपा करें ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

इस ऐक्ट में हमने यह कर रखा है कि कर निर्धारित करने से पहले एक नोटिस भेज दिया जायगा । दूसरा भेज देंगे । या उसको अपील करना है, तो कर लेंगे । एक्स पार्टी ऐसेसमेन्ट होता है, तो यह सट एसाइड करने के अधिकार दोनों को मिले । इस ऐक्ट में बहुत-सी धारायें हैं, जिनमें संशोधन करना होगा । इसलिये कोई इसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

(व्यवधान)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, मैं चैलेंज करता हूं कि इसमें सेट एसाइड करने की जरुरत नहीं होगी । वह एक भी इसके लिये उदाहरण बता दें । अपील वाली धारा देखिये । जिस तरीके से उससे ३० दिन के अन्दर यह मौका देंगे कि वह जिस तरीके से सेड एसाइड हो जाय, उसके बाद जब वह फाइनल हो, तब उसकी अपील हो । पहले भी मैंने आपकी आज्ञा से कहा था । ऐसा प्रैक्टिस करते हुए टैक्सेशन पत्र एक्स पार्टी हो गया और ऐसेसमेन्ट हो गया, वह बिना साक्ष्य के होता है । अपील का कोई प्रश्न हो, ओरिजनल कर में एप्लिकेशन देने पर ३० दिन के अन्दर वह सेट एसाइड कर लिया जाय और फिर से विचार कर लिया जाय । इसमें अपील की कोई बात नहीं आई ।

(व्यवधान)

श्री हरिनाथ तिवारी---

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी अपील के लिये कर देंगे, लेकिन उसका एविडेन्स होगा, उस पर नहीं विचार कर रहे हैं । एविडेन्स नहीं रहेगा । जो ३ रोज व्यय कर सकता है, उसको एक एविडेन्स का राइट हो जाता है। सबूत की जो कमी रहेगी, इसलिये उसको मान लेना आवश्यक है ।

श्री रक्षपाल सिंह---

श्रीमन्, मैं यही कह देना चाहता हूं जो कि माननीय हरिनाथ तिवारी ने कहा है । एपिलेट कोर्ट में साक्ष्य के लिये कोई अधिकार नहीं है, न उसमें व्यवस्था है। जो अपील करेगा, फिर वापस लेगा, फिर एसेसमेन्ट आदि में दुगना टाइम लगेगा । अलावा इसके और कोई बात नहीं होगी । पुनर्विचार करने का अधिकार हो, इसमें दोबारा टाइम लगेगा । इसलिये माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें ।

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव---

इसमें ऐपिलेट की आवश्यकता हो, तो आरमन्ड कर दें वह आरमन्ड हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि "खन्ड ८ के उपखन्ड (४) के बाद निम्नांकित नया उपखन्ड (५) जोड़

दिया जाय—

"(५) यदि किसी क्षेत्रपति की जोत पर बिना साक्ष्य लिये उसकी अनुपस्थिति में एक तरफा कर निर्धारण हो गया है, तो उसके लिये प्रार्थना पर कर-निर्धारक अधिकारी को यह अधिकार होगा वह स्वविवेक से कर निर्धारण की तिथि से १ मास के अन्दर अपने फैसले को रद्द करके पुनर्विचार करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड ८ और ९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

मांग का नोटिस

१०—जब धारा ८ के अधीन कर-निर्धारण हो गया हो, तो कर-निर्धारक प्राधिकारी करदाता पर नियत प्रपत्र में मांग का नोटिस तामील करेगा। जिसमें करदाता द्वारा देय जोत कर की धनराशि तथा वह या वे दिनांक निर्दिष्ट होंगे जिनके भीतर भुगतान किया जाये।

श्री कृष्णपालसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १० में निम्नलिखित बढ़ा दिया जावे—

"तथा उसके साथ कर निर्धारण आदेश की एक प्रतिलिपि संलग्न की जावेगी"

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

यह संशोधन मुझको स्वीकार है।

(प्रश्न उपस्थि किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १० में निम्नलिखित बढ़ा दिया जावे—

"तथा उसके साथ कर निर्धारण की एक प्रतिलिपि संलग्न की जावेगी।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

जोत-कर के निर्धारण के वरुद्ध अपील

११—(१) कोई करदाता, जो धारा ८ के अधीन निर्धारित जोतकर की धनराशि अथवा दर के संबंध में अथवा जोत के इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारित किये जाने के दायित्व के संबंध में कर-निर्धारक प्राधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, धारा १० के अधीन मांग के नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपील कर सकता है।

(२) यदि आयुक्त का समाधान हो जाये कि उपधारा (१) में उल्लिखित तीस दिन की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील नियत रीति से प्रस्तुत एवं सत्यापित की जायेगी।

(४) आयुक्त अपील पर ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे और वह उस आज्ञा की एक-एक प्रतिलिपि अपीलकर्त्ता, कर-निर्धारक प्राधिकारी तथा अन्य ऐसे प्राधिकारी को, जो नियत किया जाये, भेजेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन जोत-कर तब तक नहीं बढ़ाया जायगा जब तक कि अपीलकर्त्ता को कर बढ़ाये जाने के विरुद्ध कारण प्रकट करने का समुचित अवसर न दे दिया गया हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १२ व १३

पुनरीक्षण

१२—(१) यदि राजस्व परिषद् (बोर्ड आफ रेवेन्यू) को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी कर-निर्धारक प्राधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी ने, जिसने वाद या अपील का निर्णय किया हो, ऐसे क्षेत्राधिकार, का प्रयोग किया है जो उसमें निहित नहीं था अथवा अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अवैधता अथवा महत्वपूर्ण अनियमितता की है, तो वह स्वतः या किसी के प्रार्थना-पत्र पर, उस कर-निर्धारक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी की कार्यवाही का अभिलेख मंगवा सकता है तथा उसके संबंध में ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा प्रार्थना-पत्र उस दशा में ग्रहण नहीं किया जायेगा जब आज्ञा के विरुद्ध अपील हो सकती थी किन्तु प्रार्थी ने तदर्थ नियत अवधि के भीतर अपील न की हो ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि राजस्व परिषद् सम्बद्ध पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उसके प्रतिकूल कोई आज्ञा नहीं देगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र, जिस आज्ञा के विरुद्ध परिवाद हो उसकी प्राप्ति के दिनांक से छः महीने के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा किन्तु राजस्व परिषद् पर्याप्त कारण सिद्ध होने पर और आने की अवधि के भीतर जो तीन महीने से अधिक न हो, प्रार्थना-पत्र ग्रहण कर सकती है ।

बोर्ड की आज्ञा अंतिम होगी ।

१३—धारा १२ के अधीन राजस्व परिषद् द्वारा दी गयी आज्ञा अंतिम होगी । प्रत्येक ऐसी आज्ञा की एक एक प्रति कर-दाता, कर-निर्धारक प्राधिकारी तथा ऐसे बोर्ड की आज्ञा अंतिम होगी अन्य प्राधिकारी को जो नियत किया जाये भेजी जायेगी ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ की पांचवीं पंक्ति में शब्द "है," के बाद और "तो" के पूर्व निम्नांकित बढ़ा दिया जाय—

"अथवा जोत-कर के निर्धारित किये जाने के दायित्व के संबंध में गलती किया है ।" यों इस विधेयक के खंड १२ में बोर्ड आफ रेवेन्यू को यह अधिकार है कि यदि कर-निर्धारक अधिकारी जो पावर्स उसको नहीं हैं उनका प्रयोग करता है और कुछ बातों में गलती उसने की है तो वह उसको रिव्यू कर सकता है, आर्डर्स को बदल सकता है परन्तु ओमिशंस (Omissions) हो सकते हैं, उनके लिये कोई प्राविधान इसमें नहीं रखा गया है । जो अधिकारी की लाइबिलिटीज हैं जिनको उसे पूरा करना चाहिये, वह पूरा नहीं करता, जिसके कारण वह बोर्ड आफ रेवेन्यू में संशोधित हो सकता है । ऐसी बात इसमें नहीं रखी गयी है । इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार कर लें ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

इसमें बोर्ड आफ रेवेन्यू को पूरे अधिकार दिये गये हैं अगर कोर्ट ने अपने जूरिस्डिक्शन के बाहर काम किया है और कोई लीगल या मैटीरियल इरेगुलेरिटी है तो उसको दूर किया जा सकता है। यह नियम रहा है। उसको सारे रिवीजन के पावर्स हैं। हम सेकेन्ड अपील की पावर्स बोर्ड आफ रेवेन्यू को नहीं दे सकते। जो रिवीजन वाली पावर्स सब अदालतों को होती है वह पावर उसको दी गयी है।

श्री दयाराम शाक्य—

मैं मंत्री जी को समझाने में तो असमर्थ नहीं रहा, लेकिन वह समझने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। जो लाइबिलिटीज कर निर्धारक अधिकारी पर हैं और जो ओमिशंस हो जाते हैं उनके आधार पर जो अजमेंट का कंसीडरेशन होता है उनके लिये प्राविजन हो जाना चाहिये। यही मेरा मतलब है। माननीय मंत्री जी अब संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

मैंने पहले ही निवेदन किया है कि हम इसको सेकेन्ड अपील बनाने में अपने को असमर्थ पाते हैं। रिवीजन को रिवीजन ही रहने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कि खंड १२ की पांचवीं पंक्ति में शब्द "है" के बाद और "तो" के पूर्व निम्नांकित बढ़ा दिया जाय—

"अथवा जोत-कर के निर्धारित किये जाने के दायित्व के संबंध में गलती किया है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १२ तथा १३ इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४

पुनरीक्षण की प्रक्रिया यू० पी० ऐक्ट संख्या ३,१९०१।

१४—धारा १२ के अधीन अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में राजस्व परिषद् यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ द्वारा अथवा उसके अधीन विहित प्रक्रिया का यथासंभव अनुसरण करेगी तथा उक्त ऐक्ट की धारा ८ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार प्रवृत्त होंगे, मानों धारा १२ के अधीन कार्यवाही उक्त ऐक्ट के अधीन न्यायिक कार्यवाही हो:

प्रतिबन्ध यह है कि जब राजस्व परिषद के सदस्यों का मत पुनरीक्षण में की जाने वाली आज्ञा के संबंध में बराबर-बराबर विभक्त हो तो वह विषय निर्णय के निमित्त किसी अन्य सदस्य को अभिदिष्ट किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५-२०

जोत जो कर-निर्धारण से रह गई हो

१५—यदि किसी कारणवश कोई जोत जिस पर जोतकर आदेय हो किसी कृषि-वर्ष में कर-निर्धारण से बच गयी हो अथवा उस पर जिस दर से कर निर्धारित किया जाना चाहिये था उससे कम दर पर निर्धारित किया गया है, तो कर-निर्धारक प्राधिकारी उस वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय

उस क्षेत्रपति पर, जिस पर जोत पर आदेय कर के भुगतान का दायित्व हो, ऐसा नोटिस तामील कर सकता है जिसमें धारा ७ के अधीन दिये जाने वाले नोटिस की समस्त या किन्हीं अपेक्षाओं का समावेश हो तथा ऐसा नोटिस तामील हो जाने पर, इस अधिनियम के उपबन्ध यथासंभव इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह नोटिस उक्त धारा के अधीन जारी किया गया नोटिस हो ।

भूल-सुधार

१६—(१) कोई प्राधिकारी जिसने कर-निर्धारण की कोई आज्ञा अथवा अपील या पुनरीक्षण में कोई आज्ञा दी हो, ऐसी आज्ञा दिये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर किसी भी समय, स्वतः या किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर ऐसी किसी भूल को जो, यथास्थिति, कर-निर्धारण, अपील अथवा पुनरीक्षण में प्रत्यक्षतः स्पष्ट हो, सुधार सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना इस प्रकार भूल-सुधार न किया जायगा ।

(२) यदि इस प्रकार के किसी भूल-सुधार के परिणाम स्वरूप कर-निर्धारण में कमी हो जाये तो सम्बद्ध कर-निर्धारक प्राधिकारी अतिरिक्त धनराशि करदाता को वापस करने की आज्ञा देगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी ऐसी आज्ञा के संबंध में जिसके परिणामस्वरूप कर-निर्धारण बढ़ जाय यह समझा जायेगा कि वह आज्ञा यथास्थिति धारा ८,११ या १२ के अधीन दी गयी आज्ञा है तथा इस अधिनियम के उपबन्ध उस आज्ञा पर यथाशक्य प्रवृत्त होंगे ।

जोत-कर के भुगतान का दायित्व

१७—किसी भी जोत पर आदेय जोत-कर क्षेत्रपति द्वारा देय होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी समिति द्वारा धृत भूमि में अपने हिस्से के निमित्त क्षेत्रपति द्वारा देय जोतकर नियत रीति से अवधारित होगा और सहकारी समिति द्वारा देय होगा और उसी से वसूल किया जायेगा मानों सहकारी समिति ही करदाता हो ।

कर कैसे देय होगा

१८—(१) धारा १० के अधीन किसी मांग के नोटिस में अथवा धारा ११ या १२ के अधीन सूचित किसी आज्ञा में निर्दिष्ट जोत-कर की धनराशि चार समान किस्तों में देय होगी ।

(२) यथास्थिति, मांग का नोटिस तामील किये जाने अथवा आज्ञा सूचित किये जाने के दिनांक से दो मास के भीतर पहली किस्त का तथा पहली किस्त के देय होने के दिनांक से ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाये, अनुवर्ती किस्तों का भुगतान किया जायेगा ।

(३) यदि किसी किस्त का भुगतान उपधारा (२) के अधीन अनुमत समय के भीतर न किया जाये तो यह समझा जायेगा कि करदाता बाकीदार है:

प्रतिबन्ध यह है कि जब करदाता ने धारा ११ के अधीन अपील की हो अथवा धारा १२ के अधीन पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र दिया हो तो यथास्थिति, अपीलीय अथवा पुनरीक्षक प्राधिकारी, प्रार्थना-पत्र मिलने पर यह निदेश दे सकता है कि करदाता के संबंध में ऐसे प्रतिबन्धों तथा शर्तों पर जो वह निर्दिष्ट करे, यह समझा जाये कि बाकीदार नहीं है ।

शपथ पर साक्ष्य लेने आदि का अधिकार ऐक्ट संख्या ५, १९०८।

१९—कर-निर्धारक अपीलीय तथा पुनरीक्षक प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये वही अधिकार होंगे जो किसी वाद पर विचार करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन न्यायालय में निहित होते हैं, अर्थात्

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना तथा शपथ अथवा प्रतिज्ञान पर उसका बयान लेना,

(ख) कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना, तथा

ऐक्ट संख्या ४५, १८६०

(ग) किसी साक्षी का बयान लेने के लिये कमीशन जारी करना, तथा इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के समक्ष की गयी ऐसी प्रत्येक कार्यवाही इंडियन पीनल कोड की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में तथा उक्त कोड की धारा १९६ के प्रयोजनों के निमित्त भी न्यायिक कार्यवाही (judicial proceeding) समझी जायगी।

कर के भुगतान के संबंध में बाकीदार होने पर शास्ति

२०—(१) यदि करदाता जोत-कर की किसी किस्त के भुगतान का बाकीदार हो, तो कर निर्धारक प्राधिकारी स्वविवेक से यह निदेश दे सकता है कि करदाता से बकाया धनराशि के अतिरिक्त उस धनराशि के आठवें भाग से अनधिक धनराशि शास्ति के रूप में वसूल की जाये।

(२) करदाता पर मांग की नोटिस, जिसमें शास्ति की धनराशि दी हो नियत रीति से तामील किया जायेगा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

खंड १५ के अन्तिम विराम के स्थान पर ":" रख दिया जाय और उसके बाद निम्नांकित बढ़ा दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इससे पहले की क्षेत्रपति संबंधित विवरण अथवा तत्संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करें, कर निर्धारण अधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि वह इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कराये कि विवादित जोत-कर-निर्धारण से बच गयी है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड १५ में यह दिया हुआ है कि अगर कोई जोत बच जाती है और तीन साल बाद यह पता चलता है कि कोई जोत कर निर्धारण से छूट गयी है तो यह प्रीज्यूम कर लिया जायेगा कि वह जोत छूट गयी है और उस पर असेसमेंट के लिये उसके पास नोटिस दिया जायेगा। इसमें संशोधन यह रखा गया है कि नोटिस भेजने से पहले उसके केस पर विचार लिया जाय कि वह छूटी है या नहीं और उसके लिये उसका साक्ष्य ले लिया जाय। इतना ही संशोधन का अभिप्राय है कि आप पहले उसका साक्ष्य ले लें, उससे पूछ लें, और फिर उसको नोटिस दें। नोटिस देने से पहले उससे यह पूछ लिया जाय कि तुम्हारी यह जोत छूट गयी है कर निर्धारण से, क्यों न तुम्हारी उस जोत पर इतना टैक्स लगाया जाय? उसके बाद कार्यवाही हो, यही इसका मतलब है। आशा है मंत्री जी इसे मान लेंगे।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

धारा में यह इस प्रकार है कि यदि यह मालूम हुआ कि कर लगाने से रह गया है तो उसको नोटिस दिया जायगा। नोटिस के माने यह नहीं हैं कि हमने टैक्स लगा ही दिया है। उसको जब नोटिस मिलेगा तब वह आकर कह सकेगा अपनी बात को और उसके लिये मौका होगा अपनी बात कहने का। वह कह सकेगा, अगर कर छूटा नहीं है कोई और बात है तो वह कह सकता है। उसको यह कहने का मौका होगा कि आपका नोटिस गलत है। इसलिये इस संशोधन की कोई जरूरत प्रतीत नहीं होती।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय मंत्री जी शायद यह भूल रहे हैं कि यह जो पुराना ए०आई०टी० का सेक्शन २५ है और एल०एल० एच० टी० का सेक्शन १५, उस पर हाई कोर्ट की रूलिंग हो चुकी है कि जब भी ऐसी नोटिस दी जाय तो सरकार की यह ड्यूटी हो जाती है कि वह यह साबित करे कि फलां फलां जायदाद असेसमेंट से रह गयी है। यह फैसला हो चुका है कि बर्डन आफ प्रूफ लाइज आन दि गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद असेसमेंट किया जायेगा, मगर होता क्या है। तीन-चार महीने तक प्रूफ नहीं आता है, गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे भी केसेज पड़े हुये हैं।

इसको तो आप मान ही लें। यह बड़ा इन्नोसेंट प्रपोजल है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी त्रिपाठी जी ने बतलाया इस पर हाईकोर्ट की रूलिंग भी हो चुकी है, इसलिये इस संशोधन को तो सरकार को मान ही लेना चाहिये।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

इसका तो उसको अवसर मिलेगा ही। यह फाइनल तो है नहीं। जब यह अधिकारी के सामने जायगा तो वह जरूर सबूत मांगेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १५ के अंतिम विराम क स्थान पर ":" रख दिया जाय और उसके बाद निम्नांकित बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस से पहले की क्षेत्रपति संबंधित विवरण अथवा तत्संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करे, कर निर्धारण अधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि वह इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कराये कि विवादित जोत-कर-निर्धारण से बच गयी है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १५ से लेकर २० तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

२१—कोई करदाता जिसे धारा २० के अधीन अपने पर आरोपित शास्ति की धनराशि पर आपत्ति हो अथवा जो ऐसी शास्ति के दायित्व से इंकार करे, उक्त धारा के अधीन मांग के नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से ३० दिन के भीतर आयुक्त को अपील कर सकता है और तदुपरान्त धारा ११ की उपधारा (२) से (४) तक के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर प्रवृत्त होंगे; शास्ति के विरुद्ध अपील

प्रतिबन्ध यह है कि यदि धारा ११ के अधीन अपील कर अथवा धारा १२ के अधीन पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र पर धारा ८ के अधीन किया गया कर-निर्धारण रद्द कर दिया जाये अथवा जोत कर की धनराशि कम कर दी जाये तो धारा २० के अधीन आरोपित शास्ति, यथास्थिति, अपलिखित (written off) अथवा आनुपातिक रूप से कम की गयी समझी जायेगी।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है। खंड २१ निकाल दिया जाय और उसकी जगह पर निम्नांकित रख दिया जाय:

"२१—कोई कर दाता जिसे धारा २० के अधीन अपने पर आरोपित शास्ति की धनराशि पर आपत्ति हो अथवा जो ऐसी शास्ति के दायित्व से इंकार करे, उक्त

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

धारा के अधीन मांग के नोटिस की प्राप्त के दिनांक से ३० दिन के भीतर संबंधित जिलाधीश के यहां प्रार्थनापत्र दे सकता है, और उक्त जिलाधीश स्वविवेक से यदि वह उचित समझे शास्ति की धनराशि को कम कर सकता या छोड़ सकता है ।"

आपका जो पुराना एग्रीकल्चरल इंकमटैक्स १९४७ का है उसकी धारा ३१ के आधार पर मैंने इस संशोधन को मूव किया है। उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर किसी पर पैनाल्टी लग गयी है तो वह कलेक्टर को दरख्वास्त देगा। (अवधि भी उसमें नहीं दी हुई है) कलेक्टर को यदि संतोष हो गया तो वह पैनाल्टी को कम कर सकता है या पूरा माफ कर सकता है। इस विषय में वह स्वविवेक से आज्ञा देगा। इस चीज को आप क्यों नहीं मानते हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

इसमें कठिनाई यह है कि ऐसी कार्यवाही पूर्व ही कलेक्टर की ओर से होती है। उसको हमने एक जुडिशियल राइट दिया हुआ है। अब उसी के पास अपील न रख कर हमने कमिश्नर के पास उसको रखा है। वहां उसके हाथ इंसाफ हो जायगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट तो हमने दिया ही है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रारम्भ में ही कहा कि आपक एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में यह प्राविजन है जिससे जनता को बड़ी रिलीफ मिली है। यदि उस पहलू से आप वकालत किये होंगे तो पाये होंगे कि कोई भी ५० रुपये की अपील के लिये इतनी परेशानी नहीं उठाना चाहता है। यह जो दलील दी जाती है कि जिस आफिसर ने पैनाल्टी लगायी उसी के पास हम अपील की अथारिटी कैसे दें। मैं कहता हूं कि आप उसी को अपील की अथारिटी दीजिये और मुझे विश्वास है कि किसी को अपने जिले के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, न वकील, मुख्तार का मेहनताना देना पड़ेगा न ट्रेन आदि में खर्च करना पड़ेगा। जिस गरीब पर ५० रुपया या १०० पैनाल्टी होती है वह दिल मसोस कर दे देता है। उसे कोई भी किसी तरह की राहत नहीं मिलती, इस संशोधन को मान लेने से जनता से टैक्स मिलने में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि इससे आप जनता की असुविधा को कम कर देंगे। यदि आप देखें तो मालूम होगा कि ४००–५०० रुपये की पैनाल्टी वाला आदमी ही अपील में जाता है, ५० या १०० रुपये वाला अपील में नहीं जाता। इसलिये कलेक्टर के यहां से ही रिलीफ पाने की उनको सुविधा दीजिये।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

यह चीज तो सिद्धांत के विरुद्ध है क्योंकि हमने उनको जुडिशियल पावर्स दे रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २१ को निकाल दिया जाय और उसकी जगह पर निम्नांकित रख दिया जाय–

"२१-कोई करदाता जिसे धारा २० के अधीन अपने पर आरोपित शास्ति की धनराशि पर आपत्ति हो अथवा जो ऐसी शास्ति के दायित्व से इंकार करे, उक्त धारा के अधीन मांग के नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से ३० दिन के भीतर संबंधित जिलाधीश के यहां प्रार्थना-पत्र दे सकता है, और उक्त जिलाधीश स्वविवेक से यदि वह उचित समझे, शास्ति की धनराशि को कम कर सकता या छोड़ सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २२—२६

इस अधिनियम के अधीन देय धनराशि की वसूली

२२—कर-निर्धारक प्राधिकारी के प्रस्ताव पर कलेक्टर—

(क) यदि कोई करदाता बाकीदार हो तो जोत-कर के रूप में निर्धारित धनराशि तथा,

(ख) धारा २० के अधीन शास्ति के रूप में आरोपित धनराशि, उसी प्रकार वसूल कर सकता है मानों वह मालगुजारी की बकाया हो :

यू०पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ १९५१ का उ०प्र० अधिनियम सं० १

प्रतिबन्ध यह है कि यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा १४६ के खंड (सी), (ई), (एफ) या (एच) में उल्लिखित आदेशिकायें अथवा १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २७९ के खंड (ग) और (च) में उल्लिखित आदेशिकायें उन अधिनियमों की उक्त धाराओं में उल्लिखित अन्य आदेशिकाओं की कार्यवाही पूरी हो जाने के पश्चात् ही जारी की जायेंगी ।

दीवानी न्यायालयों में वाद पर रोक

२३—इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कर-निर्धारण को रद्द अथवा संशोधित करने के लिये कोई वाद दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा और इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये किसी कार्य के संबंध में किसी अधिकारी अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अभियोग या वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा और न कोई दूसरी कार्यवाही की जा सकेगी ।

अधिकारों का प्रतिनिधान

२४—राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा अपने को प्राप्त कोई अधिकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को ऐसे निर्बन्धनों अथवा शर्तों के अधीन रहते हुये जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायें, उसके द्वारा प्रयुक्त किये जाने के लिये प्रतिनिहित कर सकती है ।

प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति

२५—जिस क्षेत्रपति का इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार हो या जिससे इस प्रकार उपस्थित होने की अपेक्षा की जाये वह या तो स्वयं या यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकता है ।

नोटिस की तामील

ऐक्ट संख्या ५, १९०८

२६—इस अधिनियम के अधीन कोई भी नोटिस अथवा अधियाचन-पत्र उसमें उल्लिखित व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा तामील किया जा सकता है मानो वह कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन जारी किया गया सम्मन हो ।

श्री रक्षपालसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२ में दिये गये प्रतिबन्ध के बाद एक नया निम्नांकित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :

"किन्तु करदाता के प्रार्थना पर उससे देय कर अथवा शास्ति की धनराशि कर दाता के उस जोत से वसूली जा सकती है जिस पर उक्त कर लगा हो और उक्त जोत की बिक्री से जो धनराशि वसूल हो और वह यदि देय धनराशि से कम हो तो कुल देय धनराशि वसूल की गयी समझी जायगी ।"

श्रीमन् इसके अन्तर्गत लैन्ड रेवेन्यू की धारा १४६ के अनुसार वसूली की व्यवस्था है । जहां तक मुझे स्मरण है उसमें, चल घर व चल और अचल सम्पत्ति से भी वसूल करने की बात रखी गयी

है, परन्तु यह बहुत अन्यायपूर्ण है कि जब आप किसी के काश्त पर कर लगाते हैं तो उसकी पूरी काश्त की बिक्री से जो रुपया वसूल हो सके वह तो ठीक है लेकिन यदि उस की बिक्री से उतना रुपया वसूल न हो सके तो लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा १४६ के अनुसार उसकी दूसरी चल व अचल सम्पत्ति से उसे वसूल करने की कोई कार्यवाही न की जाय। यदि लैंडेड प्रापर्टी से वह टैक्स न वसूल हो सके तो उसे समाप्त समझा जाय, यही इस संशोधन का अभिप्राय है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स जो लगेगा उसके लिये लिखा हुआ है कि किस तरह से उसकी वसूली की जायगी। अगर वसूली का कायदा भी इसी समय निर्धारित कर दें तो यह उचित नहीं मालूम होता। वसूली के समय ही जो मुनासिब बात होगी वह की जायागी। रुपया लैंडेड प्रापर्टी से अदा न हो यह संभव नहीं मालूम होता। इसलिये इसके इन्ट्रोड्यूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में बतला दूं कि इसके इन्ट्रोड्यूस करने की क्यों आवश्यकता है। अगर मेरे पास १० बीघे जमीन है जिसका १२ गुना हमने जमा कर दिया है और अगर उसकी आमदनी से टैक्स का रुपया अदा न हो और फिर हमारी दूसरी सम्पत्ति अटैच कर ली जाय तो यह कहां तक मुनासिब बात होगी? मैं कहता हूं कि अगर हमारी तबियत ही जायदाद से ऊब गई और हम कहते हैं कि उससे वसूल कर लिया जाय, उस का नीलाम कुर्की कर लिया जाय और दूसरी प्रापर्टी जिस का संबंध उस जमीन की कमाई से कोई नहीं है उसको न छुआ जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २२ में दिये गये प्रतिबन्ध के बाद एक नया निम्नांकित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु करदाता के प्रार्थना पर उससे देय कर अथवा शास्ति की धनराशि कर दाता के उस जोत से वसूली जा सकती है जिस पर उक्त कर लगा हो और उक्त जोत को बिक्री से जो धनराशि वसूल हो और वह यदि देय धनराशि से कम हो तो कुल देय धनराशि वसूल की गयी समझी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२ के बाद निम्ननांकित जोड़ दिया जाय—

"यदि इस अधिनियम की धारा ११, १२, १६ तथा २१ के अधीन जोत कर में छूट दिये जाने के कारण करदाता को कोई धनराशि वापस पाता हो तो उसके प्रार्थना-पत्र पर संबंधित जिलाधीश को आवश्यक होगा कि वह धनराशि करदाता को वापस करने का आदेश दे और आदेश देने की तिथि से एक माह के अन्दर वह धनराशि अवश्य वापस कर दी जायगी।"

जहां तक वसूली की बात है वहां हर प्रकार से मंत्री जी ने बताया कि जिस जमीन पर यह लगता है उससे फालतू हो जाता है तो उसकी सब चीज नीलाम कुर्क कर के वसूली की जायगी और जितने तरीके हो सकते हैं वे सब इस्तेमाल किये जायेंगे, लेकिन जहां पर यह सूरत होगी कि हम से अधिक ले लिया गया है उसके वापस मिलने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिये जहां वसूली के लिये कड़ाई है वहां सरकार को भी बाध्य होना चाहिये कि जल्द से जल्द उसका रुपया वापस करे। मैंने इसलिये एक मास का समय रखा है। मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करें और जिस का अधिक रुपया वसूल हो गया है उसका जल्द से जल्द वापस किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

इस संशोधन के द्वारा एक माह की कैद लगाई गई है। जहां तक रिफंड का ताल्लुक पुराने ऐक्ट में रूल ३३ के अनुसार रिफंड होता था और जैसा कि फाइनेंशियल हैन्ड बुक के वाल्यूम ५ में लिखा है उसके अनुसार रिफंड हो जायगा। लेकिन एक माह में ही हो जाय इस में कठिनाई होगी क्योंकि अगर कायदा हो जायगा कि ३० दिन के अन्दर हो जाय तो ऐसे नियम से लाभ ही क्या होगा, रिफंड हो ही जायगा, वह दस दिन में भी हो सकता है और कहीं ४० दिन भी लग सकते हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

मंत्री जी को, श्रीमन्, अनुभव नहीं है। उन्हें इसका अनुभव नहीं है कि रिफंड आर्डर होने के बाद भी वह मिलता है या नहीं और कितनी देर गलती है। रिफंड आर्डर तो हो ही जाता है, लेकिन उसके लिये कोई समय निर्धारित होना चाहिये कि इतने समय के भीतर मिल जाय। समय निर्धारित करने में कोई अड़चन नहीं होनाचाहिये, जो अधिक वसूल किया है उसको समय से देने में क्या अड़चन हो सकती है? अपना रुपया तो आप समय के अन्दर कुर्की नीलाम से वसूल करते हैं तो फिर दूसरे का पैसा आप समय के भीतर क्यों नहीं देना चाहते? आपको देने में कौन सी आपत्ति हो सकती है। उसी को रुपया १ महीने में वापस कर देना चाहिये।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

समय निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। अधिकार है मिलेगा जरूर।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २२ के बाद निम्नांकित जोड़ दिया जाय:

"यदि इस अधिनियम की धारा ११, १२, १६ तथा २१ के अधीन जोत कर में छूट दिये जाने के कारण करदाता को कोई धनराशि वापस पाना हो तो उसके प्रार्थना-पत्र पर संबंधित जिलाधीश को आवश्यक होगा कि वह धनराशि करदाता को वापस करने का आदेश दे और और आदेश देने की तिथि से एक माह के अन्दर वह धनराशि अवश्य वापस कर दी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २२ से २६ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २७

२७—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने नियम बनाने के लिये गजट में विज्ञप्ति द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुये का अधिकार नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्

(क) वे सिद्धान्त जिन पर और वह रीति जिससे स्वीकृत मौरूसी दरों को धारा ५ के अधीन बढ़ाया जा सकता है;

(ख) धारा ७ के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी का प्रपत्र और वह रीति जिससे वह प्रस्तुत की जायेगी;

(ग) धारा ७ की उपधारा (३) के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा-पत्र का प्रपत्र;

(घ) धारा ८ के अधीन कर-निर्धारण से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ङ) वे सिद्धान्त जिन पर और वह रीति जिसमें धारा १० के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन सहकारी समिति द्वारा देय कर अवधारित किया जायेगा;

(च) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किये जाने के लिए अपेक्षित नोटिसों के प्रपत्र तथा उनके प्रकाशन की रीति;

(छ) उन मामलों में जिनके लिये इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, इस अधिनियम के अधीन अपीलों पुनरीक्षणों तथा अन्य कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) उन मामलों में जिनके लिये इस अधिनियम में तदर्थ कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र देने की कालावधि;

(झ) उन मामलों में जिनके लिये इस अधिनियम में तदर्थ कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है इस अधिनियम के अधीन अपीलों और प्रार्थना-पत्रों के संबंध में देय शुल्क;

(ञ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित लेखा बहियों तथा अन्य रजिस्टरों, विवरणियों तथा विवरण-पत्रों को रखने की प्रक्रिया और उनके प्रपत्र।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य यथा शीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा बाद का कोई दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशन के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यों (annulments) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान-मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन संबद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

श्री देवेन्द्रसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं---

खंड २७ के उपखंड (२) में मद (क) के पूर्व निम्नलिखित मद बढ़ा दी जाय :

"(क-१) वे सिद्धान्त जिन पर वे शर्तें और निर्बन्धन जिनके अधीन रहते हुये कलेक्टर द्वारा धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन राज्य सरकार के अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है"

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

इसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २७ के उपखंड (२) में मद (क) के पूर्व निम्नलिखित मद बढ़ा दी जाय :

"(क–१) वे सिद्धान्त जिन पर वे शर्तें और निबन्धन जिनके अधीन रहते हुये कलेक्टर द्वारा धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन राज्य सरकार के अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २७ के उपखंड (२) की मद (क) के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय—

"(क) वे सिद्धान्त अथवा रीति जिससे बाढ़ या ओला इत्यादि दैवी प्रकोप से हुई फसल को हानि की धनराशि का निश्चय किया जा सके।"

इस संशोधन के मानने से पता चलेगा हमारी सरकार और माननीय मंत्री की बात की नेकनीयती का क्या मापदंड है। उनके प्रति कुछ भी किसान के प्रति हमदर्दी है तो नेचुरल कैलेमिटी से जो नुकसान उसको होता है उसे देखते हुये मेरे इस संशोधन को वह स्वीकर कर लेंगे। वह कह सकते हैं कि हमने सेक्शन ३ में प्राविजन किया है, लेकिन यह बात बिलकुल गलत है। रूल मेकिंग पावर का जो सेक्शन २७ है इसमें एक क्लाज बना देना चाहिये कि रूल्स में भी कंसेशन देने की गुंजायश रहे। मैं सब सेक्शन ३ पढ़े देता हूं :

"Where the State government so considers necessary in public interest it may by notification in the gazette, wholly or partially exempt from the holding tax, or remit the holding tax payable in respect of any case or classes of land for such period as it thinks fit."

पहली बात यह है कि इन दी पब्लिक इंटरेस्ट कोई आदमी यह इंटरप्रेट नहीं करेगा कि किसी व्यक्ति को, किसी गांव को नुकसान होगा वह पब्लिक इन्टरेस्ट में हुआ और इसलिये उनको रेमिशन दे दिया जाय। उन्होंने कदाचित् इस दृष्टि से इसे रखा है कि कोई एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन हो तो उसमें रेमिशन दिया जा सके। ओले वगैरह की कोई बात इसमें नहीं है। इसलिये हम अनुरोध करते हैं कि अगर सचमुच वे समझते हैं कि ओला और बाढ़ से नुकसान होता है और उनके दिल में दर्द है तो इसको स्वीकार करें वरना इसकी भी और संशोधनों की सी फेट होगी।

(माननीय मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनार्थसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब देखिये, समय का लिहाज कीजिये।

श्री कल्पनार्थसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। पूरे विधेयक को पढ़ लिया जाय लेकिन कहीं भी जिन लोगों पर टैक्स लगाया जा रहा है उनको नेचुरल कैलेमिटीज से बचाने के लिये कोई प्राविजन नहीं है। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि बाढ़ के इलाके में फसल का बीमा होना चाहिये। यह सरकार बाढ़ रोकने की अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है। फसल के बीमा कराने की बात तो दूर रही, इस सरकार के बस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

की नहीं है, लेकिन जो मोटी सी बात नेचुरल कलेमिटी की है उसके संबंध में जो त्रिपाठी जी का संशोधन है उसको मंत्री जी स्वीकार कर लें। मंत्री जी स्पष्ट करें कि किस आधार पर वे इसका विरोध करते हैं। कौन सा सिद्धान्त है जिसके आधार पर वे विरोध करना चाहते हैं .....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथ जी, आप समाप्त कर दें।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं बोला ही नहीं। एक बार मैं खड़ा हुआ तो मैंने समय का ध्यान रखा। अगर इस समय भी आपकी आज्ञा हो जायगी तो मैं बैठ जाऊंगा। बजाय हम लोगों से कहने के आप मंत्री जी से कहें कि वे इसको स्वीकार कर लें तो हममें से कोई नहीं बोलेगा। विकल जी को शिकायत थी कि माल मंत्री जी ने इस को पेश नहीं किया। उन्होंने जो पहले पेश किया था उसमें गुंजायश रखी थी। इस लिये मंत्री जी को इसमें भी गुंजायश रखनी चाहिये वरना विकल जी की शिकायत सही होगी। सचमुच ऐसा मालूम होता है कि वकील होने के नाते उनका किसानों से ताल्लुक नहीं है। श्रीमन्, आपका इशारा तकलीफदेह है। आप मंत्री जी से कहें कि हमारी इस बात को मान लें और नेचुरल कैलेमिटी की गुंजायश इसमें कर दें। मैं समझता हूं कि यह बड़ी भूल होगी और सदन की मंशा के विरुद्ध होगा। इस संशोधन को मानने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप बार बार इशारा करते हैं तो मैं बैठता हूं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

इस संशोधन के द्वारा सरकार को एक अधिकार नियम बनाने का दिया जा रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि वह अधिकार इसमें मौजूद है। इसकी धारा २७ (१) में रूल बनाने का अधिकार है और धारा ३ में उसको और स्पष्ट कर दिया गया है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा धारा ३ में वह मौजूद है। धारा ३ और धारा २७(१) में वह नियम बनाये जा सकते हैं। जब वह नियम बनायेंगे तो वह सदन की मेज पर रखे जायेंगे। अगर उन नियमों में आप यह देखते हैं कि यह नहीं है तो आप उसको कह सकते हैं कि वह नियम नहीं है। मैं यह समझता हूं इस अधिकार को देने की जरूरत नहीं है। हरएक चीज का कहां तक आप अधिकार देंगे?

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मुझको शहर का अनुभव नहीं है, तो यह बात ठीक है। मगर जितने संशोधन हैं वह सब संशोधन राजस्व मंत्री जी के पास भेजे गये थे और उनकी हिदायत के अनुसार ही मैं यह काम कर रहा हूं। उनको गांव का अनुभव है। अगर किसी को शिकायत होगी तो वह उनसे जाकर कह लें।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या उनका यह आश्वासन है कि जो रूल्स बनेंगे उनमें इसका समावेश रहेगा?

श्री उपाध्यक्ष—

यह बात नहीं है।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मुझे संतोष हो गया माननीय मंत्री जी की बात सुनकर। इतनी योग्यता के वकील की यह दलील सुनकर मेरी दलील कहां रह जाती है। आखिरकार उन्होंने कह ही दिया कि मैं जितनी बातें यहां पर कह रहा हूं उनकी कही हुई बातों को कह रहा हूं। अब मुझे और ज्यादा नहीं कहना है। एक बात यह जरूर कहना चाहता हूं कि वह इस पर विचार करें। वह हमारे संशोधन को न मानें, लेकिन इस बात पर गौर करें कि सेक्शन २७ में जो हमने अधिकार दिया है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह पुराने ऐक्ट में मौजूद था । सेक्शन २७ में वही अधिकार हमने दिया है जो पुराने ऐक्ट के २९ में था और सेक्शन ३ में वही है जो पुराने ऐक्ट के सब सेक्शन २ में था । अब जो यह २७ में मैं संशोधन रख रहा हूं यह उसी पुराने ऐक्ट के अनुसार है । मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है । जो पुराना ऐक्ट बना हुआ है उसी को संशोधन के रूप में यहां पर रख दिया है । उस समय जो पहला ऐक्ट बनाया गया था वह बहुत सोच समझकर बनाया गया था । उसमें एग्जेम्पशन की गुंजायश रखी गई थी । आपने कह दिया कि राजस्व मंत्री जी की इच्छा के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं । जब स्टेट गवर्नमेंट को रूल मेकिंग पावर तो थी यहां पर आप उसको क्यों नहीं मानते हैं ? उस पुराने ऐक्ट के अनुसार ही यहां २७ में वह चीज रखने की बात है उसी २९वें सेक्शन के उसूल को मैंने यहां पर मूव किया है । उसमें यह है कि प्रिंसिपल आन विच टैक्स में बी एग्जेम्पटेड में मंत्री जी से अपील करूंगा कि २९वें सेक्शन की बात को यहां पर मन्जूर करें । मेरी अपनी कोई दलील नहीं है । उस पुराने ऐक्ट की ही दलील है । अगर उसको पढ़ेंगे तो आप उसी नतीजे पर पहुंचेंगे जो मैंने कहा है । इतनी योग्यता होते हुये आपने कह दिया सेक्शन २७ में गवर्नमेंट को पावर है और वह रूल बना सकती है । आपने उसको जल्दी में पढ़ा । २७ (१) में दिया है कि राज्य सरकार इसके लिये नियम बना सकती है लेकिन (२) में है कि निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है उन नियमों में । तो राज्य सरकार केवल इन के बारे में ही नियम बना सकेगी और अगर वह इस के बाहर जायगी तो वह हाईकोर्ट से नियम आल्ट्रवायर्स हो जायंगे । इस दृष्टि से तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है । आपने हमें संतुष्ट करने के लिये जो कह दिया है मैं समझता हूं कि वह जस्टिस नहीं है । आपको जिन से टैक्स लेना है उनकी रिलीफ का भी आपको ध्यान रखना चाहिये ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

मान्यवर, इसमें उपखंड (१) में सरकार को रूल मेकिंग पावर दी गयी है और (२) में कहा गया है कि विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकती है । तो जहां तक आ का सवाल है, उस के हिसाब से सरकार को धारा ३ में नियम बनाने का अधिकार रहता है और वह अल्ट्रवायर्स नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २७ के उपखंड (२) की मद (क) के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय--

"(क) वे सिद्धांत अथवा रीति जिससे बाढ़ या ओला इत्यादि दैवी प्रकोप से हुई फसल को हानि की धनराशि का निश्चय किया जा सके ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधत खंड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खंड २८

श्री विजय सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय , मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २७ के बाद निम्नलिखित नयाखंड २८ जोड़ दिया जाय :

"(२८) इस अधिनियम के लागू होने के दिनांक से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९५९, निरस्त समझा जाये ।"

मान्यवर, यह सीधा सा संशोधन है । जिस समय माननीय चरणसिंह जी ने यह विधेयक पेश किया था उस समय कहा था कि सीलिंग बिल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

अब समय नहीं है ।

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव--

श्रीमन्, सीलिंग बिल को रिपील करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इससे उसका कोई संबंध नहीं है । मैं इसको मंजूर नहीं करता ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २७ के बाद निम्नलिखित नया खंड २८ जोड़ दिया जाय :

"(२८) इस अधिनियम के लागू होने के दिनांक से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९५९, निरस्त समझा जाये ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

अनुसूची

(धारा ३ देखिये)

जोतकर की दर	
१--वार्षिक मूल्यांकन के पहले १,८०० रु० पर	.. कुछ नहीं
२--वार्षिक मूल्यांकन के उससे पर के ३, २०० रु० पर	.. प्रति रुपया पांच नये पैसे
३--वार्षिक मूल्यांकन के उससे ऊपर के ५,००० रु० पर	.. प्रति रुपया १० नये पैसे
४--वार्षिक मूल्यांकन के उससे ऊपर के १०,००० रु० पर	.. प्रति रुपया २५ नये पैसे
५--वार्षिक मूल्यांकन के उससे ऊपर के १०,००० रु० पर	.. प्रति रुपया ४० नये पैसे
६--वार्षिक मूल्यांकन के अवशेष पर ये दरें इन प्रतिबन्धों के अधीन हैं कि-- (क) वार्षिक मूल्यांकन ३,६०० रु० से अधिक न होने पर जोत कर देय न होगा, तथा (ख) वार्षिक मूल्यांकन ५,००० रुपये से अधिक न होने पर वह मूल्यांकन ३,६०० रुपये से जितना अधिक हो उसके आधे से अधिक धनराशि जोतकर के रूप में देय होगी ।	प्रति रु० ६० नये

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश वृहत जोत कर विधेयक, १९६३

वृहत् जोतों पर कर लगाने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

यह आवश्यक है कि राज्य सरकार के वित्तीय साधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से वृहत् जोतों पर कर लगाने की व्यवस्था की जाये ;

अतएव भारतीय गणतन्त्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;--

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर अधिनियम, १९६३ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

(२) यह पहली जुलाई, १९६२ से प्रचलित हुआ समझा जायेगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मेरा यह एक बड़ा इन्नोसेंट सा संशोधन है कि खंड १ के उपखंड (२) की जगह पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२) यह पहली जुलाई, १९६३ से प्रचलित होगा।"

इसमें केवल ६२ का ६३ कर दें। इसका रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "खंड १ उपखंड (२) की जगह पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२) यह पहली जुलाई, १९६३ से प्रचलित होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जावें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर विधेयक, १९६३, जिस रूप में संशोधित हुआ है पारित किया जाय।"

श्री रक्षपाल सिंह—

श्रीमन्, इसमें सारे के सारे अधिकार नियमों के अन्दर ही ले लिये गए हैं। मंत्री जी ने जैसा आश्वासन दिया है, वह स्मरण रहेगा। परन्तु जैसे ओला, या अपील की व्यवस्था है, उसका प्राविधान नहीं हुआ। वह वास्तव में बड़ा अन्याय होगा। अन्त में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वह नियमों को बनाते समय जितनी बातें संशोधनों में कही गई है, उनको पूरा करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर विधेयक, १९६३ जिस रूप में संशोधित हुआ है पारित किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

एक सूचना मुझे देनी है। वह यह कि "उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर ग्रुप के तत्वाधान में व्याख्यान माला योजना के अन्तर्गत प्रथम भाषण 'भारतीय समाजवाद का रूप और प्रकार (The Shape and pattern of Indian Socialism) के विषय पर डा० राधाकमल मुकर्जी, डाइरेक्टर, जे० के० इन्सटीट्यू आफ सोशियालोजी एन्ड ह्यूमन रिलेशन्स, द्वारा दिनांक १ अप्रैल, १९६३ को ५–३० बजे, तिलक हाल (नई बिल्डिंग), विधान भवन, लखनऊ में होगी।

उपर्युक्त अवसर पर आपकी उपस्थिति प्रति साग्रह प्रार्थित है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और परसों दिनांक ३ अप्रैल को १०–३० बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर बुधवार, ३ अप्रैल, १९६३ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१ अप्रैल, १९६३।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३९(२) के तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१६ पर)

नगरपालिका मैनपुरी को पिछले ५ वर्षों में दिए गए अनुदान का विवरण तथा उपयोगिता की स्थिति

अनुदान की मद	अनुदान की धनराशि	उपयोगिता की स्थिति	अनुदान उपयोग न करने के कारण
१	२	३	४
	रु०	रु०	
१—सड़कों के रख रखाव के लिए।	३३,२००	६,३३५	नगरपालिका ने अवशेष धन का उपयोग करने के लिये शासन से उपयोग की अवधि को ३१-३-६३ तक बढ़ाने के लिये प्रार्थना की थी। नगर पालिका की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई है। अवशेष धनराशि को वापस करने के आदेश जारी हो चुके हैं।
२—हाथ गाड़ी तथा व्हील बैरो खरीदने के लिये	५,३२५	..	अनुदान की उपयोग की अवधि ३१-३-६३ तक है। इस अवधि में नगरपालिका हाथगाड़ियां तथा व्हील बैरो खरीद लेगी।
३—कन्याओं के लिये प्राइमरी स्कूल की इमारत बनाने के लिये उपर्युक्त स्कूल के लिये सामान खरीदने के लिये	१०,००० १,००० रु०	..	अनुदान के उपयोग की अवधि १३-९-६३ तक बढ़ाने के लिये नगरपालिका ने यथोचित अधिकारियों से प्रार्थना की है। इस प्रार्थना पर क्या निर्णय लिया गया है यह सूचना अभी शिक्षा विभाग से नहीं प्राप्त हो सकी है।
४—कन्याओं की प्राइमरी स्कूल की इमारत बनाने के लिये तथा सामान खरीदने के लिये।	११,०००	..	अनुदान के उपयोग की अवधि ३१-३-६४ तक है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२८ पर)

अक्तूबर से दिसम्बर, सन् १९६२ तिमाही में जिलों की सीमेंट का एलाटमेंट
(संख्या टनों में)

जिला		मात्रा	जिला		मात्रा
१—देहरादून	..	१७९४	२८—मिर्जापुर	..	९२०
२—सहारनपुर	..	२३४६	२९—जौनपुर	..	१८१७
३—मुजफ्फर नगर	..	२०७०	३०—गाजीपुर	..	१४९५
४—मेरठ	..	४२५५	३१—बलिया	..	१८४०
५—बुलन्दशहर	..	२१६२	३२—गोरखपुर	..	२४१५
६—अलीगढ़	..	३०८२	३३—बस्ती	..	१६१०
७—मथुरा	..	१७४८	३४—आजमगढ़	..	१७७१
८—आगरा	..	५६८१	३५—देवरिया	..	१७२५
९—मैनपुरी	..	१७९४	३६—नैनीताल	..	१८६३
१०—एटा	..	१७२५	३६—अल्मोड़ा	..	८७४
११—बरेली	..	२६६८	३८—गढ़वाल	..	७३६
१२—बिजनौर	..	११९६	३९—टेहरी गढ़वाल	..	५९८
१३—बदायूं	..	१४२६	४०—लखनऊ	..	५५२०
१४—मुरादाबाद	..	२४३८	४१—उन्नाव	..	१०८१
१५—शाहजहांपुर	..	१३८०	४२—राय बरेली	..	७८२
१६—पीलीभीत	..	११९६	४३—सीतापुर	..	१२६५
१७—रामपुर	..	१५४१	४४—हरदोई	..	१२६५
१८—फर्रूखाबाद	..	१६५६	४५—खीरी	..	११२७
१९—इटावा	..	१७०२	४६—फैजाबाद	..	१४९५
२०—कानपुर	..	५६३५	४७—गोंडा	..	११५०
२१—फतेहपुर	..	७८२	४८—बहाराइच	..	७८२
२२—इलाहाबाद	..	४९४५	४९—सुल्तानपुर	..	७८२
२३—बांदा	..	९६६	५०—प्रतापगढ़	..	७८२
२४—हमीरपुर	..	८५१	५१—बराबंकी	..	१०१२
२५—झांसी	..	१०८१	५२—चमोली	..	७२
२६—जालौन	..	१०१२	५३—उत्तर काशी	..	४६
२७—वाराणसी	..	४०९४	५४—पिथौरागढ़	..	४६
			योग	..	९६,१०६ मेट्रिक टन

जनवरी से मार्च, सन् १९६३ की तिमाही में जिलों को सीमेंट का एलाटमेंट
(सख्यायें टनों में)

जिला		मात्रा	जिला		मात्रा
१—देहरादून	..	११९६	२८—मिर्जापुर	..	५२९
२—सहारनपुर	..	१५४३	२९—जौनपुर	..	१२४२
३—मुजफ्फरनगर	..	१३८०	३०—गाजीपुर	..	९८९
४—मेरठ	..	२८२९	३१—बलिया	..	१२६५
५—बुलन्दशहर	..	१४४९	३२—गोरखपुर	..	१६१०
६—अलीगढ़	..	२१६२	३३—बस्ती	..	१०८१
७—मथुरा	..	१२१९	३४—आजमगढ़	..	१२४२
८—आगरा	..	३९७९	३५—देवरिया	..	१२१९
९—मैनपुरी	..	१२६५	३६—नैनीताल	..	१२४२
१०—एटा	..	१२१९	३७—अल्मोड़ा	..	५७५
११—बरेली	..	१८६३	३८—गढ़वाल	..	५२३
१२—बिजनौर	..	७८२	३९—टेहरी गढ़वाल	..	४१४
१३—बदायूं	..	१०१२	४०—लखनऊ	..	३७२६
१४—मुरादाबाद	..	१६५६	४१—उन्नाव	..	७३६
१५—शाहजहांपुर	..	९२०	४२—राय बरेली	..	५२३
१६—पीलीभीत	..	७८२	४३—सीतापुर	..	८२८
१७—रामपुर	..	१०१२	४४—हरदोई	..	८२८
१८—फर्रूखाबाद	..	१०१२	४५—खीरी	..	७४२
१९—इटावा	..	११५०	४६—फैजाबाद	..	१०१२
२०—कानपुर	..	३८७२	४७—गोंडा	..	७६५
२१—फतेहपुर	..	५०६	४८—बहराइच	..	५०६
२२—इलाहाबाद	..	३३१२	४९—सुल्तानपुर	..	५०६
२३—बांदा	..	६२१	५०—प्रतापगढ़	..	५०६
२४—हमीरपुर	..	५७५	५१—बाराबंकी	..	६९०
२५—झांसी	..	७३६	५२—चमोली	..	१२८
२६—जालौन	..	६९०	५३—उत्तर काशी	..	४६
२७—वाराणसी	..	२७३७	५४—पिथौरागढ़	..	४६
			योग	..	६४,९९८ मेट्रिक टन

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे ६३१ –पर)

सूची 'क'

गैर सरकारी निरीक्षक का नाम	निवास स्थान	नियुक्ति की अवधि
(१) जिला झांसी		
१—श्री सतीशचन्द्र चतुर्वेदी ..	सिपरी बाजार, झांसी ..	१ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक।
२—श्री स्वामी गयानन्द ..	झांसी ..	,,
३—श्रीमती चन्द्रमुखी देवी ..	१५२, सिविल लाइन्स, जी० पी० के पास, झांसी	,,
४—श्री हरदेव सिंह ..	गांव–राया, डाकखाना—मोठ, झांसी ..	,,
५—श्री लछमनदास सद्दी ..	बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कालेज, अस्पताल, झांसी ..	,,
(२) जिला जालौन		
६—श्री चन्द्रभान विद्यार्थी ..	कालपी, जालौन ..	,,
७—श्री बद्रीप्रसाद पुरवार ..	,,	,,
८—श्रीमती राजकुमारी रायजादा	,,	,,
९—श्री राजनारायन मिश्रा ..	जालौन ..	,,
(३) जिला हमीरपुर		
१०—श्री एस० एन० अग्रवाल ..	हमीरपुर . ..	१ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक।
११—श्रीमती रामकुंवर देवी ..	हमीरपुर ..	,,
१२—श्री रघुनन्दन सिंह, अवकाश प्राप्त पुलिस, अधीक्षक।	गांव झालोखार, थाना कोरारा, हमीरपुर ..	१ नवम्बर, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक।
(४) जिला बांदा		
१३—श्री कृष्णलाल बहरी ..	रामलीला मैदान बांदा ..	१ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक।
१४—श्री सेठ गुलाब चन्द जैन	,,	,,
१५—श्रीमती इन्दुरानी चौधरी	मार्फत श्री योगेन्द्र कुमार चौधरी, बांदा।	,,

सूची 'ख'

गैर सरकारी निरीक्षक का नाम	निवास स्थान	नियुक्ति की अवधि
जिला हमीरपुर		
१—श्रीमती आर० डी० वर्मा	धर्मपत्नी श्री आर० डी० वर्मा	१६ फरवरी, १९६२ से ३१ मार्च, १९६४ तक।
२—श्री रामगोपाल गुप्ता ..	मौदहा, हमीरपुर ..	,,
जिला जालौन		
३—श्री चन्द्रभान विद्यार्थी ..	कालपी, जालौन ..	,,
४—श्री बद्रीप्रसाद पुरवार ..	भारत चौक, उरई ..	,,
५—श्रीमती राजकुमारी रायजादा ..	डिप्टीगंज, उरई ..	,,
जिला बांदा		
६—श्री सुरेन्द्रनाथ गुप्ता वकील	बांदा ..	,,
७—श्रीमती इन्दु रानी चौधरी	सिविल लाइन्स, बांदा ..	,,
८—श्री कृष्ण लाल बहरी ..	रामलीला मैदान, बांदा ..	,,
जिला झांसी		
९—श्रीमती सूर्यमुखी देवी ..	लक्ष्मण गंज, झांसी ..	,,
१०—श्री एस० खुदा बख्श ..	१५०, गोंसाई पुरा, झांसी	,,
११—श्री सतीश चन्द्र ..	सिपरी बाजार, झांसी	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३६ पर)

सन् १९५० से १९६२ तक निम्नलिखित फर्मों से ऊन खरीदा गया

१९५०—सर्वश्री एल० नरेन्द्रदेव बरेली, नियादरमल प्यारेलाल, पानीपत, फकीरचन्द सीताराम, आगरा, रामचरनदास गर्ग, आगरा।

१९५१—सर्वश्री सीताराम गौरीशंकर दिल्ली, मामराजमल दिलीपसिंह पानीपत, गोयेंका ब्रदर्स, कानपुर, नेशनल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन, पानीपत, नियादरमल प्यारेलाल, पानीपत।

१९५२—सर्वश्री सीताराम गौरीशंकर दिल्ली, मामराजमल दिलीपसिंह, पानीपत, प्यारेलाल दुली चन्द, आगरा।

१९५३—सर्वश्री मामराजमल दिलीपसिंह, पानीपत, नियादरमल प्यारेलाल, पानीपत, प्यारेलाल दुली चन्द, आगरा।

१९५४—सर्वश्री मामराजमल दिलीपसिंह, पानीपत।

१९५५—सर्वश्री मामराजमल दिलीपसिंह, पानीपत, नियादरमल प्यारेलाल, पानीपत।

१९५६—सर्वश्री नियादरमल प्यारेलाल, पानीपत, मामराजमल दिलीपसिंह, पानीपत, उड वर्क्स, कानपुर।

१९५७—सर्वश्री मामराजमल दिलीपसिंह, पानीपत।

१९५८—सर्वश्री मामराजमल दिलीपसिंह, पानीपत, नियादरमल प्यारेलाल, पानीपत।

१९५९—सर्वश्री मामराजमल दिलीपसिंह, पानीपत, सीताराम गौरीशंकर, दिल्ली।

१९६०—सर्वश्री मामराजमल दिलीपसिंह, पानीपत।

१९६१—सर्वश्री मामराजमल दिलीपसिंह, पानीपत।

१९६२—सर्वश्री मामराजमल दिलीपसिंह, पानीपत।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६४२ पर)

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर अधिनियम, १९६३ की वित्तीय ज्ञापिका

आवर्तक

विधेयक की योजना के अन्तर्गत कार्य संचालन हेतु २,७३,००० रु० का व्यय आंका जाता है जिसमें १९६३–६४ के बजट में प्रस्तावित १,४८,१०० रु० भी शामिल है।

अनावर्तक

फार्म तथा कागज पर ३०,००० रुपये के व्यय का अनुमान है।

हुकुम सिंह बिसेन,
राजस्व मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एल० यू० पी० ए० पी०—४४ एल० ए०—१९६३—८५० ।